www.dhyeyaias.com

|मार्च 2020|अंक 04|

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

1 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
अब तक की यात्रा

2 बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेट्फॉर्म फॉर एक्शन : एक समीक्षा

3 प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना: एक अवलोकन

4 भारत में भूमि अधिग्रहण कानून: कितना किसान हितैषी

5 भारत में साझा अर्थव्यवस्था की बढ़ती संभावनाएँ

6 भारतीय सामुद्रिक इलाकों का विकास: समय की माँग

7 भारत में अवैध रेत खनन: चुनौतियाँ एवं समाधान

ध्येयIAS
most trusted since 2003

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार

Help us to help you

नोवल कोरोनावायरस (COVID-19)

खुद रहें सुरक्षित, दूसरों को रखें सुरक्षित

क्या करें और क्या ना करें

क्या करें

- बार-बार हाथ धोएं। जब आपके हाथ स्पष्ट रूप से गंदे न हों, तब भी अपने हाथों को अल्कोहल - आधारित हैंड वॉश या साबुन और पानी से साफ करें
- छींकते और खांसते समय, अपना मुंह व नाक टिशू/रूमाल से ढकें
- प्रयोग के तुरंत बाद टिशू को किसी बंद डिब्बे में फेंक दें
- अगर आपको बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई है तो डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर से मिलने के दौरान अपने मुंह और नाक को ढंकने के लिए मास्क/कपड़े का प्रयोग करें
- अगर आप में कोरोना वायरस के लक्षण हैं,तो कृपया राज्य हेल्पलाइन नंबर या स्वास्थ्य मंत्रालय की 24X7 हेल्पलाइन नंबर 011-23978046 पर कॉल करें
- भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें

क्या न करें

- यदि आपको खांसी और बुखार का अनुभव हो रहा हो,तो किसी के साथ संपर्क में ना आयें
- अपनी आंख, नाक या मुंह को ना छूयें
- सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें

हम सब साथ मिलकर कोरोनावायरस से लड़ सकते हैं

अधिक जानकारी के लिए

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के 24X7 हेल्पलाइन नं. +91-11-2397 8046 पर कॉल करें या ई-मेल करें ncov2019@gmail.com

mohfw.gov.in | @MoHFWIndia | @MoHFW_INDIA | mohfwindia

ध्येय IAS
एक परिचय

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सीईओ
ध्येय IAS

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक
ध्येय IAS

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धति में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

Perfect7

एक परिचय

कुरबान अली

प्रधान संपादक

ध्येय **IAS**

आशुतोष सिंह

प्रबंध सम्पादक

ध्येय **IAS**

मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि **'PERFECT 7'** का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय टीम को मेरी शुभकामनाएँ। शुरूआत से ही ध्येय **IAS** द्वारा प्रकाशित **'PERFECT 7'** को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है। इसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

ताज़ा तरीन जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.dhyeyaias.com और यूट्यूब चैनल देखें।

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम **'PERFECT 7'** रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें **'PERFECT 7'** के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर **'PERFECT 7'** को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षित रूप में आपके सामने लाया जाता है।

गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है, हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब **'PERFECT 7'** अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

आपके द्वारा दिये गए सुझाव और माँग को ध्यान मे रखते हुए हम रंगों के इस त्यौहार होली के सुअवसर पर **'PERFECT 7'** के रंगीन संस्करण की शुरुआत कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि इस नवीन संस्करण से आप सभी छात्रों में नवीन ऊर्जा का संचार हो, साथ ही ध्येय **IAS** से आपका प्रेम एवं स्नेह सदैव बना रहे।

प्रस्तावना

हमने **'PERFECT 7'** पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर **'PERFECT 7'** में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन **'PERFECT 7'** को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। **'PERFECT 7'** के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। **'PERFECT 7'** के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए **'PERFECT 7'** पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक, ध्येय **IAS**

संघ लोक सेवा आयोग व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा में विगत कुछ वर्षों से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्नों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। इसकी पुष्टि विगत वर्षों में संपन्न हुई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र से की जा सकती है। इसलिए हमने **'PERFECT 7'** पत्रिका के माध्यम से उन मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया है, जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। **'PERFECT 7'** पत्रिका न केवल प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है, बल्कि यह साक्षात्कार के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। इसमें समसामयिक घटनाओं को बेहद रोचक ढंग से तालिका,फ्लोचार्ट एवं चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। **'PERFECT 7'** के सात महत्वपूर्ण मुद्दों को संकलित करते समय हमारा प्रयास न केवल उन मुद्दों के सभी पहलुओं अर्थात् एक स्पष्ट विश्लेषणात्मक सांचे में ढालने का रहा है बल्कि ऐसे मुद्दों का इसमें विस्तृत विवेचन भी किया गया है, जिनका अन्य समसामयिक पत्रिकाओं में जिक्र तक नहीं होता है। **'PERFECT 7'** के सात ब्रेन बूस्टर्स के माध्यम से समसामयिक विषयों की जानकारी को बेहद सटीकता व आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिससे छात्रों को कम समय में भी उपयोगी जानकारी सुलभ हो सके। इसके अतिरिक्त **'PERFECT 7'** पत्रिका में सात महत्वपूर्ण खबरें, सात महत्वपूर्ण पीआईबी, सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न व सात महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश भी किया गया है। इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी पत्रिका में तथ्यों की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी गुणवत्ता होती है, इसलिए इसी सिद्धांत का अनुपालन करके हमने सारगर्भित रूप में यह पत्रिका आपके सम्मुख प्रस्तुत की है, चूंकि कोई भी कृति अंतिम नहीं होती है, उसमें सुधार की सदैव संभावनाएँ विद्यमान रहती हैं। अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि अपने बहुमूल्य सुझावों व समालोचनाओं से हमें अवगत कराएं।

अवनीश पाण्डेय
सम्पादक, ध्येय **IAS**

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

ध्येय टीम

संस्थापक एवं सी.ई.ओ. ➲	•विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक ➲	•क्यू.एच.खान
मुख्य संपादक ➲	•कुरबान अली
प्रबंध संपादक ➲	•आशुतोष सिंह
संपादक ➲	•जीत सिंह •अवनीश पाण्डेय •ओमवीर सिंह चौधरी •रजत झिंगन •शशिधर मिश्रा
संपादकीय सहयोग ➲	•प्रो. आर. कुमार •बाघेन्द्र प्रताप सिंह
मुख्य लेखक ➲	•अजय सिंह •अहमद अली •गिर्राज सिंह तोमर •धर्मेन्द्र मिश्रा •रमा शंकर निषाद
लेखक ➲	•अशरफ अली •विवेक शुक्ला •स्वाति यादव •हरिओम •अंशु •सौम्या उपाध्याय
मुख्य समीक्षक ➲	•रंजीत सिंह •रामयश अग्निहोत्री •राजहंस सिंह
त्रुटि सुधारक ➲	•संजन गौतम
विज्ञापन एवं प्रोन्नति ➲	•गुफरान खान •राहुल कुमार
प्रारूपक ➲	•विपिन सिंह •रमेश कुमार, •कृष्णा कुमार •निखिल कुमार
टंकण ➲	•कृष्णाकान्त मण्डल
लेख सहयोग ➲	•मृत्युंजय त्रिपाठी •बाघेन्द्र प्रताप सिंह •स्नेहा तिवारी
कार्यालय सहायक ➲	•हरीराम •संदीप •राजू यादव •शुभम •अरुण त्रिपाठी •चंदन

Content Office

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House
Near Chawla Restaurants
Dr. Mukherjee Nagar
Delhi-110009

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय **IAS** की एक नई पहल

मार्च 2020 | अंक ➲ 04

विषय सूची

7 महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तर 01-22

- **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना : अब तक की यात्रा**
- **बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेट्फॉर्म फॉर एक्शन : एक समीक्षा**
- **प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना : एक अवलोकन**
- **भारत में भूमि अधिग्रहण कानून : कितना किसान हितैषी**
- **भारत में साझा अर्थव्यवस्था की बढ़ती संभावनाएँ**
- **भारतीय सामुद्रिक इलाकों का विकास : समय की माँग**
- **भारत में अवैध रेत खनन : चुनौतियाँ एवं समाधान**

7 ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 23-31

7 महत्वपूर्ण तथ्य 32

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न 33

7 महत्वपूर्ण खबरें 34-36

7 महत्वपूर्ण बिंदु: साभार पीआईबी 37-40

7 महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ: ग्राफिक्स के माध्यम से 41-44

OUR OTHER INITIATIVES

UDAAN TIMES ©
Putting You Ahead of Time...
Hindi & English Current Affairs Monthly News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted by Mr. Qurban Ali (Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

7 महत्त्वपूर्ण मुद्दे

01 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना : अब तक की यात्रा

चर्चा का कारण

हाल ही में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस से संबंधित स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि केवल तीन राज्य और पाँच केन्द्र शासित प्रदेश ही केरोसिन मुक्त हो पाये है, जबकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन के लक्ष्य को समय पूर्व (सितंबर 2019) ही प्राप्त कर लिया है।

परिचय

स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन के नारे के साथ केन्द्र सरकार ने 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरूआत की। इस योजना के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बीपीएल) 8 करोड़ परिवारों की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना था। ताकि इन परिवारों के लिए प्रदूषण मुक्त स्वच्छ ईंधन उपलब्धता सुनिश्चित हो सके तथा इनके स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सके। हालाँकि भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर को छोड़कर देश के बाकी राज्यों में इस योजना को बंद कर दिया है।

संसदीय समिति की टिप्पणी

- संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार 7 सितंबर, 2019 को ही 8 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कनेक्शन प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया था और देशभर में 97% बीपीएल परिवारों तक एलपीजी की पहुँच को सुनिश्चित किया गया।
- इसके बाद भी सिर्फ तीन राज्य हरियाणा, पंजाब और आंध्रप्रदेश ही अभी तक कैरोसिन मुक्त हो पाये हैं तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंड़ीगढ़, दमन दीव एवं दादर नागर हवेली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुदुचेरी को केरोसिन मुक्त घोषित किया गया है।
- संसदीय समिति का मानना है कि इस योजना को जारी रखना चाहिए क्योंकि शहरी और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों को इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।

कैग की रिपोर्ट

मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरूआत से पहले घरेलू एलपीजी की पहुँच की गति बहुत धीमी थी लेकिन इस योजना के लागू होने के बाद समग्र घरेलू एलपीजी की पहुँच में तीव्र वृद्धि हुई और सितंबर 2019 में इस योजना ने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया।

हालांकि इस योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करना अभी बाकी है। इस योजना का सर्वप्रमुख उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और उनके स्वास्थ्य की रक्षा था इसके लिए योजना की पात्रता में यह निर्धारित किया गया था कि सिर्फ बीपीएल परिवार की महिला सदस्य के नाम ही एलपीजी का कनेक्शन प्रदान किया जायेगा। लेकिन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की ऑडिट रिपोर्ट बताती है कि कई मामलों में (1.9 लाख मामलों) कनेक्शन पुरूषों को प्रदान किये गये हैं।

इतना ही नहीं योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना (एसईसीसी) के आंकड़ों के आधार पर चिन्हित किया गया है। लेकिन पीएम उज्वला योजना के उपभोक्ताओं और एसईसीसी के आंकड़ों में लाभार्थियों के 12.5 लाख नामों में अंतर है जो एलपीजी वितरकों द्वारा पात्रता सत्यापन में लापरवाही को दर्शाता है।

योजना की व्यापक पहुँच के बावजूद, एलपीजी उपभोक्ताओं द्वारा एलपीजी सिलेंडरों की रिफिल में हाल के वर्षों में लगातार गिरावट आ रही है। एलपीजी की खपत वर्ष 2017-18 में प्रतिवर्ष औसतन 3.4 सिलेंडर से घटकर 2018-19 औसतन 2.98 सिलेंडर हो गयी जबकि बीपीएल परिवारों में मौजूदा कनेक्शनों द्वारा प्रतिवर्ष 3-4 रिफिल होने का अनुमान लगाया गया था।

31 दिसम्बर, 2018 तक जिन उपभोक्ताओं को पीएम उज्वला योजना का कनेक्शन प्राप्त किए 1 वर्ष से अधिक हो गये थे उनमें से 17.4% उपभोक्ताओं द्वारा एक भी बार रिफिल नहीं कराया गया जबकि 33.15% उपभोक्ताओं ने 1-3 बार ही रिफिल कराया है जो यह दर्शाता है कि आधे से अधिक लाभार्थियों ने 3.21 रिफिल के राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम खपत की है।

कैग ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में पीएम उज्ज्वला योजना के घरेलू सिलेंडरों के वाणिज्यिक उपयोग में व्यपवर्तन के जोखिम को भी उजागर किया है। रिपोर्ट के अनुसार, 1.98 लाख लाभार्थियों के पास औसतन 12 से अधिक सिलेंडरों की वार्षिक खपत थी।

इसी प्रकार 13.96 लाख लाभार्थियों ने एक माह में 3 से लेकर 41 सिलेंडरों का उपयोग किया है। यहाँ तक कि जहां आधे लाभार्थियों ने वर्ष में 4 से कम सिलेंडरों की रिफिल की वहीं एकल सिलेंडर कनेक्शन वाले 2.98 लाख उपभोक्ताओं ने एक दिन में 2 से 20 सिलेंडरों की रिफिल करवाई। घरेलू कनेक्शन में खपत का इतना उच्च स्तर संभव नहीं है। यह केवल वाणिज्यिक इस्तेमाल से ही संभव है जो घरेलू कनेक्शनों के वाणिज्यिक व्यपवर्तन को दर्शाता है।

उज्ज्वला योजना की उपलब्धियाँ

इतनी खामियों के बावजूद भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ग्रामीण महिलाओं के जीवन में इस योजना ने बड़ा बदलाव किया है। समय की बचत के साथ उनके स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह योजना काफी लाभकारी साबित हो रही है। योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन पाने के लिए लाभार्थी महिला के नाम पर बैंक अकाउंट होना जरूरी है। इस योजना को सफल बनाने में जन धन योजना ने भी योगदान किया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के आँकड़ों के अनुसार, कुल 31.06 करोड़ खातों में से 16. 37 करोड़ खाते महिलाओं के हैं। उज्ज्वला योजना ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकारी पहल का प्रभावी असर दिखाया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के आकड़ों के अनुसार, 53% खाते महिलाओं के हैं। इन्ही बैंक खातों में एलपीजी सब्सिडी की धनराशि अंतरित की जाती है। पिछले कुछ साल में एलपीजी क्षेत्र में बड़ी कामयाबी यह भी रही कि एलपीजी के नकली उपभोक्ताओं की संख्या में अत्यधिक कमी आई है और सब्सिडी सही हाथों में पहुंच रही है।

केरोसिन का उपभोग बढ़ना चिंताजनक

केरोसिन के उपभोग में कमी ना होने का कारण खाना पकाने के बजाय प्रकाश के लिए केरोसिन का उपयोग किया जाता है। नीति आयोग के अनुसार, 26 फीसदी ग्रामीण परिवार केरोसिन आधारित प्रकाश समाधान को अपनाते है; जबकि ग्रामीण और शहरी परिवारों में क्रमशः 1 फीसदी और 6 फीसदी केरोसिन का उपयोग खाना पकाने के ईंधन के रूप में किया जाता है। सरकार ने 100 फीसदी गांवों के विद्युतीकरण का दावा किया है, लेकिन प्रकाश व्यवस्था के लिए केरोसिन के उपयोग में अपेक्षित कमी नहीं आई है।

उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 72 लाख से अधिक कनेक्शन बांटे गए हैं लेकिन फिर भी राज्य में केरोसिन की मांग बहुत अधिक है। वित्त वर्ष 2019 की पहली तिमाही के दौरान उत्तरप्रदेश को 2.2 लाख लीटर केरोसिन ईंधन आवंटित किया गया था। नीति आयोग की एक रिपोर्ट ने स्वच्छ ईंधन के लिए कार्य योजना की सिफारिश की थी कि वायु प्रदूषण की स्थिति को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश को केरोसिन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। दिल्ली और हरियाणा ने भले ही केरोसिन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है लेकिन उत्तर प्रदेश को इसे प्रतिबंधित करने की जरुरत है। लकड़ी और केरोसिन जैसे प्रदूषित ईंधन का उपयोग विशेष रूप से गरीबी रेखा (बीपीएल) के नीचे परिवारों के साथ आम है जो उपलब्धता और पहुँच के बावजूद भी साफ ईंधन की लागत को वहन करने में सक्षम नहीं हैं। हालांकि, सरकार के केरोसिन सब्सिडी के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मार्ग का उपयोग करने के प्रयासों में सीमित सफलता देखने को मिली है।

चुनौतियाँ

लगभग सभी गरीब परिवारों तक एलपीजी की पहुँच को सुनिश्चित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के बावजूद, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्वच्छ ईंधन को लोकप्रिय बनाने के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चुनौतियों का सामना कर रही है, इनमें से कुछ चुनौतियां निम्न हैं-

- रिफिल की अवहनीयता और रिफिल प्राप्त करने में कठिनाई पीएम उज्ज्वला योजना की राह में सबसे बड़ी चुनौती है जो एलपीजी के निरंतर उपयोग को बाधित करती है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

- "स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन" के नारे के साथ केंद्र सरकार द्वारा 1 मई 2016 को एक सामाजिक कल्याण योजना के रूप में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरूआत की गई थी। इस योजना का क्रियान्वयन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

उद्देश्य

- महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।
- खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना।
- जीवाश्म ईंधन के उपयोग के कारण ग्रामीण आबादी के बीच स्वास्थ्य से संबंधित खतरों को रोकने के लिए।

पात्रता के मापदंड

- आवेदक महिला को 18 वर्ष की आयु से ऊपर की महिला होना चाहिए।
- आवेदक एक बीपीएल कार्ड धारक ग्रामीण निवासी होना चाहिए।
- महिला आवेदक का सब्सिडी राशि प्राप्त करने के लिए देश भर में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत बैंक खाता होना चाहिए।
- आवेदक परिवार के घर पहले से एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए।

- ग्रामीण भारत में बायोमास जैसे जलाऊ लकड़ी, फसल अवशेष और गोबर के उपले खाना पकाने के प्राथमिक ईंधन के रूप में प्रयोग किये जाते हैं, क्योंकि ये उनके लिए अधिक वहनीय होते हैं।
- क्रिसिल द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में 37% परिवार खाना पकाने का ईंधन मुफ्त प्राप्त करते हैं। सर्वेक्षण किये गए राज्यों के अलावा, औसतन 35% परिवारों ने मुफ्त में जलाऊ लकड़ी प्राप्त की, 76% को मुफ्त में उपले मिले और 88% ने अन्य प्रकार के बायोमास मुफ्त में प्राप्त किए। इसके विपरीत, एलपीजी सिलेंडर रिफिल की लागत अधिक है और एक सामान्य परिवार एक वर्ष में लगभग छह सिलेंडर उपयोग करता है। इस प्रकार इन सिलेंडरों को भरवाने के लिए गरीब परिवारों के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है।
- विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार की यह योजना तो दुरुस्त है लेकिन इसे लागू करने से पहले जमीनी स्तर पर आने वाली व्यावहारिक समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया।

स्वच्छ ईंधन का उपभोग बढ़ाने के उपाय

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस घरेलू वायु प्रदूषण को भारत के रोग भार में योगदान देने वाले दूसरे प्रमुख जोखिम कारक के रूप में रखा है। चूंकि एलपीजी एक स्वच्छ ईंधन है जो कम कार्बन का उत्सर्जन (न के बराबर) करता है।
- एलपीजी कनेक्शन अपात्र लोगों को न जारी हो, इसके लिए वितरकों को डेटा सत्यापन जैसे उपाय करने चाहिए। इसके अतिरिक्त लाभार्थियों की वास्तविकता को प्रामाणित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी को शुरू किया जाना चाहिए।
- पीएम उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन देने का लक्ष्य व्यापक रूप से हासिल किया जा चुका है, योजना को अब एलपीजी कनेक्शन के निरंतर उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट तथा अन्य सर्वे यह बताते हैं कि घरेलू एलपीजी कनेक्शनों का वाणिज्यिक कार्यों के लिए उपभोग किया जा रहा है। अतः घरेलू एलपीजी कनेक्शनों के अधिक उपभोग के मामलों की निरंतर समीक्षा की जानी चाहिए ताकि इस व्यपवर्तन को रोका जा सके।
- योजना के कार्यान्वयन से संबंधित परिणामों का आकलन करने के लिए कोई मानदंड नहीं हैं, जैसे महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार और वायु प्रदूषण में कमी। अतः यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय इन परिणामों का आकलन करने के लिए रूपरेखा विकसित करे।
- एलपीजी कनेक्शन देने से पहले प्री-इंस्टॉलेशन निरीक्षण किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लाभार्थी के घर का परिसर सुरक्षा मानदंडों (जैसे हवादार किचन, स्टोव को ऊंचे पर रखना) पर खरा उतरता है। लेकिन ऐसे बहुत से मामले देखने में आते हैं जब इंस्टॉलेशन की निरीक्षण रिपोर्ट तक उपलब्ध नहीं होती है। इसके अतिरिक्त लाभार्थियों द्वारा असुरक्षित तौर तरीकों को अपनाने के मामले भी देखे गए, जैसे-स्टोव को जमीन पर रखना। इसलिए यह आवश्यक है कि (क) अनिवार्य निरीक्षण की लागत पर सब्सिडी देने का विकल्प तलाशा जाए, और (ख) ऐसे सुरक्षा अभियान चलाए जाएं जोकि यह सुनिश्चित करें कि लाभार्थी सुरक्षित तौर-तरीके अपना रहे हैं।
- इसके अतिरिक्त खाना पकाने के पारंपरिक तरीकों के नुकसान और एलपीजी के लाभों के बारे में जागरूकता के तरीकों को अपनाया जाना चाहिए, विशेषकर मानसिकता में बदलाव लाने के संबंध में।
- आर्थिक अक्षमता ग्रामीण क्षेत्रों में सिलेंडर की रिफिल ना होने का एक बड़ा कारण है इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी लागत को कम किया जाना चाहिए।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में 75% ग्रामीण परिवारों को प्राथमिकता वाले घरों के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो सब्सिडी वाले राशन के हकदार हैं 10% परिवारों को अंत्योदय परिवारों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- इन प्राथमिकता वाले घरों में उच्च सब्सिडी दी जा सकती है, अंत्योदय परिवारों को लागत मुक्त एलपीजी रिफिल के लिए पात्र बनाया जा सकता है।
- घरों में विशेष रूप से खाना पकाने और संबंधित कार्यों में लिंग समानता को बढ़ावा देकर भी एलपीजी ईंधन के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

आगे की राह

संसदीय समिति ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बंद होने पर चिंता व्यक्त की है। समिति का मानना है कि अभी भी बहुत गरीब और जरूरत मंद लोग हैं जिनके पास एलपीजी कनेक्शन नहीं हैं। विशेषकर "शहरी और अर्द्ध-शहरी इलाकों में सामान्य वर्ग के गरीब घर हैं जिन्हें भी इस योजना में शामिल करने की आवश्यकता है। इसलिए इस योजना को शहरी और अर्द्ध-शहरी स्लम क्षेत्रों में गरीब घरों तक बढ़ाया जाना चाहिए और उन परिवारों को एलपीजी के कनेक्शन प्रदान करके बड़े स्तर पर एलपीजी की पहुँच को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त जो परिवार इस योजना के लाभार्थी हैं, उन्हें एलपीजी सिलेंडर कम दामों में उपलब्ध कराया जाए ताकि वे स्वच्छ ईंधन की ओर प्रोत्साहित हो सकें। चूंकि भारत में सौर ऊर्जा में असीम संभावनाएँ हैं, ऐसे में सौर ऊर्जा पैनल भारत के दूर-दराज के क्षेत्रों में भी लगाए जा सकते हैं जिससे खाना पकाने के लिए एलपीजी पर निर्भरता कम हो सकती है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।
- गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे।

02 बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेट्फॉर्म फॉर एक्शन : एक समीक्षा

चर्चा का कारण

हाल ही में यूनिसेफ ने प्लान इंटरनेशनल और संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर लड़कियों की स्थिति व अधिकारों के बारे में 1995 में हुए बीजिंग सम्मेलन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक समीक्षा रिपोर्ट जारी की है, जिसका शीर्षक है "ए न्यू एरा फॉर गर्ल्स टेकिंग स्टॉक ऑन 25 ईयर्स ऑफ प्रोगेरस फॉर गर्ल्स"।

परिचय

आज विश्व स्तर पर 1.1 बिलियन से अधिक लड़कियाँ अपने भविष्य को संवारने के लिए तैयार हैं। लड़कियां सुरक्षित, स्वस्थ तथा अधिक समृद्ध दुनिया का नेतृत्व करने और उसे बढ़ावा देने के लिए सीमाओं और बाधाओं को तोड़ रही हैं। लड़कियां बाल विवाह, शिक्षा के क्षेत्र में असमानता, हिंसा, जलवायु परिवर्तन, न्याय और स्वास्थ्य जैसी ज्वलंत मुद्दों से निपट रही हैं। लड़कियां साबित कर रही हैं कि यदि उन्हें मौका मिला तो वों किसी से कम नहीं हैं। उदाहरण के लिए-ग्रेटा थनबर्ग, मलाला युसुफजई, नादिया मुराद तथा वेलेन्टीना इलांगबम (मणिपुर)को लिया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 1995 में, महिलाओं तथा लड़कियों के प्रति भेदभाव को समाप्त करने के दृष्टिकोण से विश्व के देशों ने "बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफार्म फॉर एक्शन" अपनाया था जो लैंगिक समानता के लिए व्यापक नीति एजेण्डा था लेकिन आज, 25 वर्ष बाद भी लड़कियों के खिलाफ भेदभाव तथा रूढ़िवादियों को समाप्त करना वैश्विक चुनौती बना हुआ है। वैश्विक रूप से लड़कियों के जीवन प्रत्याशा में 8 वर्ष की वृद्धि हुई है लेकिन इनके जीवन की गुणवत्ता अभी भी खराब स्थिति में ही है। तकनीकी परिवर्तन और मानवीय आपात स्थितियों के संदर्भ में आज वो जिन वास्तविकताओं का सामना कर रही हैं दोनों ही स्थितियाँ वर्ष 1995 से उल्लेखनीय रूप से अलग हैं तथा बहुत सी स्थितियों में समान हैं, जैसे-महिलाओं के खिलाफ हिंसा, संस्थागत/परंपरागत रूढ़िवादिता एवं पूर्वाग्रह, खराब शिक्षा, अवसरों में असमानता आदि के क्षेत्र में कुछ खास बदलाव नहीं हुए हैं।

रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु

- वैश्विक स्थिति में बदलाव लाने के लिए ये आवश्यक है कि लड़कियों को निर्णय लेने तथा चुनौतियों और अवसरों को भुनाने के लिए शिक्षित किया जाय।
- बीजिंग डिक्लेरेशन के 25 वर्ष बाद लड़कियों के जीवन प्रत्याशा में 8 साल की वृद्धि हुई है। उल्लेखनीय है कि अगर उनके साथ सभी प्रकार के भेद-भाव समाप्त किए जाते हैं तो उनके जीवन प्रत्याशा में और वृद्धि होगी।
- वर्तमान समय में विश्व में लड़कियों को अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। लड़कियों को अभी-भी निर्णय लेने की प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। इससे इनका जीवन अत्यधिक प्रभावित हो रहा है। इस प्रथा का सबसे ज्यादा शिकार गरीब व आदिवासी समूह की लड़कियाँ हैं।
- लड़कियों के जन्म से ही शुरू होने वाला भेदभाव और हानिकारक लिंग मानदण्ड (कुछ स्थानों पर जन्म से पहले कन्या भ्रूण हत्या) तथा कौन से व्यवहार और अवसर लड़कियों के लिए उचित हैं, इसकी सीमा निर्धारित कर दी जाती है। इन मान्यताओं को अकसर उन कानूनों और नीतियों में उलझा दिया जाता है जो लड़कियों के अधिकारों को बरकरार रखने में विफल रहती हैं जैसे-
  - वर्तमान समय में कम से कम 60 प्रतिशत देश अभी भी कानूनन या व्यावहारिक रूप में भूमि या गैर-भूमि/संपत्ति जो विरासत या उत्तराधिकार में लड़कियों को मिलना चाहिए, के अधिकारों के साथ भेद-भाव करते हैं।
  - लैंगिक भेद-भाव न केवल लड़कियों की मानवीय सामाजिक तथा उत्पादक संपत्तियों को संचित करने से रोकता है, बल्कि उनके भविष्य के शैक्षिक और रोजगार के अवसरों को सीमित करने के साथ-साथ उनके आत्मविश्वास को भी कम करता है। इसका परिणाम यह होता है कि जब-तक लड़कियाँ किशोरावस्था में पहुँचती हैं, तो वे अपने सपनों को हासिल करने के बजाए सपने देखना ही छोड़ देती हैं।
  - आज शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियाँ बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप कम संख्या में लड़कियां स्कूलों से बाहर हैं अर्थात उनके ड्रॉप आउट में काफी कमी आई है। वर्ष 1998 में स्कूल में नामांकन की दर जहाँ-2 लड़कियों में 1 थी की तुलना में वर्तमान समय में 3 लड़कियों में 2 है। लेकिन अभी भी उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती है। वास्तव में दुनिया भर में एक ही उम्र के 1 से 10 लड़कों की तुलना में 15-19 वर्ष की आयु की चार लड़कियों में से लगभग 1 को न तो शिक्षा मिल पा रही न ही उसे प्रशिक्षत किया जा रहा है।
  - चाहे ऑनलाइन हो, स्कूल में हो, घर में या फिर अपने ही परिवार या समुदाय में सब जगह लड़कियों पर हिंसा का खतरा मंडराता रहता है।
  - 15-19 वर्ष आयु की लगभग 13 मिलियन लड़कियों ने अपने जीवन काल में जबरन शारीरिक शोषण की शिकार हैं। भले ही बाल विवाह और महिला जननांग विकृति (Female genital multilation) जैसी

हानिकारक प्रथाओं में गिरावट आयी है, फिर भी इस तरह की प्रथाएं आज भी प्रचलित हैं।

- संघर्ष और विस्थापन केवल लिंग आधारित हिंसा के जोखिम और वास्तविकताओं को बढ़ाता है। जैसे-जैसे लड़कियां अपनी सहायता प्रणालियों और घरों से दूर होती हैं या असुरक्षित वातावरण में नई भूमिकाओं में प्रवेश करती हैं, उनके खिलाफ लिंग आधारित हिंसा जैसे-यौन हिंसा, जीवन साथी द्वारा हिंसा, बाल-विवाह आदि में वृद्धि होने लगती है।
- वर्तमान समय में बहुत कम लड़कियां कम उम्र में माँ बन रही हैं, लेकिन अभी-भी अधिकांशतः यौन संचारित संक्रमणों और एनीमिया की कमी जैसी उच्च जोखिमों का सामना करती है। वर्ष 1995 में 740,000 की तुलना में विश्व स्तर पर 10 से 19 वर्ष आयु की 9,70,000 किशोरियाँ आज HIV से संक्रमित हैं।
- 1995 के बाद से बच्चों के रूप में शादी करने वाली युवा महिलाओं के अनुपात में वैश्विक स्तर पर कमी आई है। शादी करने वाली युवा महिलाओं का अनुपात वर्ष 1995 में जहाँ 4 में से 1 था अब यह घटकर 5 में से 1 हो गया है। उत्साहजनक रूप से, यह उन देशों में कमी देखी जा रही है, जहाँ बड़ी संख्या में लड़कियों को खतरा रहता है, जैसे-दक्षिण एशिया में। इस क्षेत्र में, पिछले 25 वर्षों में बाल विवाह की प्रथा लगभग आधी हो गई है, जो वर्तमान में 59 फीसदी से घटकर 30 फीसदी रह गई है।
- बेटे की चाहत तथा जन्मपूर्व लिंग निर्धारण प्रौद्योगिकियों तक पहुँच ने कुछ देशों में जैविक रूप से लड़कियों की तुलना में अधिक लड़कों का जन्म हुआ है।

- रिपोर्ट में लैंगिक समानता के क्षेत्र में धीमी रफ्तार वाली प्रगति देखी गई है। लिंग समानता के क्षेत्र में जो प्रगति अभी तक हासिल की गई है, वो व्यापक रूप में मौजूद असमानता, जलवायु संकट, संघर्षों और बहिष्करण वाली राजनीति के कारण पलटती नजर आ रही है।
- दुनियाभर में लड़कियों की स्थिति शिक्षा के मामले में बेहतर हुई है, लेकिन इसके बावजूद लड़कियों को समानतापूर्ण और कम हिंसक वातावरण अब भी नहीं मिल पा रहा है।
- इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले बीस सालों में स्कूल न जाने वाली लड़कियों की तादाद सात करोड़ 90 लाख कम हुई है हालांकि पिछले एक दशक में सेकेंड्री स्कूल में लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या बढ़ी है।
- लगभग 30 देशों में महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह में कुछ बदलाव देखा गया है।
- कुछ देशों में पूर्वाग्रह दूर करने में बेहतरी हुई है, जबकि अन्य देशों में हाल के वर्षों में महिलाओं के प्रति रुख और खराब हुआ है।
- मौजूदा अर्थव्यवस्था, राजनैतिक प्रणालियों और कॉरपोरेशन में अब भी पितृसत्तात्मक समाज और पुरुषों के दबदबे वाले सत्ता तंत्रों की पैठ है।

भारत की स्थिति

- अगर भारत की बात की जाए तो भारत में लड़कियों और लड़कों के लिंगानुपात की स्थिति बेहतर हुई है। प्राथमिक विद्यालयों में लैंगिक अनुपात सुधरा है जिसके चलते बाल विवाह में कमी आई है, और किशोरावस्था में गर्भधारण के मामले आधे हुए हैं।
- हालांकि चौंकाने वाली बात ये है कि भारत में 15 से 19 साल की उम्र की हर 20 में से एक लड़की बलात्कार की शिकार हुई है।
- भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक 15 साल की उम्र तक भारत में हर पाँच में से एक लड़की यानी एक करोड़ बीस लाख लड़कियों ने शारीरिक हिंसा झेली है।
- वहीं, हर तीन (34%) में से एक लड़की (उम्र 15-19) ने, चाहे वो शादीशुदा हो या परिवार के साथ रहती हो, अपने पति या पार्टनर से शारीरिक, मानसिक या यौन हिंसा की पीड़ित रही है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार सर्वेक्षण की मानें तो 16 फीसदी लड़कियों (15-19) ने अपने साथ हुई शारीरिक हिंसा की बात बताई है, तीन फीसदी ने यौन हिंसा की बात कही है। वहीं, 15 से 49 साल की महिलाओं में से 31% ने पति की ओर से शारीरिक, यौन या मानसिक प्रताड़ना सही है।
- भारत में अब भी चार में से एक लड़की की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो जाती है।

वैश्विक जगत के समक्ष चुनौतियाँ

- कुछ क्षेत्रों में लैंगिक समानता पर प्रगति या तो ठहर गई है या फिर उसकी दिशा उलट गई है।
- श्रम बाजार में व्याप्त असमानताओं तथा डिजिटल दुनिया में लैंगिक खाई ने महिलाओं और लड़कियों की प्रगति के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर दिया है।
- संयुक्त राष्ट्र महासचिव के अनुसार, "कुछ देशों ने तो महिलाओं की हिफाजत करने वाले कानून खत्म कर दिए हैं, जबकि कुछ देशों में ऐसी आर्थिक व आप्रवासन नीतियाँ लागू हैं जिनके कारण परोक्ष रूप से महिलाओं के खिलाफ भेदभाव होता है।"
- कुछ देशों में लैंगिक समानता के खिलाफ पूर्वाग्रह में बढ़ोत्तरी हो रही है।
- अभी किसी भी देश में पूरी तरह से लैंगिक समानता हासिल नहीं की गई है।
- शिक्षा व स्वास्थ्य जैसे कुछ क्षेत्रों में लिंग असमानता को कम करने के

क्षेत्र में हुई कुछ प्रगति के बावजूद आर्थिक, राजनैतिक क्षेत्रों के साथ-साथ कॉर्पोरेशन्स में भी पुरुषों और महिलाओं के बीच विशाल खाई मौजूद है।

- हर जगह लड़कियों के प्रति हिंसा का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऑनलाइन माध्यमों पर, कक्षाओं, घरों और समुदायों में इस खतरे के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक नतीजे देखे जा रहे हैं।
- बाल विवाह और जननांग विकृति (खतना) के कारण लाखों लड़कियों का जीवन तबाह हो रहा है। हर साल लगभग एक करोड़ 20 लाख लड़कियों की शादी कम उम्र में ही कर दी जाती है और 40 लाख से ज्यादा लड़कियाँ जननांग विकृति का शिकार होने का जोखिम झेलती हैं।
- पोषण व स्वास्थ्य के मामलों में भी लड़कियों की स्थिति में गिरावट आई है।
- डिजिटिल टेक्नालॉजी के अत्यधिक इस्तेमाल के कारण मानसिक स्वास्थ्य के प्रति चिंता भी बढ़ रही है।
- 15 से 19 वर्ष के आयु वर्ग की लड़कियों में मौत का दूसरा सबसे कारण आत्महत्या है।

आगे की राह

- महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाकर उन्हें नेतृत्व वाले पदों पर बिठाने, उन्हें गरीबी से निकालने और उन्हें किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए तात्कालिक प्रयास की जरुरत है।
- जब हम सभी टिकाऊ विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कार्रवाई दशक में दाखिल हो रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि टिकाऊ विकास लक्ष्य-5 को अपने कामकाज के तमाम क्षेत्रों में मुख्य धारा में लाया जाए। विदित है कि इस लक्ष्य में लैंगिक समानता पर जोर दिया गया है। टिकाऊ विकास लक्ष्य संख्या-5 इस बात पर बल देता है कि महिलाओं और लड़कियों को तमाम निर्णयों में समान रूप से भागीदारी करने का मौका सुनिश्चित हो।
- यूएनडीपी ने तमाम सरकारों और संस्थानों से आग्रह किया है कि वे महिलाओं के लिए भेदभावपूर्ण मान्यताओं और परंपराओं को बदलने के लिए नई नीतियाँ बनाएं और इसके लिए शिक्षा, जागरूकता का स्तर बढ़ाने का सहारा लिया जाए।
- महिलाओं और लड़कियों को ऐसे क्षेत्रों में कामकाज के अवसर तलाश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, जहाँ अभी तक पुरुषों का प्रभुत्व रहा है, जैसे कि सशस्त्र बल और सूचना प्रौद्योगिकी।
- यूनीसेफ प्रमुख के अनुसार केवल शिक्षा की सुलभता ही पर्याप्त नहीं है, लड़कियों के प्रति लोगों के व्यवहार और रवैये में भी तब्दीली लानी होगी। वास्तविक समानता तभी आएगी जब लड़कियां हिंसा से सुरक्षित होंगी, अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर पाएंगी, और जीवन में बराबरी के अवसरों का लाभ उठा पाएंगी।
- शिक्षा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की जरूरत है जिससे लड़कियों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुँचाई जा सके।
- लड़कियों के बहुमुखी विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाया जाना चाहिए।
- पुरानी मान्यताओं और पुरूषवादी सोच के खिलाफ कड़े कानून बनाकर उन्हें समाप्त किया जाना चाहिए।
- लड़कियों को अवसर उपलब्ध कराना चाहिए जिससे कि वे परिवर्तनकारी बन सकें, सक्रिय रूप से उनकी आवाजों और विचारों को विभिन्न समुदायों में शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही उनके शरीर, शिक्षा, कैरियर, राजनीतिक प्रक्रियाएं और भविष्य से संबंधित किसी भी निर्णय के बारे में उनकी खुद की स्वतंत्रता होनी चाहिए।
- जीवन के सभी निर्णयों के केंद्र में लड़कियाँ ही होनी चाहिए अर्थात लड़कियों के लिए कोई भी निर्णय लड़कियों से पूछे बिना नहीं होना चाहिए।
- चौथी औद्योगिक क्रांति की सफलता के लिए किशोर लड़कियों की शिक्षा और उनको कौशल रूप से विकसित किया जाना चाहिए।
- लिंग आधारित हिंसा, बाल विवाह और 'एफजीएम' को समाप्त किया जाना चाहिए। साथ ही यह सुनिश्चित भी किया जाना चाहिए कि लड़कियों के पास सही, समय पर तथा सम्मानजनक स्वास्थ्य जानकारी एवं सेवाएं उपलब्ध हों।
- इसके अलावा किशोर लड़कियों के कौशल विकास और आर्थिक भागीदारी के साथ-साथ विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) जैसे क्षेत्रों में लैंगिक विभाजन के बीच तालमेल तथा विस्तार आदि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

03 प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना : एक अवलोकन

चर्चा का कारण

प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना भारत सरकार की ऐसी योजना है, जिसके तहत मरीजों को 50 से 90 फीसदी तक सस्ती जेनेरिक दवाईयां मुहैया करायी जाती हैं। इस परियोजना का मकसद महँगी दवाओं का वित्तीय बोझ झेल रहे गरीबों को सस्ती दवाई प्रदान करना है। इस लेख में प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना का विश्लेषण किया गया है।

परिचय

प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना की शुरूआत भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 1 जुलाई 2015 को की गयी थी। इस योजना में सरकार द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक (Generic) दवाईयों के दाम बाजार मूल्य से कम में दिए जा रहे हैं। अभी तक देश भर में लगभग 6200 दवा दुकानें खुल चुकी हैं और इससे करीब 380 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। कम कीमत पर दवा उपलब्ध होने की वजह से लोगों को अब तक लगभग दो हजार करोड़ रुपए की बचत हुई है। सरकार द्वारा 'जन औषधि स्टोर' बनाए गए हैं, जहां जेनेरिक दवाईयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं। यह मेडिकल क्षेत्र में सबसे बड़ा परिवर्तन था जो गरीब व असहाय लोगों की जरूरतों को देखकर किया गया था, आज भारत के कई जिलों में जेनेरिक मेडिसिन के ये जन औषधि स्टोर खुल चुके हैं। कुल मिलाकर यह योजना गरीबों के हित में लाई गई है।

जेनेरिक दवा

जेनेरिक दवा वह दवा है जो बिना किसी पेटेंट के बनायी और वितरित की जाती है। जेनेरिक दवा में वही फार्मास्यूटिकल्स इन्ग्रीडेन्ट्स (Active Pharmaceutical Ingredients) होते हैं जो ब्राडेड दवाईयों में होते हैं। जेनेरिक दवाईयां गुणवत्ता में किसी भी प्रकार से ब्रांडेड दवाईयों से कम नहीं होती तथा ये उतनी ही असरदायी हैं, जितनी कि ब्राण्डेड दवाईयाँ। जेनेरिक दवाओं की खुराक, संरचना, सेवन की विधि, लाभ गुणवत्ता आदि ब्रांडेड दवाओं के समान ही है।

दरअसल, जेनेरिक दवाएं इसलिए सस्ती होती हैं, क्योंकि इसके निर्माता इन दवाईयों या फिर अपनी कंपनी के विकास और अपने प्रचार प्रसार पर ज्यादा खर्च नहीं करते हैं। जबकि कोई भी ब्रांड वाली कंपनी बाजार में अपने प्रचार पर अधिक खर्चा करती है, जिससे इनकी दवाइयों के दाम भी ज्यादा होते हैं। इसके अलावा इन दवाईयों का कितना दाम रखा जाए इसका फैसला लेने में सरकार की अहम भूमिका होती है। इसलिए कोई चाहकर भी इन दवाईयों के दाम नहीं बढ़ा सकता है।

बीमारियों के इलाज के लिए रिसर्च के बाद एक रसायन (साल्ट) तैयार किया जाता है जिसे दवा की शक्ल दे दी जाती है। इस साल्ट को हर दवा कंपनी अलग-अलग नामों से बेचती है। कोई इसे महंगे दामों में बेचती है तो कोई सस्ते। लेकिन इस साल्ट का जेनेरिक नाम साल्ट के कंपोजिशन और बीमारी का ध्यान रखते हुए एक विशेष समिति द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसी भी साल्ट का जेनेरिक नाम पूरी दुनिया में एक ही होता है।

आपका डॉक्टर जो दवा आपको लिखकर देता है उसी साल्ट की जेनेरिक दवा आपको बहुत सस्ते में मिल सकती है। महंगी दवा और उसी साल्ट की जेनेरिक दवा की कीमत में कम से कम पांच से दस गुना का अंतर होता है। कई बार जेनेरिक दवाओं और ब्रांडेड दवाओं की कीमतों में 80-90 प्रतिशत तक का भी फर्क आ जाता है। जेनेरिक दवा के फॉर्मुलेशन पर पेटेंट होता है लेकिन उसके मैटेरियल पर पेटेंट नहीं किया जा सकता। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बनी जेनेरिक दवाइयों की क्वालिटी ब्रांडेड दवाओं से कम नहीं होती, ना ही इनका असर कुछ कम होता है। जेनेरिक दवाओं की डोज, उनके साइड-इफेक्ट्स सभी कुछ फेमस ब्रांडेड दवाओं जैसे ही होते हैं। जैसे ब्लड कैंसर के लिए 'ग्लाईकेव' ब्राण्ड की दवा की कीमत महीनेभर में 1,14,400 रूपये होगी, जबकि दूसरे ब्रांड की 'वीनेट' दवा का महीने भर का खर्च 11,400 से भी कम आएगा। जहां पेंटेट ब्रांडेड दवाओं की कीमत कंपनियां खुद तय करती हैं, वहीं जेनेरिक दवाओं की कीमत को निर्धारित करने के लिए सरकार का हस्तक्षेप होता है। जेनेरिक दवाओं की मनमानी कीमत निर्धारित नहीं की जा सकती। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, डॉक्टर्स अगर मरीजों को जेनेरिक दवाएं प्रिस्क्राइब करें तो विकसित देशों में स्वास्थ्य खर्च 70 फीसद और विकासशील देशों में और भी अधिक कम हो सकता है। जिस लाइसेंस के तहत विश्व भर में ये दवाएं बनती हैं, उसमें इनकी कीमतों पर नियंत्रण रखने का प्रावधान है। चूंकि ये दवाएं केवल फॉर्म्युलेशन के आधार पर बनाई जाती हैं, इसलिए इनकी कीमतों को बहुत अधिक रखा भी नहीं जा सकता। जेनेरिक दवाओं पर केवल इनके निर्माण का ही खर्च होता है, इसलिए इनकी कीमत अपेक्षाकृत कम होती है। इन दवाओं के प्रचार के लिए ज्यादा खर्चा नहीं किया जाता।

योजना के लाभ

- इस योजना के माध्यम से स्थायी और नियमित कमाई के साथ स्वरोजगार के स्रोत भी बढ़ रहे हैं।
- ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया (BPPI) द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, प्रति स्टोर औसत बिक्री 1.50 लाख रुपये (ओटीसी और अन्य उत्पादों सहित) हो गई है।
- इस योजना के तहत देश के गांव-गांव में आधुनिक हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर बनाए

जा रहे हैं। अभी तक 31 हजार से ज्यादा सेंटर तैयार हो चुके हैं, उनमें 11 करोड़ से ज्यादा लोग अपनी जांच करा चुके हैं। भारत में बनी जेनेरिक दवाओं की पूरी दुनिया में डिमांड है।

चुनौतियाँ

- ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया ने जांच में पाया है कि प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत बांटी जाने वाली देश की 18 फार्मा कंपनियों की दवाओं के 25 बैच गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। इन कंपनियों में 17 निजी क्षेत्र और एक सार्वजनिक क्षेत्र की है। इनमें मधुमेह, दर्द निवारक और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों की कई दवाईयां शामिल हैं।
- लोगों को सस्ती और गुणवत्तापरक दवाईयां उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) शुरू की गई, लेकिन कागज पर बेहद शानदार और कल्याणकारी दिखने वाली यह योजना सरकारी सिस्टम का शिकार होकर धीरे-धीरे दम तोड़ती दिख रही है।
- प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) का मकसद था कि सस्ते दामों में लोगों तक गुणवत्तापरक दवाईयां पहुंचाई जाए, लेकिन आपूर्ति, एक्सपायर्ड दवाओं, स्टॉफ, बजट की कमी और उस पर जीएसटी की मार से जूझते जन औषधि केंद्र लोगों तक दवाइयों को पहुंचाने में अपेक्षाकृत सफलता हासिल नहीं कर पाये हैं।
- इसके अलावा एक्सपायरी दवाईयां भी बड़ी मुसीबत हैं। वेयरहाउस से दवाईयां मंगाने पर पहले वे दवाईयां दी जाती हैं, जिनकी एक्सपायरी तिथि करीब होती है। दो फीसदी एक्सपायरी दवाईयां लौटाने का प्रावधान है। लेकिन उन्हें वापस वेयरहाउस भेजने में काफी अधिक कुरियर का ही खर्च आ जाता है।
- उपर्युक्त के अलावा अन्य चुनौतियों को भी देख सकते हैं-

- **आपूर्ति पक्ष संबंधी चुनौती:** भारतीय फार्मेसी क्षेत्र निम्नस्तरीय आपूर्ति शृंखला प्रबंधन की समस्या का सामना कर रहा है। यह बड़े पैमाने पर घरेलू जेनेरिक दवा उत्पादन किए जाने को बाधित करता है।
- **कठोर बौद्धिक सम्पदा अधिकार व्यवस्था:** भारतीय जेनेरिक दवा निर्माता एक स्पष्ट प्रतिबंधात्मक बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) व्यवस्था के तहत कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त, जेनेरिक दवाओं का उत्पादन केवल तभी किया जा सकता है, जब उन दवाओं के उत्पादन का लाइसेंस उपलब्ध हो।
- **जेनेरिक दवाओं का कम प्रचार एवं प्रदर्शन:** मेडिकल स्टोर्स (फार्मेसियों) को ब्रांडेड दवाओं की बिक्री पर कमीशन प्राप्त होता है, इसलिए वे जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता को प्रदर्शित नहीं करते हैं।
- **लाभ-संचालित बाजार:** निजी फार्मा कंपनियों के मध्य अत्यधिक प्रतिस्पर्धा एवं आक्रामक विपणन रणनीतियों का प्रचलन है और ऐसे में वे कम लाभ प्रदान करने वाली जेनेरिक दवाओं के बजाय उच्च लाभ प्रदान करने वाली वाली ब्रांडेड दवाओं की बिक्री से अपने मुनाफे को अधिकतम बनाती हैं।
- **दवाओं की गुणवत्ता और निम्न स्तरीय उत्पादन पद्धतियां:** वर्तमान में जेनेरिक दवाओं के प्रत्येक बैच (लॉट) की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए उपयुक्त व व्यवस्थित प्रक्रिया निर्धारित नहीं है और इसके परिणामस्वरूप उनकी गुणवत्ता की निश्चित रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती है।
- **जेनेरिक दवाओं को प्रेस्क्राइब न किया जाना:** जेनेरिक दवाओं को सामान्यत: चिकित्सकों और स्वास्थ्य पेशेवरों (जो ड्रग के ब्रांडेड संस्करण को प्रेस्क्राइब करने के लिए फार्मा कंपनियों से कुछ निश्चित कमीशन/लाभ प्राप्त करते हैं) द्वारा प्रेस्क्राइब नहीं किया जाता है।
- **पर्याप्त जागरूकता का अभाव:** अधिकांश लोगों को दवाओं के रासायनिक या जेनेरिक नामों के बजाय दवाओं के ब्रांड नेम के बारे में पता होता है। इसके अतिरिक्त, लोगों में यह धारणा भी प्रचलित है कि जेनेरिक दवाओं की कीमत तुलनात्मक रूप से कम होने के कारण उनकी गुणवत्ता भी निम्न हो सकती है।
- भारत में अभी भी जेनेरिक दवाओं के निर्माण के लिए आधारभूत संरचना का अभाव है। अभी भी भारत के शहरी क्षेत्रों में तो जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र इससे अछूते हैं।
- भारत में जेनेरिक दवाओं के निर्माण के लिए अभी भी अनुसंधान एवं विकास का अभाव है। परिणामस्वरूप इन दवाओं का निर्माण उतना नहीं हो पा रहा है जितनी आवश्यकता है।
- भारत सरकार ने वैसे तो स्वास्थ्य पर अपना बजट बढ़ाया है लेकिन जेनेरिक दवाओं पर खर्च अभी भी कम है। इसके अलावा सरकार द्वारा चलाया जा रहा जागरूकता अभियान भी पर्याप्त नहीं है।

इन सब चुनौतियों के मद्देनजर जन औषधि जागरूकता अभियान चलाने के साथ-साथ भारत सरकार ने जेनेरिक दवाओं की पर्याप्त सुलभता के लिए मसौदा औषधि नीति, 2017 पर विचार किया है। वर्ष 2016 में सरकार ने घोषणा की थी कि जेनेरिक दवाओं के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार नियम लाएगी।

मसौदा औषधि नीति, 2017 एवं मुद्दे

- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवाओं के लेबलिंग मानकों में बदलाव किया है। दवा कंपनियों के लिए अब यह जरूरी होगा कि दवाओं के जेनेरिक नाम ब्रांड नाम की तुलना में दो फॉन्ट बड़ा लिखें।
- फॉन्ट के आकार में बदलाव सभी फॉर्म्युलेशन पर लागू होगा, हालांकि इसमें विटामिनों के कंबिनेशन और 3 तत्वों से ज्यादा फिक्स्ड डोज कंबिनेशन वाली दवाओं को शामिल नहीं किया गया है।
- जेनेरिक दवाओं को लिखना अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव भी अभी अंतिम रूप नहीं ले सका है, लेकिन दवा क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि जेनेरिक दवाओं के नाम लिखने के नियम में बदलाव किए जाने से जेनेरिक नाम देखने में सुविधा होगी।
- इसके पहले भी एक नियम था कि जेनेरिक नाम अधिक विशिष्ट तरीके से लिखा जाना चाहिए और अब उस नियम की खामियों को दूर करने की कवायद की गई है, जिससे कि इसे बेहतर तरीके से लागू किया जा सके।
- सरकार यह भी प्रस्ताव कर रही है कि हर केमिस्ट जेनेरिक दवाओं के लिए अलग शेल्फ रखें। इस बीच दवा तकनीकी सलाहकार बोर्ड ने सिफारिश की है कि केमिस्ट जेनेरिक दवाओं के लिए अलग रैक रखें, जिससे दवाएं ग्राहकों को नजर आ सकें।

सरकारी प्रयास

केंद्र सरकार जन औषधि केंद्र खोलने के लिए 2.5 लाख रुपये की आर्थिक मदद देती है। देशभर में इस समय लगभग 6200 जन औषधि केंद्र परिचालन में हैं। इन औषधि केंद्रों पर दवाईयां बेहद सस्ती दरों पर आम लोगों को उपलब्ध कराई जाती हैं। इस बार के बजट में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के लिए 69000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है । साथ ही साथ, इस बात पर खासा जोर दिया है कि 2020 तक देश के हर जिले में जन औषधि केंद्र (Jan Aushadhi kendra) खुल जाएंगे। इसके अलावा सरकार द्वारा उठाए गए मुख्य कदम निम्नलिखित हैं:

- मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) द्वारा अनुशंसा की गयी है कि प्रत्येक चिकित्सक को दवाएं उनके जेनेरिक नाम के साथ प्रेस्क्राइब करनी चाहिए।
- सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र में मौजूदा दवा कंपनियों की क्षमता का उपयोग करके जेनेरिक दवाएं वहनीय कीमत पर उपलब्ध करायी जा सकें।
- तमिलनाडु और राजस्थान जैसे राज्यों ने दवा खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर वर्ष दर वर्ष अत्यधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों पर जेनेरिक दवाओं की सफलतापूर्वक खरीद की है।
- इसके अलावा सरकार द्वारा देश भर में जेनेरिक दवाओं की पहुँच को सुनिश्चित किया जा रहा है।

आगे की राह

सरकार का उद्देश्य देश के दूरदराज इलाकों तक लोगों को सस्ती दवा पहुंचाना है। इसके लिए सरकार लोगों को जन औषधि केंद्र खोलने का अवसर भी दे रही है।

जन औषधि योजना का संचालन सरकार द्वारा एक सराहनीय कार्य है क्योंकि जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति शृंखला तंत्र में सुधार वर्तमान समय की मुख्य आवश्यकता है। इसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जेनेरिक दवाओं और ब्रांडेड दवाओं की जैविक विशिष्टताएं समान हों, इन दवाओं के लिए व्यापक स्तर पर विपणन और जागरूकता अभियान प्रारंभ किया जाना चाहिए। फार्मेसियों को इन दवाओं की उपलब्धता दर्शाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और मौजूदा दवा नियामक एवं गुणवत्ता नियंत्रण संरचना को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। साथ ही, ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया (BPPI) को जेनेरिक दवाओं के निर्माण में प्रभावी सहयोग एवं समन्वय स्थापित करना चाहिए, जिससे जेनेरिक दवाओं की पहुँच अधिक से अधिक लोगों तक हो सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे। स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

04 भारत में भूमि अधिग्रहण कानून : कितना किसान हितैषी

चर्चा का कारण

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की पाँच सदस्यीय संविधान पीठ ने 'भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013' की धारा 24 (2) की व्याख्या करते हुए अहम फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि इस अधिनियम के तहत सरकार द्वारा किया गया भूमि अधिग्रहण तभी निरस्त होगा, जब सरकार ने न तो मुआवजा दिया हो और न ही जमीन पर कब्जा किया हो।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या

भूमि अधिग्रहण कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि, जो जमीन मालिक मुआवजा लेने से इनकार करते हैं, वे भूमि अधिग्रहण रद्द करने का दबाव नहीं डाल सकते। पीठ ने कहा, उसकी मंशा यही है कि असली जमीन मालिक को लाभ मिल सके। अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू होने के बाद बीच में कई मध्यस्थ आ जाते हैं, जो जमीन की ज्यादा कीमत सरकार से वसूलने के लिए प्रक्रिया में बाधा पहुंचाते हैं।

पीठ ने कहा कि मुआवजे की रकम कोर्ट में जमा न करने से अधिग्रहण समाप्त नहीं मान सकते। सिर्फ उन्हीं मामलों में पुराने कानून के तहत शुरू अधिग्रहण प्रक्रिया रद्द होगी, जिनमें वर्ष 2013 के अधिनियम के प्रभावी होने वाले दिन (एक जनवरी, 2014) से पाँच वर्ष या इससे अधिक तक सरकार ने न तो मुआवजा दिया हो और न ही जमीन पर कब्जा किया हो। पीठ ने भूमि अधिग्रहण कानून की व्याख्या को लेकर 2014 में पुणे नगर निगम और 2018 में इंदौर विकास प्राधिकरण मामलों में आए फैसलों को निरस्त कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर जमीन मालिक जानबूझ कर मुआवजा नहीं ले रहा तो सरकार की गलती नहीं कह सकते। अगर सरकार मुआवजा दे चुकी है, लेकिन किसी मुकदमे के चलते कब्जा नहीं ले पाई, तो इसे भी सरकार की गलती नहीं मान सकते। सरकार की गलती तभी मानी जाएगी जब उसकी लापरवाही हो; जैसे अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करने के बावजूद न मुआवजा दिया हो और न कब्जा लिया हो।

पृष्ठभूमि

दरअसल उपरोक्त मामला सुप्रीम कोर्ट की पाँच सदस्यीय संवैधानिक पीठ के पास तब गया जब सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय दो पीठों ने अलग-अलग मामलों में परस्पर असंगत निर्णय दिया। पहला मामला सन् 2014 का है, जब सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने पुणे नगर निगम बनाम हरकचन्द्र मिश्रीमल सोलंकी मामले में कहा कि 2013 के कानून की धारा 24(2) के तहत भूमि अधिग्रहण की मुआवजा राशि यदि भू-स्वामी लेने से मना करता है तो सरकार को मुआवजा राशि कोर्ट के पास जमा करानी होगी न कि सरकारी खजाने में। यदि ऐसा नहीं होता है तो भूमि अधिग्रहण निरस्त माना जायेगा।

दूसरा मामला, फरवरी 2018 का है जब सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य तीन सदस्यीय पीठ ने इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम शैलेन्द्र के मामले में कहा था कि यदि भूमि अधिग्रहण कानून (2013) की धारा 24(2) के अंतर्गत भूमि मालिक खुद सरकार से भूमि अधिग्रहण की मुआवजा राशि लेने से इंकार करता/करते है/हैं; तो मुआवजा राशि सरकार खजाने में ही जमा करा दी जाये, कोर्ट के पास जमा कराने की कोई आवश्यकता नहीं है अर्थात् यदि भूमि अधिग्रहण के तहत मुआवजा राशि सरकारी खजाने में जमा कर दी जाती है तो भूमि अधिग्रहण का निरस्तीकरण नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त दोनों मामलों के तहत सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठों द्वारा दिये गये निर्णयों से उत्पन्न असमंजस की स्थिति को दूर करने हेतु 26 फरवरी, 2018 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने एक पाँच सदस्यीय संवैधानिक पीठ का गठन किया। इस संवैधानिक पीठ ने भूमि अधिग्रहण कानून, 2013 की धारा 24(2) को और स्पष्ट करते हुए अपना फैसला दिया है।

धारा 24 (2)

2013 में पारित भू-अधिग्रहण कानून की धारा 24 (2) में प्रावधान है कि अगर अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करने के पांच साल के भीतर सरकार या तो जमीन पर कब्जा नहीं लेती या मुआवजा नहीं देती तो अधिग्रहण रद्द माना जाएगा। संवैधानिक पीठ को यह तय करना था कि सरकार द्वारा राजकोष में जमा कराए मुआवजे को 'मुआवजा अदा किया गया' माना जाए या नहीं। कोर्ट को भूमि अधिग्रहण कानून, 2013 की धारा 24 (2) की व्याख्या करनी थी।

भूमि अधिग्रहण क्या है

भूमि अधिग्रहण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की निजी भूमि का अनिवार्य रूप से अधिग्रहण कर लिया जाता है। यह भूमि खरीदने की प्रक्रिया से अलग होता है, जिसमें इच्छुक विक्रेता और इच्छुक खरीदार आपसी रूप से स्वीकार्य शर्तों पर अनुबंध करते हैं। अधिग्रहण में भूमि मालिक के पास भूमि छोड़ने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं होता, और उसे जबरन अपनी भूमि छोड़नी पड़ती है। हालाँकि भूमि अधिग्रहण कानून (2013) में अलग-अलग परियोजनाओं में 70% और 80% भूमि मालिकों की सहमति का प्रावधान किया गया है। इसलिए, अधिग्रहण की प्रक्रिया निजी भूमि के मालिक के संपत्ति अधिकार रद्द कर देती है। ऐसा तभी न्यायसंगत होता है जब किसी व्यक्ति के भू-स्वामित्व अधिकारों को रद्द करने से जनता को बहुत बड़ा फायदा होता हो।

भारत में, भूमि अधिग्रहण समवर्ती सूची का विषय है, जिसके ऊपर केंद्र व राज्य दोनों का नियंत्रण होता है। भारत में भूमि अधिग्रहण का निर्धारण मुख्य रूप से 'भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार,

पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013' को ध्यान में रख कर किया जा रहा है। इसे भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के स्थान पर लाया गया है। अनेक राज्यों ने भी भूमि अधिग्रहण से संबंधित कानून तैयार किये हैं।

भूमि अधिग्रहण कानून, 2013

- भूमि अधिग्रहण कानून, 2013 का पूरा नाम 'भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013' है। यह अधिनियम भूमि अधिग्रहण एवं साथ ही पुनर्वास (Rehabilitation) तथा पुनर्स्थापन (Resettlement) का प्रावधान करता है। इस अधिनियम ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 को प्रतिस्थापित किया है।
- एक जनवरी, 2014 तक 'भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1994' भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को विनियमित करता था। यद्यपि 1894 के अधिनियम में भू-स्वामियों के लिए क्षतिपूर्ति का प्रावधान था किन्तु यह विस्थापित परिवारों के लिए पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना का प्रावधान नहीं करता था। 1894 के कानून की जगह एक नये कानून के आवश्यकता पर सुप्रीम कोर्ट सहित सभी ने जोर दिया था ताकि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया से संबंधित मुद्दों को बेहतर तरीके से विनियमित किया सके।
- 2013 के कानून के तहत होने वाली भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया, सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) सर्वेक्षण, अधिग्रहण का आशय स्पष्ट करते हुए प्रारम्भिक अधिसूचना व्यक्त करने, अधिग्रहण की घोषणा एवं निश्चित समय तक मुआवजा प्रदान किये जाने आदि को समाविष्ट करती है। इसके अंतर्गत, सभी अधिग्रहणों के लिए अधिग्रहण द्वारा प्रभावित लोगों को पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन प्रदान किया जाना आवश्यक है।
- भूमि अधिग्रहण कानून (2013) में उपबन्ध किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के मामले में अधिग्रहित भूमि के स्वामियों को दिया जाने वाला मुआवजा बाजार मूल्य की तुलना में चार गुना होगा और शहरी क्षेत्रों के मामले में बाजार मूल्य की तुलना में दोगुना होगा।
- भूमि अधिग्रहण कानून (2013) में यह भी उपबन्ध है कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहित किये जाने के लिए 70% और निजी कंपनियों के लिए 80% भू-स्वामियों की सहमति प्राप्त करने की अनिवार्यता होगी। इसके अतिरिक्त, निजी कंपनियों द्वारा बड़े भू-भागों की खरीद के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन का प्रावधान आवश्यक होगा।

भूमि अधिग्रहण कानून, 2013 में संशोधन

भूमि अधिग्रहण कानून, 2013 को और अधिक प्रासंगिक बनाने हेतु तथा भूमि अधिग्रहण में आ रही बाधाओं को समाप्त करने हेतु संसद में 'भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2015' पेश किया गया। हालाँकि यह विधेयक अभी तक संसद से पारित नहीं हो सका है। 2015 के संशोधन विधेयक के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं-

1. यह विधेयक पाँच अलग-अलग श्रेणियों की परियोजनाओं को निम्नलिखित अनिवार्यताओं से छूट प्रदान करने हेतु सरकार को सक्षम बनाता है-
   (i) सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए)
   (ii) निजी परियोजनाओं और पीपीपी परियोजनाओं के लिए क्रमशः 80% और 70% की सहमति।
   (iii) बहु-फसली भूमि के अधिग्रहण पर प्रतिबंध।
2. उपर्युक्त छूट प्राप्त परियोजनाएँ निम्नलिखित हैं-
   (i) रक्षा,
   (ii) ग्रामीण अवसंरचना,
   (iii) किफायती आवास,
   (iv) औद्योगिक गलियारे,
   (v) सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं सहित ऐसी अवसंरचना जिसमें भूमि का स्वामित्व सरकार के पास हो,
3. यदि भूमि अधिग्रहण के संबंध में अधिनियम 5 वर्ष पूर्व किया गया हो और मुआवजा प्रदान नहीं किया गया हो या कब्जा नहीं लिया गया हो तो ऐसे मामलों में इस अधिनियम का प्रभाव पूर्वव्यापी होगा (5 वर्ष की अवधि में उस अवधि की गणना नहीं की जायेगी जब न्यायालय द्वारा अधिग्रहण पर रोक लगायी गयी हो)।
4. भूमि अधिग्रहण, 2013 के अधिनियम में यह प्रावधान है कि यदि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में संबंधित विभाग द्वारा कोई गैर-कानूनी कार्य किया जाता है तो इसके लिए उस सरकारी विभाग के प्रमुख को दोषी माना जायेगा। यह विधेयक इस प्रावधान को समाप्त करता है और सरकारी कर्मचारी पर मुकदमा चलाने हेतु पूर्व अनुमति को आवश्यक बनाता है।

विश्लेषण

किसी भी देश के तीव्र विकास हेतु वहाँ आधारभूत ढाँचे की अत्यन्त आवश्यकता होती है। यह आधारभूत ढाँचा आर्थिक या सामाजिक किसी भी क्षेत्र का हो सकता है। आर्थिक आधारभूत ढाँचा के अन्तर्गत सड़क, रेलवे, पत्तन, पुल, नहरें, हवाई पट्टी आदि आते हैं, जबकि सामाजिक आधारभूत ढाँचे के अंतर्गत अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान आदि आते हैं। इन सामाजिक-आर्थिक आधारभूत ढाँचों के विकास हेतु भूमि अधिग्रहण नितांत जरूरी है लेकिन भारत में भूमि अधिग्रहण से संबंधित कई समस्याएँ आती हैं। आज भी देखा जाता है कि भूमि अधिग्रहण में विभिन्न प्रकार की धाँधली होती है। राजनेता, अधिकारी और कार्पोरेट का भ्रष्ट गठजोड़ भूमि अधिग्रहण के

लाभ को मूल भू-स्वामी तक पहुँचने में बाधा उत्पन्न करता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की पाँच सदस्यीय संविधान पीठ ने अपनी चिंता भी जाहिर की है और कहा कि उसका मकसद मूल भू-स्वामी को लाभ पहुँचाना है।

विशेषज्ञों ने 2015 के संशोधन विधेयक के कई प्रावधानों को महत्त्वपूर्ण बताया है तो कुछ प्रावधानों की आलोचना भी की है। 2015 के संशोधन विधेयक में यह प्रावधान है कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को तेज किया जायेगा अर्थात् 50 माह की अधिग्रहण समय सीमा को घटाकर 42 माह किया गया है, विशेषज्ञों द्वारा इस प्रावधान को महत्त्वपूर्ण बताया गया है। जबकि संशोधन विधेयक के उस प्रावधान की आलोचना की गयी है जिसमें उपबन्धित किया गया है कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में गैर-कानूनी कार्य हेतु विभाग के प्रमुख को दोषी नहीं माना जायेगा और किसी कर्मचारी पर मुकदमा चलाने हेतु पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे जवाबदेही में कमी आयेगी।

आगे की राह

सरकार को भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता लानी होगी ताकि अधिग्रहित भूमि का मुआवजा मूल भू-स्वामी तक पहुँच सके; इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय स्वागत योग्य है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के उचित कार्यन्वयन के लिए केन्द्र व राज्य सरकार को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- भारत में भूमि सुधार।

05 भारत में साझा अर्थव्यवस्था की बढ़ती संभावनाएँ

चर्चा का कारण

हाल ही में मैपल कैपिटल एडवाइजर्स (Maple Capital Advisors) ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि भारत में साझा अर्थव्यवस्था (Shared Economy) का आकार लगभग 2 बिलियन डॉलर का हो जायेगा।

परिचय

वैश्विक स्तर पर साझा अर्थव्यवस्था एक उभरती हुई अवधारणा है। आज ज्यादातर लोग संसाधनों का एक-दूसरे के साथ मिलाकर उपयोग कर रहे हैं, इससे साझा अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत प्लेटफार्म तैयार हो रहा है। पारम्परिक रूप से साझा अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जहाँ लोग अप्रयुक्त (किन्तु उपयोगी) संसाधनों, सम्पत्ति, सेवाओं आदि का एक-दूसरे के साथ साझा करके उपयोग करते हैं। इससे संसाधनों एवं सेवाओं का महत्त्म उपयोग सुनिश्चित होता है। निजी व्यक्तियों के अलावा साझा अर्थव्यवस्था की प्रणाली का लाभ छोटे-छोटे उद्योग या स्टार्टअप्स भी उठाते हैं, क्योंकि इनके पास प्रचुर मात्रा में संसाधन एवं पूँजी नहीं होती है जिससे ये आपस में मिल-जुलकर एक-दूसरे के संसाधनों का उपयोग करते हैं।

साझा अर्थव्यवस्था में इंटरनेट की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि यह लोगों को एक-दूसरे से आसानी से जोड़ देता है। इंटरनेट से सूचनाओं का तेजी से आदान-प्रदान होता है जिससे लोग आपस में संसाधनों एवं सेवाओं को साझा करने के लिए उल्लेखनीय रूप से प्रेरित होते हैं। इसके एक उदाहरण के तौर पर ओला एवं उबेर जैसी कम्पनियों द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली साझी सवारी (ेंतिम त्पकम) सुविधा को देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, लोग इंटरनेट के माध्यम से अपने अन्य संसाधनों (यथा-फर्नीचर आदि) को भी साझा करके लाभ उठा रहे हैं। दरअसल साझा प्रणाली के द्वारा ही आज ओला, उबेर, ओएलएक्स, रैपिडो आदि का व्यापार फल-फूल रहा है।

कई दशक बीतने के बाद लोगों की मानसिकता धीरे-धीरे बदली है। लोग अब संसाधनों के साझा उपयोग पर बल दे रहे हैं। मैपल कैपिटल एडवाइजर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि वैश्विक स्तर पर 1997 से 2014 तक की अवधि में साझा अर्थव्यवस्था के आकार में लगभग 60% की बढ़ोत्तरी दर्ज हुई है और यह 2025 तक लगभग 335 बिलियन डॉलर के मूल्य की हो सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर साझा अर्थव्यवस्था के तहत गतिशील उद्यमों ने पिछले 15 वर्षों में 26 बिलियन डॉलर से अधिक की फंडिंग (Funding) को आकर्षित किया है।

भारत में साझा अर्थव्यवस्था

भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपने विकासशील चरण में होने के बावजूद साझा प्रणाली में बेहतर प्रदर्शन किया है। मैपल कैपिटल एडवाइजर्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में साझा अर्थव्यवस्था ने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय रूप से बढ़ोत्तरी दर्ज की है, यथा-सह-कार्य (Co-working) , सह-जीवन (Co-living) , साझा गतिशीलता (Shared Mobility) और किराये पर फर्नीचर (Furniture Rental) ।

सह-कार्य में कई डिजिटल कम्पनियाँ इंटरनेट के माध्यम से लोगों व व्यापारिक इकाईयों को आपस में जोड़ रहीं हैं ताकि

संसाधनों को आपस में साझा किया जा सके, यथा-यवफिस (Awfis), वी वर्क इंडिया (We Work India) आदि। रिपोर्ट में सह-कार्य के लिए बाजार का आकार 500 मिलियन डॉलर का आँका गया है। सह-जीवन (Co-living) के क्षेत्र में स्टैंजा लिविंग (Stanza Living), ओयो लाइफ (OYO Life), ऑक्सफोर्ड कैप्स (Oxford Caps) आदि डिजिटल कम्पनियाँ सक्रिय हैं। रिपोर्ट में सह-जीवन के लिए बाजार का आकार 400 मिलियन डॉलर का आँका गया है। साझा गतिशीलता के क्षेत्र में उबेर (Uber), ओला (Ola), रैपिडो (Rapido) जैसी कम्पनियाँ सक्रिय हैं। रिपोर्ट में इस क्षेत्र के लिए बाजार का आकार 630 मिलियन डॉलर का आँका गया है। इसके अतिरिक्त, मैपल कैपिटल एडवाइजर्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में साझा अर्थव्यवस्था के तहत किराये पर फर्नीचर का बिजनेस भी खूब फल-फूल रहा है। इस क्षेत्र में फुरलेंको (Furlenco) और रेंटोमोजो (Rentomojo) जैसी कम्पनियाँ सक्रिय हैं। रिपोर्ट में इस क्षेत्र के लिए बाजार का आकार 200 मिलियन डॉलर का आँका गया है।

मैपल कैपिटल एडवाइजर्स के रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में सह-कार्य, सह-जीवन, साझा गतिशीलता, किराये पर फर्नीचर आदि क्षेत्रों में अभी तक लगभग 3.7 बिलियन डॉलर की फंडिंग को आकर्षित किया गया है। रिपोर्ट में आशा की गयी है कि भारत में अगले कुछ वर्षों में साझा अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों में भारी निवेश आने की सम्भावना है।

भारत इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा अर्थव्यवस्था में अग्रणी भूमिका निभा रहा है और इस अर्थव्यवस्था की क्रांति के शिखर पर है। भारत में कई अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियों ने साझा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में निवेश किया है तथा आगे आने वाले वर्षों में इसके और अधिक बढ़ने की सम्भावना है। भारत एशिया में भी साझा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में भी काफी निवेश (लगभग 3.7 बिलियन डॉलर) किया है ताकि इस क्षेत्र के संसाधनों का भी साझा रूप में उपयोग किया जा सके। साझा सेवाओं के मामले में भारतीयों ने उल्लेखनीय प्रगति की है जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति में बढ़ोत्तरी दर्ज हुई है।

भारत में साझा अर्थव्यवस्था के चालक

भारत में साझा अर्थव्यवस्था की बढ़ती लोकप्रियता के कई चालक (Driver) हैं जैसे कि शहरीकरण (Urbanization), डिजिटल कनेक्टिविटी (Digital Connectivity) आदि। आगे कुछ प्रमुख कारकों की संक्षिप्त रूप से चर्चा की गयी है-

शहरीकरण: हर वर्ष, अधिक से अधिक लोग बेहतर रोजगार की तलाश में गाँवों से शहरों की ओर पलायन करते हैं और शहरों में भी अधिक पलायन मेट्रो शहरों की ओर होता है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सन् 2018 में भारत की कुल आबादी का लगभग 34% शहरों में निवास करती है और 2030 तक यह आँकड़ा 40.76% तक पहुँचने की सम्भावना है। इस प्रकार भारत में लगातार शहरी आबादी के इजाफा होने से शहरों में अचल सम्पत्ति (यथा-भूमि आदि) के मूल्य में वृद्धि होने के साथ-साथ अन्य संसाधनों में तीव्र कमी आयी है, यही कारण है कि भारत में साझा व्यवसायों में तेजी देखने को मिल रही है।

उपर्युक्त के अलावा, शहरों में भागम-भाग जिंदगी से लोगों के पास समय की काफी अल्पता होती है, इससे भी साझा व्यवसायों के विकास में गति मिली है। इस प्रकार देखा जा सकता है कि शहरीकरण ने भारत में साझा अर्थव्यवस्था को गति प्रदान की है।

जनसांख्यिकीय कारक: भारत की आबादी वर्तमान में 1.3 बिलियन से अधिक है और भारत दुनिया में जनसंख्या के लिहाज से दूसरा स्थान रखता है, अतः भारत एक बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार है। भारत में 15 से 59 वर्ष की आयु की लगभग 64% जनसंख्या है, जो भारत में कार्यशील जनसंख्या एवं युवाओं की बड़ी आबादी को प्रदर्शित करती है। भारत में सहस्राब्दीआबादी (Millennial Population) लगभग 460 मिलियन है जो कुल जनसंख्या का 34.5% है। सहस्राब्दीआबादी से तात्पर्य उस जनसंख्या से है जो 80 और 90 के दशक के आस-पास जन्मी थी और आज नये भारत के निर्माण हेतु युवा जनसंख्या के रूप में कार्यशील है। 21वीं सदी में भारत की सहस्राब्दी आबादी ने संसाधनों पर स्वामित्व के बजाय व्यवसाय या रोजगार से अधिकतम लाभ अर्जित करने और जीवन की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान दिया है। यही कारण है कि अब लोग कार खरीदने के बजाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने हेतु ओला जैसी कम्पनियों के द्वारा सवारी (Rides) लेना अधिक पसंद करते हैं। इस प्रकार भारत में विशाल जनसंख्या और सहस्राब्दी आबादी की बदली हुई मानसिकता ने संसाधनों एवं सेवाओं के साझा उपयोग पर बल प्रदान किया है।

डिजिटल कनेक्टिविटी: चीन के बाद भारत दुनिया की दूसरी सबसे तेज डिजिटल अर्थव्यवस्था बन गया है; इसका कारण यहाँ स्मार्टफोन की अधिकता, इंटरनेट का अधिक उपयोग और ऑनलाइन लेन-देन में तीव्र वृद्धि है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में स्मार्टफोन के उपभोक्ता लगातार बढ़ रहे हैं और 2022 में 859 मिलियन तक पहुँचने की उम्मीद है। भारत सरकार द्वारा 2016 में विमुद्रीकरण करने के बाद, 2017 से 2018 की अवधि के बीच डिजिटल लेन-देन में 50.4% और 2019 में 58.8% की वृद्धि दर्ज की गयी है। इंटरनेट के बढ़ते उपयोग और सेवाओं के डिजिटलीकरण से साझा अर्थव्यवस्था का भारत में दिन-प्रतिदिन आकार बढ़ रहा है। कुछ विशेषज्ञों का यहाँ तक मानना है कि भारत में साझा अर्थव्यवस्था का मुख्य इंजन डिजिटलाइजेशन ही है। डिजिटलाइजेशन, साझा अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत प्लेटफार्म उपलब्ध करा रहा है जहाँ कोई भी व्यक्ति या बिजनेस इकाई संसाधनों या सेवाओं का आपस में लेन-देन कर सकता है।

उपभोक्ताओं के लिए सुविधा और आर्थिक प्रोत्साहन: संसाधनों का अधिक अनुकूल आवंटन के फलस्वरूप उनका तीव्र एवं सुलभ उपयोग सुनिश्चित हो पाया है। डिजिटलाइजेशन के कारण संसाधनों के अस्थायी एवं किराये पर उपयोग बढ़ा है। ओला, उबेर आदि कम्पनियाँ सेवाओं के लेने पर उपभोक्ताओं को तरह-तरह के आर्थिक प्रोत्साहन भी देती हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि भारत में निजी स्वामित्व वाले वाहन अपने जीवनकाल के लगभग 95% भाग में अनुप्रयुक्त ही रहते हैं, किन्तु ओला, उबेर, रैपिडो आदि जैसी डिजिटल कम्पनियों ने इनकी उपयोगिता को अधिकतम करने का प्रयास किया है, इसने न सिर्फ उपभोक्ताओं को लाभ पहुँचाया है बल्कि संसाधन मालिक भी लाभान्वित हुए हैं। किसी भी छोटी बिजनेस इकाई या स्टार्टअप्स के लिए आफिस को किराये पर उपयोग करना अधिक सस्ता एवं सुविधाजनक हुआ है (ऑफिस को खरीदने की अपेक्षा), यह को-वर्किंग स्पेस (Co-working Space) का एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस प्रकार उपयोग और सुविधा की प्रभावी लागत (Effective Cost) ने साझा व्यवसायों को गति प्रदान की है।

अन्य कारण: उपर्युक्त के अलावा, भारत में साझा अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के कुछ अन्य कारण निम्नलिखित हैं-

- न्यूक्लियर फैमिली और एकलता (Single-hood) की जिंदगी ने भी संसाधनों एवं सेवाओं के साझा उपभोग को बढ़ने हेतु प्रेरित किया है।
- भारत में पिछले कुछ समय से सामाजिक मान्यताएँ बदली हैं, अब कोई भी आसानी से किसी भी प्रकार का उद्यम अपना सकता है। उद्यम अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता ने भी साझा अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से गति प्रदान की है।
- भारत में अर्थव्यवस्था के आकार बढ़ने और लोगों की क्रय शक्ति समता (पीपीपी) बढ़ने से संसाधनों पर स्वामित्व अधिक महँगा एवं खर्चीला हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप लोग साझा व्यवसाय को वरीयता प्रदान कर रहे हैं।
- भारत में अब लोगों (मुख्यत: सहस्राब्दीआबादी) की मानसिकता बदली है और उनका कॉमन रिसोर्सेज (Common Resources) के आपसी सहयोग आधारित उपभोग पर विश्वास बढ़ा है।
- भारत में नैतिक शिक्षा और गवर्नेंस के बढ़ते दायरे ने लोगों के बीच विश्वास को बल प्रदान किया है जिससे साझा अर्थव्यवस्था को गति मिल रही है।

साझा अर्थव्यवस्था के लाभ

वित्तीय बचत: उपभोक्ताओं को साझा व्यवसाय से काफी बड़ी मात्रा में वित्तीय बचत होती है, क्योंकि साझा अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर स्वामित्व के बजाय उनके आपसी सहयोग आधारित उपयोग पर बल दिया जाता है।

सुविधा और दक्षता: संसाधनों को किराये पर लेना और साझा करना, अधिक सुविधाजनक और कुशल होता है, क्योंकि इससे इनकी देखभाल, रख-रखाव आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती है।

रोजगार सृजन: साझा उद्यमों ने भारत में कई नये रोजगारों का सृजन किया है। ओला और उबेर जैसी कम्पनियों ने लाखों ड्राइवरों की भर्ती करके उन्हें रोजगार प्रदान किया है। साझा अर्थव्यवस्था, डिजिटल प्लेटफार्म पर काफी अधिक केन्द्रित होती है; अत: इसने व्हाइट कॉल रोजगार भी भारी मात्रा में उत्पन्न किये हैं।

गरीबी में कमी: साझा अर्थव्यवस्था के द्वारा रोजगार के सृजन से भारत में गरीबी में भी धीरे-धीरे कमी आ रही है। भारत की एक बड़ी आबादी अशिक्षित है जो थोड़ा सा कौशल प्राप्त करके साझा सेवाओं में संलग्न है।

लचीलापन और गतिशीलता: साझा अर्थव्यवस्था लचीलापन और गतिशीलता को भी लाती है। कोई मंहगा सामान खरीदने के पश्चात उसे बदलना काफी कठिन हो जाता है और आज प्रौद्योगिकी के युग में नित नये वस्तुओं के मॉडल बाजार में आते रहते हैं, जैसे किसी ने यदि मंहगी कार खरीद ली है तो उसे छोटे समयान्तराल में बदलना मुश्किल होता है। किन्तु साझा व्यवसाय नयी वस्तुओं के अनुभव त्वरित गति से करा सकते हैं, अर्थात् इनमें लचीलापन और गतिशीलता है। यही कारण है कि सहस्राब्दीआबादी साझा उद्यमों की ओर अधिक उन्मुख है।

सामाजिक सौहार्द: साझा अर्थव्यवस्था ने विभिन्न समुदायों के बीच सामाजिक सौहार्द को बढ़ाया है और संसाधनों के स्वामित्व में वर्ग संघर्ष को भी कम किया है।

पर्यावरण की सुरक्षा एवं संधारणीय विकास: साझा अर्थव्यवस्था ने संसाधनों के महत्तम उपयोग को सुनिश्चित करके न सिर्फ पर्यावरण को अधिक हानि से बचाया है बल्कि संसाधनों को भावी पीढ़ियों के उपयोग हेतु भी सुरक्षित किया है। संसाधनों के साझा उपयोग से कचरे की समस्या भी कम होती है।

निवेश: भारत में साझा अर्थव्यवस्था ने देश एवं विदेश दोनों से निवेश (प्रौद्योगिकी एवं वित्त) को आकर्षित किया है। आज भारत में कई बड़ी-बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने विविध क्षेत्रों में संसाधनों एवं सेवाओं को साझा रूप में उपयोग करने हेतु निवेश किया है, यथा-ओला, उबेर आदि।

संसाधनों की पहुँच: संसाधनों के साझा उपयोग से अतिरिक्त संसाधनों की पहुँच ग्रामीण एवं वंचित लोगों के पास भी सुनिश्चित हो रही है।

चुनौतियाँ

भारत में साझा अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं-

- भारत में अभी ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल अवसंरचना काफी कमजोर स्थिति में है, जिससे साझा अर्थव्यवस्था के संसाधनों का यहाँ समुचित उपयोग सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है।

- भारत में अभी भी संसाधनों के साझा उपयोग हेतु लोगों में अपेक्षित जागरूकता नहीं है।
- हालाँकि भारत में गवर्नेंस की स्थिति में लगातार सुधार हुआ है किन्तु अभी भी गवर्नेंस में चुनौतियाँ व्याप्त हैं। जिसके कारण साझा अर्थव्यवस्था को अपेक्षित गति नहीं मिल पा रही है।
- साझा अर्थव्यवस्था के विनियंत्रण एवं निष्पक्ष बढ़ावा हेतु राष्ट्रीय स्तर पर कोई स्पष्ट नीति व कानून नहीं है।

साझा अर्थव्यवस्था में विनियमन

- सह-कार्य (Co-working) और सह-जीवन (Co-living) खंड अभी अपने प्रारम्भिक चरण में हैं, अत: इन क्षेत्रों में नियमन हेतु भारत में अभी कोई विशिष्ट नीति या नियामक ढाँचा परिभाषित नहीं है। हालाँकि इनमें वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के प्रावधान लागू होते हैं।
- साझा गतिशीलता (Shared Mobility) के तहत एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने हेतु वाहनों को साझा करने में 'मोटर वाहन अधिनियम, 1988' के प्रावधान लागू होते हैं। हालाँकि मोटर वाहन अधिनियम व्यक्तिगत/निजी और वाणिज्यिक सवारी (Rides) के बीच अंतर नहीं करता है। निजी कार पूलिंग स्पेस में हालिया उतार-चढ़ाव को देखते हुए, भारत सरकार निजी कार मालिकों द्वारा राइड शेयरिंग के लिए दिशा-निर्देशों को मजबूत करने पर विचार कर रही है।

आगे की राह

साझा अर्थव्यवस्था के कई लाभ हैं, अत: सरकार को इसके लाभों को और अधिक बढ़ाने हेतु एक स्पष्ट नीति बनानी होगी। इस नीति में लघुकालिक एवं दीर्घकालिक दोनों प्रकार के लक्ष्यों को निर्धारित करना होगा। लघुकालिक लक्ष्य वर्तमान में आ रहीं समस्याओं के निदान हेतु होने चाहिए जबकि दीर्घकालिक लक्ष्य साझा अर्थव्यवस्था के दूरगामी परिणामों को निर्धारित करने में सहायक होने चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।

06 भारतीय सामुद्रिक इलाकों का विकास : समय की माँग

संदर्भ

पिछले कुछ वर्षों के दौरान नीतिगत परिचर्चाओं में सामुदिक क्षेत्र को लेकर काफी संवाद हुए हैं। केंद्रीय बजट 2020-21 में सामुद्रिक क्षेत्र का जिक्र केवल एक बंदरगाह के निजीकरण करने और इसे शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने के हवाले से हुआ है। इसके अलावा राष्ट्रीय जल परिवहन-प्रथम के अंतर्गत जल विकास मार्ग को पूरा करने और 890 किलोमीटर लंबे धुबरी-सदिया अंतर्देशीय जल मार्ग संयोजन के संदर्भ में ही सामुद्रिक क्षेत्र का जिक्र बजट में किया गया है।

परिचय

भारत का सामुद्रिक क्षेत्र लंबे समय से मुख्यत: जहाजरानी के मार्गों का माना जाता रहा है जो भारत की घरेलू और बाह्य व्यापारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसके अतिरिक्त जहाज निर्माण के एक छोटे से सेक्टर (इसमें सरकार के स्वामित्व वाले वो शिपयार्ड शामिल नहीं हैं, जहां सामरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जहाज बनाए जाते हैं) और सामान के निर्यात में इस्तेमाल होने वाले बड़े बंदरगाहों और घरेलू स्तर पर सामान की आवाजाही के लिए प्रयुक्त होने वाली छोटी जेटी ही इस क्षेत्र में सम्मिलित की जाती हैं। हाल के वर्षों में तमाम स्तरों पर सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं जिनके तहत सामुद्रिक क्षेत्र की संभावनाओं को आगे लाने का प्रयासों में तेजी से लाई जा सके ताकि लॉजिस्टिक्स की लागत को कम किया जा सके और अर्थव्यवस्था को और प्रतिद्वंदी बनाया जा सके। साथ ही इसके माध्यम से निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। अंतर्देशीय जलमार्गों, तटीय जल परिवहन, बंदरगाहों पर आधारित औद्योगिक विकास और इनसे उत्पन्न सकारात्मक ऊर्जा से अर्थव्यवस्था को होने वाले लाभ की संभावनाओं को आज अधिक मान्यता मिल रही है। ये मानना भी सही है कि एक सकारात्मक ऊर्जा से ओत-प्रोत सामुद्रिक क्षेत्र के निर्माण के लिए जहाज निर्माण, बंदरगाहों और टर्मिनल व गोदामों की आवश्यकता भी है। जहाज निर्माण के क्षेत्र में विशेष तौर पर निजी क्षेत्र के शिपयार्ड पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, ताकि उनके व्यापार को स्थायित्व मिल सके और उसमें वृद्धि भी हो सके। हालांकि, हाल के वर्षों में भारत ने सामुद्रिक क्षेत्र के आमूलचूल परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। भारत ने छोटे-छोटे बंदरगाहों की स्थापना और इनके संचालन में सफलता हासिल की है। इसके अतिरिक्त जहाज निर्माण की आधुनिक सुविधाओं का भी विस्तार किया गया है।

वर्तमान स्थिति

भारत के पास 13 मुख्य बंदरगाह और लगभग 200 गैर प्रमुख बंदरगाह हैं। भारतीय पत्तनों की कुल कार्गो (मालवाहन) क्षमता मार्च, 2019 के अंत तक 1,452.64 मिलियन टन प्रति वर्ष थी। पाराद्वीप, चेन्नई, विशाखापत्तनम, दीन दयाल ज(काण्डला) और जे.एन. जीटी. जैसे पत्तनों के पास मार्च 2019 तक उच्चतम कार्गो क्षमता थी। भारतीय कंपनियों

के स्वामित्व वाले जहाजों की कुल संख्या 2010 में 1,040 थी जो अगस्त 2019 में बढ़कर 1,414 हो गई।

वर्ष 2013-14 से वर्ष 2016-17 के बीच कुल बंदरगाह यातायात में तो वृद्धि दर्ज की गई लेकिन इसमें वर्ष 2017-18 से बंदरगाह यातायात के क्षेत्र में गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि अप्रैल-दिसम्बर, 2019 में प्रमुख बन्दरगाहों में वर्ष दर वर्ष लगभग 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

जहाजों पर से माल उतारने और लादने की क्रिया से संबंधित समय (जहाज वापसी का समय), जो नौ परिवहन क्षेत्र की कुशलता का एक मुख्य संकेतक है उसमें लगातार गिरावट हुई है, जो 2010-11 से 2018-19 के बीच आधा होकर 2.48 दिन रह गया है। जहाजों के टर्नअराउण्ड टाइम में सभी प्रमुख बंदरगाहों में कमी आई है।

वर्तमान कुल घरेलू परिवहन में जल परिवहन का हिस्सा नगण्य है, जो महज 0.24 फीसदी ही है। वहीं रेल का 36.6 फीसदी तथा सड़क परिवहन का हिस्सा 50.12 फीसदी है। देश में जहाजों की औसत कार्य अवधि 14 वर्ष की है जबकि विदेशों में यह अवधि 18 से 20 वर्ष है।

सरकारी प्रयास

- समुद्री क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार ने कई नई योजनाएं आरंभ की हैं। इनमें सागरमाला परियोजना और अंतर्देशीय जल परिवहन के नए मार्गों का विकास और वृद्धि शामिल है।
- सागरमाला योजना का लक्ष्य निर्यात में प्रतिद्वंदिता के विकास को प्राप्त करना है। इसकी परिकल्पना है कि बंदरगाह पर आधारित विकास का एक नया मॉडल विकसित किया जाए. जिसमें पुराने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण और क्षमता विस्तार, एवं नए बंदरगाहों का विकास सम्मिलित है।
- जहां सागारमाला परियोजना का लक्ष्य बंदरगाहों पर आधारित विकास का मॉडल बनाना है वहीं, अंतर्देशीय जल परिवहन के जलमार्गों के विकास से घरेलू सामान ढुलाई के परिवहन को जलमार्ग पर अधिक से अधिक आधारित बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि ये अंतर्राष्ट्रीय कार्गो परिवहन के फीडर के तौर पर भी विकसित हो सके।
- 2016 का नेशनल वाटरवेज एक्ट ने 111 नदियों, खाड़ियों, नदी के मुहानों (जिनकी कुल लंबाई करीब 15 हजार किलोमीटर है), को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है। इसके अंतर्गत व्यापक स्तर पर वाणिज्यिक जल परिवहन और नौवहन व्यवस्था के विकास का लक्ष्य रखा गया है। इन जलमार्गों को डेडीकेटेड फ्रंट कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा, ताकि इनका बेहतर इस्तेमाल हो सके।
- योजना के अनुरूप, अंतर्देशीय जल मार्गों के नेटवर्क को विकसित करने के लिए करीब 22 हजार 763 करोड़ रुपए की पूंजी आवंटित की गई है।
- जिन प्रोजेक्ट को बनाने की फिलहाल पहचान कर ली गई है, उनकी लागत का अनुमान 6.01 लाख करोड़ रुपए लगाया गया है। इन सभी प्रोजेक्ट को 2015 से 2035 के दौरान विकसित किया जाना है। विदित हो कि इनमें से 121 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं।
- करीब 3 लाख करोड़ रुपए की लागत वाले 200 प्रोजेक्ट पूरे होने के अलग-अलग चरणों में पहुंच चुके हैं। इन प्रोजेक्ट को मुख्य तौर पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच भागीदारी के माध्यम से पूरा किया जा रहा है।
- बंदरगाह आधारित औद्योगिक विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 14 ग्रीनफील्ड औद्योगिक क्षेत्र और विशेष आर्थिक क्षेत्रों को अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त पुराने बंदरगाहों की क्षमता का विकास भी किया जा रहा है। करीब दो लाख करोड़ रुपए के निवेश से 30 औद्योगिक और समुद्री क्षेत्रों के विकास को भी सागरमाला परियोजना के तहत अनुमति दी गई है।
- भारत ने नवंबर, 2019 में आईएमओ के हॉन्गकॉन्ग अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन ऑफ शिप्स को लागू करके सुरक्षित और पर्यावरणीय रूप से अनुकूल पुनर्चक्रण का गंतव्य बन गया है। इसमें कन्वेंशन के वे प्रावधान भी शामिल हैं जो शिपब्रेकिंग कोड (संशोधित), 2013 में शामिल नहीं हैं। इस अधिनियमन के साथ, जहाज पुनर्चक्रण की मात्रा 2024 तक दोगुनी होने की उम्मीद है।
- भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने बायोमेट्रिक नाविक पहचान दस्तावेज (बीएसआईडी) जारी किया है, जो नाविकों के चेहरे के बायोमेट्रिक डेटा को संग्रहित कर रहा है।
- दिसंबर, 2019 में नाविकों के प्रमाणपत्रों की पारस्परिक मान्यता के लिए स्वीडन के साथ एक और समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है।
- एक अन्य महत्वपूर्ण कदम के तहत उत्तर पूर्व क्षेत्र (एनईआर) के लिए यात्री, क्रूज सेवाओं और कार्गो आवागमन को बढ़ावा देने के लिए, बांग्लादेश के चटगाँव और मोंगला बंदरगाह के माध्यम से वैकल्पिक संपर्क मार्ग पहली बार उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए उपयोग किया गया।
- पोर्ट और मैरीटाइम सेक्टर में कौशल विकास के लिए सागरमाला दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयूजीकेवाई) के चरण 2 के तहत गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कौशल विकास का कार्यक्रम शुरू किया गया है।
- जहाजरानी मंत्रालय ने भारत में 478.9 करोड़ रुपये की कुल लागत के साथ

लोथल (गुजीरत) में एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना को मंजूरी दे दी है, जो देश का सबसे पहला विश्व स्तरीय परिसर है, जिसने हड़प्पा काल से भारत की समृद्ध समुद्री विरासत विरासत को प्रदर्शित किया गया है।

इन कार्यक्रमों से लाभ

- सागरमाला परियोजना के तहत बंदरगाहों के बीच संपर्क बेहतर करने की जो परिकल्पना की गई है, वो मूलभूत ढांचे के विस्तार के बेहद महत्वपूर्ण कदम हैं, जो अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई मांग को पूरा करेंगे।
- बंदरगाहों को ऐसी जगहों पर बनाने की योजना है, जहां पर परिवहन के अन्य माध्यम भी उपलब्ध हैं जिनसे रेल, सड़क और जल मार्गों को आपस में जोड़ा जा सकेगा। उदाहरण के तौर पर वाराणसी का मल्टीमोड हब को लिया जा सकता है। अगर इसे पूरी तरह विकसित किया जाएगा तो अंतर्देशीय जलमार्ग बुनियादी ढांचे के विकास के कई प्रोजेक्ट को आपस में जोड़ेगी।
- इन कार्यक्रमों को लागू करने से पूरे देश में निवेश के अवसर भी खुलेंगे। अंतर्देशीय जलमार्गों के नेटवर्क का प्रयोग करने से सामान की ढुलाई का खर्च परिवहन के मौजूदा माध्यमों के मुकाबले काफी कम होने की संभावना है।
- सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से अर्थव्यवस्था में और प्रतिद्वंदिता आएगी, इससे घरेलू बाजार का और विस्तार भी होगा। उत्तर-पूर्व के राज्यों में सामान की ढुलाई इसी अंदरूनी नेटवर्क के जरिए की जा सकेगी।
- उपर्युक्त योजनाओं से अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण निवेश बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं और इनसे विकास को भी नई रफ्तार मिल सकेगी।
- सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों से 'मेक इन इंडिया' जैसे कार्यक्रमों को नया आयाम मिलेगा।
- बंदरगाहों के विकास से वैश्विक स्तर पर भारत की शाख में वृद्धि होगी, सड़कों पर वाहनों की संख्या में कमी आएगी, प्रदूषण की समस्या से निपटने में आसानी होगी तथा आन्तरिक व्यापार के साथ-साथ वैश्विक व्यापार में भी वृद्धि होगी। इससे भारत की अर्थव्यवस्था के निर्धारित लक्ष्य (5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था) को हासिल करने में मदद मिलेगी।

चुनौतियाँ

- इस समय भारत के कुल परिवहन में जलमार्गों की भागीदारी मात्र छह प्रतिशत है, जो विकसित देशों और कई विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले बेहद कम है।
- भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों के बीच सीधी कनेक्टिविटी का अभाव है।
- विकसित देशों की तुलना में बजट की कमी।
- विभिन्न देशों के साथ जो समझौते हुए हैं उन समझौते पर विशेष प्रगति नही हों पा रही है।
- विश्व बेड़े में भारत की मात्र 0.9 प्रतिशत ही भागीदारी है जो भारत की सामुद्रिक सीमा की तुलना में बहुत कम है।
- कुल बंदरगाह यातायात में गिरावट दर्ज की जा रही है।
- जहाजों पर माल उतारने और लादने की क्रिया से संबंधित समय में भी गिरावट दर्ज की जा रही है।
- चीन की योजना वन बेल्ट वन रोड (one belt one Road) योजना तथा श्रीलंका के हंबनटोटा में नए पोर्ट का निर्माण जो भारतीय सामरिक क्षेत्र के समक्ष महत्त्वपूर्ण चुनौती उपस्थित कर रहा है।
- पिछले 25 वर्षों में जल परिवहन को विकसित करने के लिए 9 समितियाँ गठित की गई। इन समितियों ने जलमार्ग के विकास पर मुहर भी लगाई लेकिन जलमार्ग विकास के क्षेत्र में आने वाली बाधाओं से निपटने के लिए कोई ठोस पहल नहीं की गई है।
- जहाजरानी उद्योग के कलपुर्जे काफी पुराने हैं, जिसके कारण मरम्मत पर अत्यधिक लागत आती है।
- अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों पर प्रति कंटेनर 2-4 श्रमिकों की आवश्यकता होती है जबकि भारतीय बंदरगाहों पर 55 से 60 की जरूरत पड़ती है। परिणामस्वरूप ढुलाई की लागत बढ़ जाती है।
- वर्ष 1990-91 में ही जहाजरानी उद्योग में सुधार के लिए नई नीति घोषित की गई थी। लेकिन इसमें कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला है।

आगे की राह

- भारत का सामुद्रिक क्षेत्र, अपनी संभावनाओं के अनुरूप देश के विकास में योगदान देने में सक्षम नहीं हो सका है। यह क्षेत्र छोटा और अर्थव्यवस्था में मामूली उपलब्धि वाला बना हुआ है। इसकी गतिविधियाँ महज कुछ जहाजरानी कंपनियों, बड़े बंदरगाहों और सरकार के स्वामित्व वाले शिपयार्ड तक सीमित हैं। इसके माध्यम से सीमित और तय आवश्यकताएं ही पूर्ण की जाती हैं।
- हम जल परिवहन के क्षेत्र में काफी लाभ की संभावनाएं देखते हैं, आवश्यकता इस बात की है कि जलीय परिवहन की योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए जिससे अधिकतम संपर्क वाले प्रोजेक्ट को इन्फ्रॉस्ट्रक्चर पाइपलाइन के साथ जोड़ा जा सके।
- एक सामुद्रिक विकास फंड (MDF) बनाने की आवश्यकता है जिससे इस क्षेत्र विशेष की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति इस तरह की जा सके, ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिद्वंदिता हासिल कर सकें।

- अंतर्देशीय जलमार्गों के मध्य सीधी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच संपर्क के नेटवर्क की आवश्यकता है जिसके लिए जल-परिवहन के साथ-साथ सड़कों, पुलों और अंडरग्राउण्ड सड़कों का विकास किया जाना चाहिए।
- इसके अलावा बंदरगाहों, टर्मिनलों, नदी किनारे की जेटी, गोदाम, नौका निर्माण की कार्यशालाएं, मरम्मत के यार्ड तथा उनसे जुड़े हुए उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए। इससे मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
- इस क्षेत्र में बजट आवंटन में वृद्धि करने की आवश्यकता है।
- विभिन्न देशों के साथ हुए समझौते पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे कलपुर्जों के साथ-साथ नई तकनीकी भी प्राप्त की जा सके।
- जो भी परियोजनाएँ चल रही हैं उन्हें समय रहते पूरा करने की आवश्यकता हैं। इससे न केवल भारत की वैश्विक छवि मजबूत होगी बल्कि चीन के विरूद्ध भारत की सामरिक स्थिति भी मजबूत होगी।
- समितियों द्वारा सुझाए गए उपायों पर शीघ्र ध्यान देने की जरूरत है।
- इसके अलावा बंदरगाहों तथा जहाजरानी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई नीति भी बनाने की आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- बुनियादी ढाँचाः ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि।

07 भारत में अवैध रेत खनन : चुनौतियाँ एवं समाधान

संदर्भ

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश में अवैध रेत खनन की निगरानी और जाँच के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। हालांकि 2016 के दिशानिर्देश देश में रेत खनन के वैज्ञानिक और स्थायी प्रबंधन पर केंद्रित थे लेकिन उन दिशानिर्देशों के उचित कार्यान्वयन और प्रवर्तन की तत्काल आवश्यकता थी क्योंकि अवैध रेत खनन का मुद्दा अभी भी व्याप्त है। 2020 के दिशानिर्देश इन खामियों को दूर करते हैं तथा प्रवर्तन और कार्यान्वयन पहलुओं के साथ गैरकानूनी रेत खनन के मुद्दे पर सख्ती से निगरानी पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

परिचय

लाखों वर्षों की अवधि में चट्टानें स्वाभाविक रूप से अपक्षरित होती रहती हैं और उनका यही अपक्षरण नदियों में रेत के रूप में इकट्ठा होता है। नदी की पेटी से रेत का उत्खनन किया जाता है। नदी रेत अब एक दुर्लभ वस्तु बनती जा रही है। निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी अन्य रेत की तुलना में नदी (ताजे पानी) रेत निर्माण-कार्य के उद्देश्य से अधिक बेहतर होती है और पानी के बाद दुनिया में दूसरी सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला संसाधन है। परिमाण के लिहाज से देखें तो धरती के नीचे से खनन किये जाने वाले तमाम खनिजों में रेत का हिस्सा दो तिहाई से कुछ ज्यादा है और यह भी ध्यान देने की बात है कि रेत एक संसाधन के रूप में असीमित मात्रा में उपलब्ध नहीं है। इस संदर्भ में, संयुक्त राष्ट्र संघ का कहना है कि जल्दी ही हमें रेत के अभाव का सामना करना पड़ सकता है।

खनन से संबंधित विधायी प्रक्रिया

भारत के संघीय ढाँचे में राज्य सरकारें अपनी संबंधित सीमाओं के भीतर अवस्थित खनिजों की स्वामी होती है। केन्द्र सरकार, भारत की जल सीमा अनन्य आर्थिक खेत्र (ईईजेड) के भीतर समुद्र के नीचे अवस्थित खनिजों की स्वामी है।

रेत का महत्त्व

निर्माण कार्यों के लिए लोग हर साल 40 बिलियन टन से अधिक रेत और बजरी का उपयोग करते हैं। रेत की माँग इतनी है कि दुनिया भर में नदी-तल और समुद्र तट खाली होते जा रहे हैं। खनन किए जा रहे रेत की मात्रा तेजी में बढ़ रही है। हालाँकि रेगिस्तानी रेत आमतौर पर निर्माण-कार्य के लिए उपयोगी नहीं है, पानी की बजाय हवा की चोट से आकार ग्रहण करने के कारण रेगिस्तान रेत इतना ज्यादा गोल होता है कि इसके दो कण आपस में मजबूती से बाँध नहीं पाते। विकासशील देशों में रेत के महत्त्व की अनदेखी नहीं की जा सकती। जिन घरों में हम रहते हैं उनके निर्माण के लिए हमें रेत

की जरूरत होती है और जिस शीशे के ग्लास से हम पानी पीते हैं और जिन कम्प्यूटरों के जरिए हम काम करते हैं उनके भी निर्माण के लिए हमें रेत की जरूरत पड़ती है। इसके बावजूद रेत को जिस तेजी से निकाला जा रहा है उसकी भरपायी नहीं की जा सकती। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (MMDR, Act) की धारा 3 (ई) के तहत रेत को एक गौण खनिज के रूप में परिभाषित किया गया है। एमएमडीआर अधिनियम की धारा 15 सरकारों को गौण खनिजों के संबंध में खनिज रियायतों के अनुदान के विनियमन और इससे जुड़े उद्देश्यों के लिए नियम बनाती है। इसलिए, गौण खनिजों के लिए खनिज रियायतों के अनुदान का विनियमन राज्य सरकारों के विधायी और प्रशासनिक क्षेत्र के भीतर है। कई राज्यों में रेत की प्राकृतिक उपलब्धता पर्यावरणीय ह्रास, मूल्य निर्धारण में अनियमितता और अवैध रेत खनन के कारण मांग को पूरा करने में असमर्थ है।

सतत् रेत खनन प्रबंधन दिशा-निर्देश,2016

- यह जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाले जिला पर्यावरण आंकलन प्राधिकरण द्वारा जिला स्तर पर रेत और अन्य गौण खजिनों के खनन के लिए खदान पट्टा क्षेत्र हेतु पाँच हेक्टेयर तक के क्षेत्र के लिए पर्यावरण मंजूरी प्रदान कर सकता है।
- राज्य 50 हेक्टेयर तक खदान पट्टा क्षेत्रों के लिए मंजूरी दे सकते हैं, जबकि केन्द्र द्वारा 50 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों के लिए अनुमति प्रदान की जाती है।
- यह बार कोडिंग (BAR CODING), रिमोट सेंसिंग जैसे उपकरणों के माध्यम से रेत खनन की सख्त निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग की आवश्यकता पर बल देता है।
- यह प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाली रेत और बजरी पर निर्भरता को कम करने के लिए निर्माण सामग्री और प्रक्रियाओं में विनिर्मित रेत, कृत्रिम रेत, फ्लाई ऐश के साथ वैकल्पिक तकनीकों को प्रोत्साहन दिए जाने की मांग करता है।
- यह रेत पर निर्भरता को कम करने के लिए आर्किटेक्ट्स और इंजीनियरों के प्रशिक्षण, नए कानूनों और विनियमों तथा सकारात्मक प्रोत्साहनों की भी माँग करता है।

रेत खनन के लिए प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश 2020

प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश 2020 रेत खनिज स्रोतों की पहचान से लेकर उसके प्रेषण और उपभोक्ताओं तक अंतिम उपयोग के लिए रेत खनन की प्रभावी निगरानी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- यह नदियों के ऑडिट के लिए राज्यों को निर्देशित करता है।
- इसमे सभी खनन क्षेत्रों की विस्तृत सर्वेक्षण रिपोर्ट का संचालन करने और रिपोर्ट को ऑनलाइन सार्वजनिक करने का प्रावधान किया गया है।
- इन दिशानिर्देशों में नदी तल के पुनर्भरण का अध्ययन किए जाने का भी प्रावधान है।
- इन दिशा निर्देशों मे कहा गया है कि मानसून के दौरान किसी भी नदी के किनारे खनन की अनुमति नहीं होगी।
- ड्रोनों के माध्यम से हवाई सर्वेक्षण और जमीनी सर्वेक्षण द्वारा निरंतर निगरानी के लिए जिला स्तरों पर समर्पित कार्य बलों की स्थापना।
- प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए रेत और नदी तल सामग्री खनन की ऑनलाइन निविदाएं।
- ये दिशा निर्देश नाइट-विजन ड्रोन के माध्यम से खनन गतिविधियों की रात्रि में निगरानी का भी प्रस्ताव करते हैं।

खनन से जुड़ी चुनौतियाँ

- पेट्रोलियम की तुलना में खनिज उत्खनन को प्राथमिक तौर पर फंडिंग की कमी से जूझना पड़ता है। देश में खनिज भण्डारों की पहचान और संबंधित सवंर्धन की मुख्य एजेंसी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (जीएसआई)का भी मानना है कि सरकार की ओर से जारी की जाने वाली फंडिंग बड़े पैमाने पर उत्खनन के लिए पर्याप्त नहीं है।
- खनन क्षेत्र को सरकार की ओर से बेहतर सहयोग न मिलने का ही नतीजा है कि भारत की जीडीपी में खनन उद्योग की हिस्सेदारी महज दो से ढ़ाई फीसदी के स्तर पर ही रूकी हुई है। वहीं दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया में खनन सेक्टर की हिस्सेदारी वहाँ की जीडीपी की 9 फीसदी जबकि इंडोनेशिया के मामले में खनन सेक्टर की हिस्सेदारी जीडीपी की 12 फीसदी है।
- पर्यावरण मंजूरी का समय पर न मिलना भारत में खनन कंपनियों के समक्ष एक बड़ी समस्या के तौर पर सामने आती है जो अवैध खनन को भी बढ़ावा देता है।
- रेत के खनन से भी संबंधित चुनौतियों में नीलामी के दौरान खनन कंपनियों के मध्य व्यवसायी समूहन (कार्टलाइजेशन) के कारण राजस्व की हानि एक बड़ी समस्या है।
- कई शहरों में रेत की अनुपलब्धता के कारण वहाँ इसकी उच्च कीमतें और सरकार द्वारा सुदृढ़ निगरानी प्रणाली और विनियमन की अनुपस्थिति, के कारण सीमेंट के साथ निम्न गुणवत्ता वाली रेत के मिश्रण से दुर्बल इमारतों का निर्माण आदि।
- पर्यावरणविदों का मानना है कि भारत में पिछले पाँच सालों में हुए अवैध रेत-उत्खनन के कारण गंभीर नतीजे उभरकर सामने आये हैं। शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में मकान बनाना आम इंसान के लिए बहुत महंगा हो चला है और आवासों के निर्माण-कार्य में लगी फर्मो तथा आवासों के छोटे विक्रेताओं को रेत की तेजी से बढ़ती हुई कीमतों के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा है।
- कई खनन माफियों द्वारा रेत का अवैध खनन किया जाता है। अकसर समाचारों में खनन माफियों द्वारा पुलिस वालों की हत्या के मामले भी देखने को मिलते हैं।

- अवैध खनन से सरकारों को अत्यधिक राजस्व की हानि भी होती है। अगर अवैध खनन पर लगाम लगाई जाती है तो इससे प्राप्त राजस्व का उपयोग सरकार कल्याणकारी योजनाओं या अवसरंचनाओं के निर्माण में कर सकती है।

रेत का विकल्प

- तेज गति से बढ़ते शहरीकरण में रेत की माँग तेजी से बढ़ रही है क्योंकि रेत तथा सीमेंट कंक्रीट के निर्माण में इस्तेमाल किया जाने वाला मुख्य अवयव है। इसलिए इसके अवैध खनन और इसकी कम होती उपलब्धता के कारण इसके अन्य विकल्पों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके दो अन्य संभावित विकल्प हो सकते हैं: 1. एम-सैंड (एम-बालू/रेत) 2. रेत का आयात
    - **एम-सैंड:** विनिर्मित रेत या एम-सैंड नदी से निकाले जाने वाले रेत का सबसे प्रचलित विकल्प है और इस रेत के इस्तेमाल पर दक्षिण के राज्यों में पर्याप्त जोर दिया जा रहा है। ये रेत चट्टानों और खदानों के पत्थरों को चूर्ण करके बनाया जाता है। प्राकृतिक रेत की आपूर्ति में कमी के कारण कर्नाटक ने एम-सैंड के उत्पादन के प्रयास तेज कर दिये हैं। इस राज्य में एम.सैंड के उत्पादन की 164 इकाईयां हैं।
    - **रेत का आयात:** माँग और आपूर्ति में संतुलन स्थापित करने का एक तरीका रेत का आयात भी हो सकता है। भारत अपने दक्षिण-एशियाई पड़ोसी देशों से रेत का आयात कर रहा है जैसे-(मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम आदि। कर्नाटक पहले ही नियमों के अनुसार दक्षिण एशियाई देशों से रेत का आयात कर रहा है और इस दिशा में तमिलनाडु और केरल भी आगे बढ़ रहे हैं।

संधारणीय खनन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए कदम

- खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियमन, 1957 की धारा 23 (ग) के तहत राज्य सरकारों को अवैध खनन पर नियंत्रण के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया था।
- राज्य सरकारों को रेल, सीमा-शुल्क और बंदरगाह प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों को शामिल करके अवैध खनन को नियंत्रित करने के प्रयासों का समन्वय करने के लिए राज्य समन्वय-सह-अधिकार प्राप्त समिति (एससीईसी) गठित करने की सलाह दी गई थी।
- सभी राज्य सरकारों को सुदूर-संवेदन के उपयोग, यातायात पर नियंत्रण, बाजार आसूचना एकत्र करने, उपयोगकर्ताओं के पंजीकरण और विशेष प्रकोष्ठ आदि गठित करने सहित अवैध खनन का पता लगाने और नियंत्रित करने के विशिष्ट उपायों के साथ कार्रवाई योजना अपनाने की सलाह दी गई है।
- पोत परिवहन मंत्रालय ने निर्यात के लिए सड़क एवं रेल मार्ग से खेप भेजने के लिए सत्यापन प्रक्रिया शुरू करने हेतु सभी प्रमुख बंदरगाहों को निर्देश जारी किया है।
- केन्द्र सरकार ने अलग से भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) के माध्यम से स्थानीय क्षेत्रों में खानों के निरीक्षण के लिए विशेष कार्य बल का गठन किया है।
- अवैध खनन की रोकथाम के लिए, एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2015 में अवैध खनन के लिए दण्ड का प्रावधान किया गया है। भारी जुर्माने और जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। अवैध खनन संबंधी मामलों का शीघ्र निपटान करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा विशेष अदालतें गठित करने का भी प्रावधान किया गया है।
- **खनन निगरानी प्रणाली (एमएसएस):** यह परियोजना पट्टा क्षेत्र के बाहर 500 मीटर तक निगरानी हेतु अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग के द्वारा अवैध खनन की घटनाओं का पता लगाने हेतु एक प्रणाली विकसित करने के लिए भारतीय ब्यूरों, खनन मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीआईएसएजी (भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान) द्वारा आरंभ की गई।
- **माइनिंग टेनेमेंट सिस्टम (एमटीएस):** यह अवैध खनन के विस्तार को कम करने के लिए पिटहेड (खदान निकास) से इसके अंतिम उपयोग तक ऑटोमेशन के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर देश में उत्पादित समस्त खनिजों के शुरूआत से लेकर अंत तक लेखांकन में सहायता करेगा।

आगे की राह

भारत में अवैध रेत खनन एक बारहमासी समस्या है। लेकिन मानसून की शुरुआत से ठीक पहले यह अवैध खनन का अनुपात बढ़ जाता है क्योंकि बारिश के मौसम में नदियों में रेत खनन बहुत कठिन हो जाता है। खदान मालिकों और जमाखोरों द्वारा मानसून की शुरूआत से पहले कानूनी और गैरकानूनी साधनों के माध्यम से जितना संभव हो उतना रेत जमा करने की कोशिश करते हैं। अवैध खनन को रोकने के लिए प्रवर्तन दिशा-निर्देश राज्य सरकारों को कार्यान्वयन के लिए बाध्य करता है लेकिन एक समग्र दृष्टिकोण को अपनाये जाने की जरूरत है। मांग की कमी को पूरा करके ही अवैध खनन की लाभप्रदता कम किया जा सकता है। पर्यावरण को प्राथमिकता पर रखते हुए और अवैध खनन के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने की जरूरत है। दुर्लभ होते जा रहे रेत संसाधन के संधारणीय उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।
- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

7 विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

01 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना : अब तक की यात्रा

प्र. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का विश्लेषण करते हुए बताइए कि सरकार को स्वच्छ ईंधन के निरंतर उपयोग के क्या उपाय जाने चाहिए?

उत्तरः

परिचय

- स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन के नारे के साथ केन्द्र सरकार ने 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरूआत की।

उज्ज्वला योजना की उपलब्धियाँ

- उज्ज्वला योजना ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकारी पहल का प्रभावी असर दिखाया है।

चुनौतियाँ

- रिफिल की अवहनीयता और रिफिल प्राप्त करने में कठिनाई पीएम उज्ज्वला योजना की राह में सबसे बड़ी चुनौती है जो एलपीजी के निरंतर उपयोग को बाधित करती है।

स्वच्छ ईंधन का उपभोग बढ़ाने के उपाय

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस घरेलू वायु प्रदूषण को भारत के रोग भार में योगदान देने वाले दूसरे प्रमुख जोखिम कारक के रूप में रखा है।

आगे की राह

- भारत में सौर ऊर्जा में असीम संभावनाएँ हैं, ऐसे में सौर ऊर्जा पैनल भारत के दूर-दराज के क्षेत्रों में भी लगाए जा सकते हैं

02 बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेट्फॉर्म फॉर एक्शन : एक समीक्षा

प्र. "बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेट्फॉर्म फॉर एक्शन" घोषणा के पच्चीस वर्ष बाद भी लड़कियों के खिलाफ भेदभाव तथा रूढ़िवादिता को समाप्त करना वैश्विक चुनौती बना हुआ है। समीक्षा कीजिए।

उत्तरः

परिचय

- आज विश्व स्तर पर 1.1 बिलियन से अधिक लड़कियाँ अपने भविष्य को संवारने के लिए तैयार हैं।

रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु

- बीजिंग डिक्लेरेशन के 25 वर्ष बाद लड़कियों के जीवन प्रत्याशा में 8 साल की वृद्धि हुई है।

भारत की स्थिति

- अगर भारत की बात की जाए तो भारत में लड़कियों और लड़कों के लिंगानुपात की स्थिति बेहतर हुई है।

चुनौतियाँ

- श्रम बाजार में व्याप्त असमानताओं तथा डिजिटल दुनिया में लैंगिक खाई ने महिलाओं और लड़कियों की प्रगति के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर दिया है।

आगे की राह

- महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाकर उन्हें नेतृत्व वाले पदों पर बिठाने, उन्हें गरीबी से निकालने और उन्हें किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए तात्कालिक प्रयास की जरुरत है।

03 प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना : एक अवलोकन

प्र. प्रधानमंत्री जन औषधि योजना क्या है? यह योजना भारत के लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में किस प्रकार सहायक है? उल्लेख करें।

उत्तरः

परिचय

- प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना की शुरूआत भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 1 जुलाई 2015 को की गयी थी।

योजना के लाभ

- इस योजना के तहत देश के गांव-गांव में आधुनिक हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं।

चुनौतियाँ

- आपूर्ति पक्ष संबंधी चुनौती, कठोर बौद्धिक सम्पदा अधिकार व्यवस्था, जेनेरिक दवाओं का कम प्रचार एवं प्रदर्शन इत्यादि।

आगे की राह

- मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) द्वारा अनुशंसा की गयी है कि प्रत्येक चिकित्सक को दवाएं उनके जेनेरिक नाम के साथ प्रेस्क्राइब करनी चाहिए।

04 भारत में भूमि अधिग्रहण कानून : कितना किसान हितैषी

प्र. भूमि अधिग्रहण से आपका क्या तात्पर्य है? भारत में भूमि अधिग्रहण के निर्धारण हेतु उपस्थित प्रणाली की सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में चर्चा करें।

उत्तर:

परिचय

- भूमि अधिग्रहण कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि, जो जमीन मालिक मुआवजा लेने से इनकार करते हैं, वे भूमि अधिग्रहण रद्द करने का दबाव नहीं डाल सकते।

विश्लेषण

- किसी भी देश के तीव्र विकास हेतु वहाँ आधारभूत ढाँचे की अत्यन्त आवश्यकता होती है। यह आधारभूत ढाँचा आर्थिक या सामाजिक किसी भी क्षेत्र का हो सकता है।

आगे की राह

- सरकार को भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता लानी होगी ताकि अधिग्रहित भूमि का मुआवजा मूल भू-स्वामी तक पहुँच सके।

05 भारत में साझा अर्थव्यवस्था की बढ़ती संभावनाएँ

प्र. साझा अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? साझा अर्थव्यवस्था से होने वाले लाभों का संक्षिप्त में वर्णन करें।

उत्तर:

भारत में साझा अर्थव्यवस्था

- भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपने विकासशील चरण में होने के बावजूद साझा प्रणाली में बेहतर प्रदर्शन किया है।

साझा अर्थव्यवस्था के लाभ

- वित्तीय बचत, सुविधा और दक्षता, इत्यादि।

चुनौतियाँ

- भारत में अभी ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल अवसंरचना काफी कमजोर स्थिति में है, जिससे साझा अर्थव्यवस्था के संसाधनों का यहाँ समुचित उपयोग सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है।
- भारत में अभी भी संसाधनों के साझा उपयोग हेतु लोगों में अपेक्षित जागरूकता नहीं है।

आगे की राह

- साझा अर्थव्यवस्था के कई लाभ हैं, अत: सरकार को इसके लाभों को और अधिक बढ़ाने हेतु एक स्पष्ट नीति बनानी होगी।

06 भारतीय सामुद्रिक इलाकों का विकास : समय की माँग

प्र. भारत की सामुद्रिक क्षेत्र तथा अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास किस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में सहायक सिद्ध हो सकता है? चर्चा कीजिए।

उत्तर:

परिचय

- भारत का सामुद्रिक क्षेत्र लंबे समय से मुख्यत: जहाजरानी के मार्गों का माना जाता रहा है जो भारत की घरेलू और बाह्य व्यापारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

वर्तमान स्थिति

- भारत के पास 13 मुख्य बंदरगाह और लगभग 200 गैर प्रमुख बंदरगाह हैं।

सरकारी प्रयास

- सागरमाला योजना का लक्ष्य निर्यात में प्रतिद्वंदिता के विकास को प्राप्त करना है।

चुनौतियाँ

- इस समय भारत के कुल परिवहन में जलमार्गों की भागीदारी मात्र छह प्रतिशत है, जो विकसित देशों और कई विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले बेहद कम है।

आगे की राह

- भारत का सामुद्रिक क्षेत्र, अपनी संभावनाओं के अनुरूप देश के विकास में योगदान देने में सक्षम नहीं हो सका है।

07 भारत में अवैध रेत खनन : चुनौतियां एवं समाधान

प्र. अवैध रेत खनन से उत्पन्न हो रही सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याओं का मूल्यांकन करें। साथ ही रेत की कमी से निपटने के क्या विकल्प हो सकते हैं? वर्णन करें।

उत्तर:

परिचय

- नदी रेत अब एक दुर्लभ वस्तु बनती जा रही है। निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी अन्य रेत की तुलना में नदी (ताजे पानी) रेत निर्माण-कार्य के उद्देश्य से अधिक बेहतर होती है और पानी के बाद दुनिया में दूसरी सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला संसाधन है।

खनन से जुड़ी चुनौतियाँ

- पेट्रोलियम की तुलना में खनिज उत्खनन को प्राथमिक तौर पर फंडिंग की कमी से जूझना पड़ता है।

रेत का विकल्प

- एम-सैंड: विनिर्मित रेत या एम-सैंड नदी से निकाले जाने वाले रेत का सबसे प्रचलित विकल्प है और इस रेत के इस्तेमाल पर दक्षिण के राज्यों में पर्याप्त जोर दिया जा रहा है।

आगे की राह

- अवैध खनन को रोकने के लिए प्रवर्तन दिशा-निर्देश राज्य सरकारों को कार्यान्वयन के लिए बाध्य करता है लेकिन एक समग्र दृष्टिकोण को अपनाये जाने की जरूरत है।

7 सात ब्रेन बूस्टर्स

बाल यौन अपराध संरक्षण नियम

1 चर्चा का कारण

1.1
हाल ही में केंद्र सरकार ने बाल यौन अपराध संरक्षण नियम, 2020 को अधिसूचित किया है ताकि बाल यौन संरक्षण कानून में किए गये संशोधनों को लागू किया जा सके।

2 प्रमुख बिन्दु

2.1
नये नियमों में स्कूलों, बाल अनुरक्षण गृहों और बच्चों से संबंधित संस्थाओं में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का अनिवार्य रूप से पुलिस सत्यापन करना शामिल है।

2.2
इसके अलावा यौन शोषण वाली सामग्री (पोर्नोग्रॉफी) को रिपोर्ट करने की प्रक्रिया और उचित आयु पर बाल अधिकार शिक्षा देने का भी प्रावधान किया गया है।

2.3
नये नियमों में केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा बच्चों की सुरक्षा और उनसे संबंधित कानूनी प्रावधानों के बारे में कर्मचारियों को जानकारी देने के लिए समय-समय कार्यशालाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि आयोजित किये करेंगे ताकि वे बच्चों की हिफाजत को लेकर संवेदनशील रहें।

2.4
पुलिसकर्मियों को बाल सुरक्षा के बारे में जागरूक बनाने के लिए भी नियमों में व्यवस्था की गई है।

2.5
यह पीड़ित बच्चे को मुआवजे के प्रावधान को अनिवार्य करता है, जिसमें राज्य सरकार ऐसे आदेश प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर विशेष अदालत द्वारा पीड़ित को मुआवजे का भुगतान करेगी।

2.6
इन नियमों के तहत, राज्य सरकारों को बच्चों के खिलाफ हिंसा को बर्दाश्त नहीं करने के सिद्धांत के आधार पर एक बाल संरक्षण नीति बनाने के लिए कहा गया है।

2.7
जिसे सभी संस्थानों, संगठनों या बच्चों के संबंध में काम करने वाली अन्य एजेंसियों द्वारा लागू करना होगा।

2.8
केंद्र और राज्य सरकारों को बच्चों के लिए आयु-वार शैक्षिक सामग्री और पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए कहा गया है जिसमें बच्चों को व्यक्तिगत सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी जाएगी।

3 POCSO अधिनियम, 2012

3.1
यह बच्चों के हितों और भलाई की रक्षा के लिए 2012 में बच्चों को यौन उत्पीड़न, और पोर्नोग्रॉफी के अपराधों से बचाने के लिए अधिनियमित किया गया था।

3.2
इस कानून के तहत अलग-अलग अपराधों के लिए अलग सजा तय की गई है।

3.3
इस अधिनियम के तहत सभी अपराधों की सुनवाई एक विशेष अदालत में कैमरे के सामने बच्चों के माता-पिता के सामने होती है।

3.4
इस अधिनियम में, 'बच्चे' को 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। यह बच्चों के सर्वोत्तम हितों और कल्याण के लिए और शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।

3.5
संशोधित पॉक्सो कानून बच्चों से संबंधित यौन अपराधों के लिए सजा में 20 वर्ष की कैद जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने के अलावा मृत्युदण्ड का भी प्रावधान किया गया है।

जलवायु परिवर्तन का बढ़ता संकट

1 चर्चा का कारण

1.1

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की मौसम संस्था विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने 'वर्ष 2019 में वैश्विक जलवायु की स्थिति' नाम से एक रिपोंट जारी की है।

2 रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

2.1

रिपोंट के अनुसार, विश्व इस सदी के आखिर तक तापमान वृद्धि के 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को पाने के रास्ते से बहुत भटका हुआ है।

2.2

हाल के वर्षों और दशकों में तापमान के अनेक रिकॉर्ड टूटे हैं। जहाँ वर्ष 2019 दूसरा सबसे गर्म वर्ष रहा; वहीं 2010-2019 को सबसे गर्म दशक के रूप में दर्ज किया गया।

2.3

पिछले वर्ष विकसित देशों में अर्थव्यवस्था में वृद्धि के बावजूद उत्सर्जन में गिरावट दर्ज की गई थी, इसलिए यह साबित होता है कि आर्थिक विकास को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में बढ़ोत्तरी से अलग किया जा सकता है।

3 कार्बनडाई ऑक्साइड का बढ़ता स्तर

3.1

ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी भीषण आग के कारण कार्बन डाई ऑक्साइड में उछाल आया और दुनिया भर में धुआँ और प्रदूषक तत्व बड़े पैमाने पर फैले।

3.2

वर्ष 2020 का जनवरी महीना अभी तक का किसी भी वर्ष का सबसे ज्यादा गरम जनवरी महीना रिकॉर्ड किया गया है। साथ ही उत्तरी गोलार्द्ध में बीता सर्दी का मौसम असाधारण रूप से नरम रहा।

3.3

अनेक यूरोपीय देशों में भी तापमान वृद्धि के रिकॉर्ड टूटे जिनमें फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देश भी शामिल थे। यहाँ तक कि नॉर्डिक्स देशों(डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन) में भी रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया गया।

3.4

साइबेरिया और अलास्का सहित उच्च अक्षांश वाले अनेक क्षेत्रों में बड़े स्तर पर वाली आग संबंधी गतिविधियाँ देखी गईं। ऐसा ही आर्कटिक के कुछ हिस्सों में भी देखा गया जबकि इससे पहले वहाँ ऐसा आमतौर पर नहीं देखा जाता था।

4 समुद्र के गरम होने के प्रभाव

4.1

समुद्रों में रसायनों की मात्रा बढ़ रही है और ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है जिसका समुद्री जीवन पर नकारात्मक प्रभाव हो रहा है। ध्रुवों पर समुद्रों में हिम कम हो रहा है और ग्लेशियर लगातार सिकुड़ रहे हैं। साथ ही जो लोग समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर निर्भर करते हैं, उनके रहन-सहन पर भी असर पड़ रहा है।

5 अभूतपूर्व बाढ़ और सूखा

5.1

वर्ष 2019 में दुनिया भर में चरम मौसम की अनेक घटनाएँ हुईं, जो अपने आप में बहुत बड़े पैमाने की थीं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश और म्याँमार में मॉनसून के मौसम में औसत से अधिक समय तक बारिश हुई।

6 मानवीय नुकसान

6.1

जलवायु परिवर्तन के कारणों का दुनिया भर की इंसानी आबादी के स्वास्थ्य पर भी भारी असर पड़ रहा है। वर्ष 2019 में तापमान में अत्यधिक वृद्धि के कारण जापान में 100 से ज्यादा और फ्रांस में 1462 लोगों की मौतें हुई।

6.2

भुखमरी में अनेक वर्षों तक गिरावट दर्ज किए जाने के बाद, अब इसमें बढ़ोत्तरी देखी गई है और इसका मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन व चरम मौसम की घटनाएँ हैं। वर्ष 2018 में भुखमरी से लगभग 82 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे।

6.3

हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश वर्ष 2019 में विशेष रूप में ज्यादा प्रभावित हुए, जहाँ की ज्यादातर आबादी पर जलावायु संबंधी चरम घटनाओं, विस्थापन, संघर्ष व हिंसा का बड़ा असर पड़ा।

हिन्द महासागर आयोग

1 चर्चा का कारण

1.1

6 मार्च, 2020 को भारत हिंद महासागर आयोग में पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में शामिल हुआ। भारत पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पाँचवां सदस्य है, अन्य चार सदस्य चीन, माल्टा, यूरोपीय संघ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लॉ फ्रैंकोफोनी हैं।

2 भारत के लिए इसका महत्त्व

2.1

भारत को इस आयोग में पर्यवेक्षक का दर्जा मिलना एक बड़ी सफलता है। इससे पश्चिमी हिंद महासागर के प्रमुख क्षेत्रीय संस्थानों तक भारत की पहुँच स्थापित होगी।

2.2

इससे भारत को पश्चिमी हिन्द महासागर के द्वीपीय राष्ट्रों के साथ संबंधों को मजबूती प्रदान करने में मदद मिलेगी।

2.3

इससे भारत की हिंद सागर क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास नीति को मजबूती मिलेगी।

2.4

यह भारत के पूर्वी अफ्रीकी देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाने में सहयोगी साबित होगा।

3 हिंद महासागर में भारत की चुनौतियाँ

3.1

हिंद महासागर के क्षेत्र में चीन ने पूर्वी अफ्रीकी देश जिबूती में सैनिक अड्डा और पाकिस्तान के ग्वादर तथा श्रीलंका के हंबनटोटा में बंदरगाहों का निर्माण कर अपनी उपस्थिति को मजबूत किया है जो भारत के लिए सामरिक दृष्टि से चिंता का विषय है।

3.2

हिंद महासागर में होर्मुज, बाब-अल-मांडेब, मलक्का आदि जल संधियाँ चोक प्वाइंट्स की तरह हैं जहाँ बाह्य शक्तियों की उपस्थिति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती है।

3.3

पश्चिमी हिंद महासागर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है। यहाँ प्रमुख समुद्री शक्ति के रूप में भारत की उपस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत: यहाँ की भू-राजनीति में द्वीपों के महत्त्व को नकारा नहीं जा सकता है।

4 हिंद महासागर आयोग

4.1

यह 1982 में स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है। इसे 1984 में विक्टोरिया समझौते के अंतर्गत संस्थागत स्वरूप प्रदान किया गया।

4.2

इसका सचिवालय मॉरिशस में हैं और कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस, सेहोल्स और रीयूनियन (फ्रांस) इसके सदस्य देश हैं।

4.3

हिंद महासागर क्षेत्र में राजनीतिक एवं कूटनीतिक सहयोग के साथ आर्थिक एवं वाणिज्यिक सहयोग एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना।

5 पश्चिमी हिंद महासागर

5.1

पश्चिमी हिंद महासागर, हिंद महासागर का एक रणनीतिक क्षेत्र है, जो अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट को व्यापक रूप से हिंद महासागर और उससे आगे के क्षेत्र को जोड़ता है।

5.2

हालांकि स्वेज नहर के निर्माण एवं उसकी महत्ता के कारण मोजाम्बिक चैनल का महत्त्व कम हो गया था, किंतु होर्मुज जलसंधि, जहाँ से बड़े वाणिज्यिक जहाजों (विशेष रूप से तेल टैंकर) का आवागमन होता है, का महत्त्व फिर बढ़ गया है।

5.3

गौरतलब है कि कोमोरोस मोजाम्बिक चैनल के उत्तरी मुहाने पर तथा मेडागास्कर चैनल के पश्चिमी सीमा पर अवस्थित है।

5.4

इसके अतिरिक्त मोजाम्बिक चैनल में संभावित प्राकृतिक गैस के भंडार के साथ ही इंडो-पैसिफिक रीजन में अफ्रीका के बढ़ते महत्व को नकारा नहीं जा सकता।

6 मोजाम्बिक चैनल

6.1

मोजाम्बिक चैनल मोजाम्बिक देश के पूर्व में अवस्थित है। इसका विस्तार लगभग 12° उत्तरी अक्षांश से 25° दक्षिणी अक्षांश तक है।

6.2

मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक और मेडागास्कर के मध्य अवस्थित है।

सार्वजनिक संपत्ति क्षतिपूर्ति अध्यादेश

1 चर्चा का कारण

1.1

हाल ही में दंगों से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक और निजी सम्पत्ति नुकसान भरपाई अध्यादेश-2020' पारित किया गया।

2 प्रमुख बिन्दु

2.1

इस अध्यादेश में राजनीतिक जुलूसों, प्रदर्शनों, हड़तालों व बंद के दौरान सरकारी व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर उपद्रवियों से वसूली के लिए बेहद कड़े प्रावधान किए गए हैं।

2.2

इसके लिए राज्य सरकार रिटायर्ड जिला जज की अध्यक्षता में एक नुकसाल वसूली अधिकरण बनाएगी। इसके फैसले को किसी भी अन्य न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

2.3

इस अधिकरण को आरोपी की संपत्ति जब्त करने अधिकार होगा। साथ ही वह अधि कारियों को आरोपी का नाम, पता व फोटोग्राफ प्रचारित-प्रसारित करने का आदेश भी दे सकेगा ताकि आम लोग उसकी संपत्ति को न खरीदें।

2.4

अध्यादेश के मुताबिक, अधिकरण में अध्यक्ष के अलावा एक सदस्य भी होगा। यह सहायक आयुक्त स्तर का अधिकारी होगा।

2.5

अधिकरण नुकसान के आकलन के लिए मूल्यांकन कमिश्नर की तैनाती कर सकेगा। वह मूल्यांकन कमिश्नर की मदद के लिए प्रत्येक जिले में एक-एक सर्वेयर भी नियुक्त कर सकता है, जो नुकसान के आकलन में तकनीकी विशेषज्ञ की भूमिका निभाएगा।

2.6

अधिकरण को दीवानी न्यायालय के समान अधि कार प्राप्त होंगे।

3 दावा याचिका

3.1

अध्यादेश के प्रावधानों के तहत विरोध प्रदर्शनों के दौरान यदि निजी सम्पत्ति का नुकसान होता है तो उस सम्पत्ति का मालिक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा सकता है।

3.2

साथ ही सार्वजनिक सम्पत्ति के हुए नुकसान के लिए जिला मजिस्ट्रेट/ पुलिस आयुक्त दावा न्यायाधिकरण के समक्ष तीन माह के भीतर दावा पेश करने के लिए आवश्यक कदम उठायेंगे।

3.3

यह कदम इस तरह की घटना को लेकर दर्ज प्राथमिकी के आधार पर संबंधित पुलिस सर्किल ऑफिसर की रिपोर्ट के आधार पर उठाया जायेगा।

3.4

सभी दावा याचिकाएं घटना की तारीख के तीन माह के भीतर अधिकरण के समक्ष दायर कर की जा सकेंगी। उचित कारण दर्शाये जाने पर ही याचिका दायर करने में 30 दिन के विलम्ब को भी मंजूरी प्रदान की जा सकेगी।

4 लोक सम्पत्ति निवारण अधिनियम, 1984

4.1

केन्द्र सरकार के इस अधिनियम के तहत यदि कोई सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाता है तो उसे पाँच साल की जेल अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।

4.2

इस अधिनियम के तहत केन्द्र एवं राज्य सरकारें, स्थानीय प्राधिकारी, किसी केन्द्रीय अथवा राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित निगम स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन आने वाली सम्पत्ति को लोक सम्पत्ति माना गया है।

खनिज कानून (संशोधन) विधेयक, 2020

1 चर्चा का कारण

1.1

हाल ही में संसद ने खान और खनिज (विकास और नियंत्रण) कानून, 1957 और कोयला खान (विशेष प्रावधान) कानून, 2015 में संशोधन करते हुए खनिज कानून (संशोधन) विधेयक, 2020 को मंजूरी दे दी है।

2 प्रमुख बिन्दु

2.1

संशोधित प्रावधानों में स्पष्ट व्यवस्था है कि ऐसी कंपनियां जिनके पास भारत में कोयला खनन का पहले से अनुभव नहीं है और/अथवा उन्हें अन्य खनिज पदार्थों अथवा अन्य देशों में खनन का अनुभव है, वे कोयले/लिग्नाइट ब्लॉकों की नीलामी में भाग ले सकते हैं।

2.2

इससे कोयला और खनन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) बढ़ने के साथ अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

2.3

विधेयक में कोयला/लिग्नाइट के लिए लाइसेंस और खनन पट्टे (पीएल-सह-एमएल) की इजाजत देने की व्यवस्था है जिससे कोयला और लिग्नाइट ब्लॉकों की उपलब्धता बढ़ेगी और विस्तृत भौगोलिक वितरण में अलग-अलग ग्रेड के कोयला ब्लॉक आवंटन के लिए उपलब्ध होंगे।

3 संशोधन का महत्त्व

3.1

खनिज पदार्थ कानून (संशोधन) विधेयक, 2020 भारतीय कोयला और खनन क्षेत्र में कारोबार को सुगम बनाने के लिए एक नये युग की शुरूआत करेगा।

3.2

इस विधेयक के पारित हो जाने से देश के खनन क्षेत्र में बदलाव आने के साथ कोयला उत्पादन बढ़ेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी।

4 लाइसेंस संबंधी प्रावधान

4.1

संशोधनों के साथ, नए पट्टे के अनुदान की तारीख से दो साल की अवधि के लिए अन्य मंजूरियों के साथ पर्यावरण और वन मंजूरी स्वत: खनिज ब्लॉकों के नए मालिकों को हस्तांतरित हो जाएगी। यह नए मालिकों को परेशानी मुक्त खनन कार्य जारी रखने की अनुमति देगा।

4.2

अब पट्टे की अवधि की समाप्ति से पहले खानों के पट्टे की नीलामी शुरू की जा सकती है।

4.3

यह राज्य सरकार को खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए अग्रिम कार्रवाई करने में सक्षम बनाएगा ताकि मौजूदा पट्टे की अवधि समाप्त होने से पहले नए पट्टे धारक का फैसला किया जा सके। इससे देश में खनिजों के निर्बाध उत्पादन में मदद मिलेगी।

4.4

नए प्रावधानों से गैर-विशिष्ट पैमाइश परमिट (एनईआरपी) धारकों को समग्र लाइसेंस या खनन पट्टे (पीएल-सह-एमएल) के लिए आवेदन करने की अनुमति देकर गहरे खनिजों और खनिजों के अन्वेषण में वृद्धि होगी।

4.5

विधेयक एमएमडीआर कानून (1957) और सीएमएसपी कानून (2015) के संशोधन के लिए अध्यादेश का स्थान लेगा जिसे 11 मई, 2020 को लागू किया गया था।

4.6

एमएमडीआर कानून और सीएमएसपी कानून के विभिन्न दोहराव वाले और निरर्थक प्रावधानों को सुगम कारोबार के लिए हटा दिया गया है।

5 खनिज क्या है?

5.1

खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से खोद कर निकाले जाते हैं। कुछ उपयोगी खनिज पदार्थों के नाम हैं – लोहा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट (जिससे अलुमिनियम बनता है), नमक (पाकिस्तान व भारत के अनेक क्षेत्रों में खान से नमक निकाला जाता है), जस्ता, चूना पत्थर इत्यादि।

5.2

खनिज होने के लिए उस पदार्थ को कठोर व क्रिस्टलीय होना आवश्यक है। कुछ परिभाषाओं के अनुसार खनिज वह पदार्थ है जो क्रिस्टलीय हो और भौगोलिक परिस्थितियों के परिणामस्वरूप बना हो।

महामारी अधिनियम, 1897

1 चर्चा का कारण

1.1

भारत सरकार ने 'कोविड-19' COVID- 19 से निपटने के लिये महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से महामारी अधिनियम, 1897 (Epidemic Diseases Act, 1897) के धारा 2 को लागू करने को कहा है।

2 महामारी क्या होती है

2.1

जब कोई बीमारी किसी एक देश या सीमा तक सीमित न रहते हुए दुनिया के कई देशों में बड़े पैमाने पर फैलने लगती है तो उसको महामारी घोषित किया जाता है।

2.2

हालांकि किसी बीमारी को महामारी घोषित करने के लिए कोई तय पैमाना नहीं है और न ही किसी बीमारी को महामारी घोषित कर देने से उस बीमारी के लक्षणों या प्रकृति में कोई बड़ा बदलाव होता है।

2.3

किसी बीमारी को महामारी घोषित करने का फैसला विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को लेना होता है। साथ ही यह भी ध्यान रखा जाता है कि महामारी घोषित होने के बाद अनावश्यक डर की स्थिति पैदा न हो; जैसे 2009 में 'स्वाइन फ्लू' को महामारी घोषित करने के बाद हुआ था।

2.4

वर्तमान कोरोना वायरस लगभग 140 से ज्यादा देशों में फैल चुका है, अत: विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। इससे पूर्व वर्ष 2009 में स्वाइन फ्लू को महामारी घोषित किया गया था।

2.5

महामारी होने की अधिक संभावना तब होती है जब वायरस बिल्कुल नया हो। आसानी से लोगों में संक्रमित हो रहा हो और लोगों के बीच संपर्क से फैल रहा हो। कोरोना वायरस इन सभी पैमानों को पूरा करता है।

3 महामारी अधिनियम, 1897

3.1

इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य किसी भी महामारी को फैलने से रोकना और उससे बचाव करना है। यह कानून राज्य एवं केंद्र सरकार को किसी महामारी का प्रसार रोकने के लिए अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करता है।

3.2

इस अधिनियम की धारा-2 के अनुसार केंद्र सरकार या राज्य सरकारें महामारी फैलने की आशंका के कारण इस अधिनियम को लागू करके महामारी से निपटने के लिये आवश्यक नियम तैयार कर सकती हैं।

3.3

इस कानून में प्रावधान है कि सरकार यातायात के किसी भी माध्यम से यात्रा करने वाले यात्रियों की जांच कर सकती है। किसी वायरस संदिग्ध व्यक्ति को अलग-थलग किया जा सकता है या अस्पताल में भर्ती किया जा सकता है।

3.4

महामारी अधिनियम, 1897 की धारा -3 के तहत सरकारी आदेश को न मानने के लिए भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 188 के तहत छह मास तक कारावास या एक हजार रुपए तक के आर्थिक दण्ड या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

3.5

इस अधिनियम की धारा-4 सरकारी अधिकारियों को कानूनी सुरक्षा दिलाती है कि अधिनियम को लागू करने में की गयी सख्ती के लिए अधिकारी को दोषी नहीं ठहराया जाएगा।

4 पूर्व में अधिनियम को कब लागू किया गया

4.1

वर्ष 2009 में पुणे में स्वाइन फ्लू के दौरान इस अधिनियम की धारा-2 लागू की गयी थी। स्वाइन फ्लू को तब सरकार ने बेहद गंभीर बीमारी की श्रेणी में रखा था।

4.2

वर्ष 2018 में गुजरात के वड़ोदरा जिले में हैजा फैलने के कारण इस जिले के कलेक्टर ने महामारी अधिनियम, 1897 की धाराओं के तहत अधिसूचना जारी की थी।

4.3

वर्ष 2015 में चंडीगढ़ में मलेरिया और डेंगू की रोकथाम के लिए इस अधिनियम की न सिर्फ अधिसूचना जारी की गई थी, बल्कि सरकारी नियम-निर्देश न मानने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया था।

आवश्यक वस्तु अधिनियम

1 चर्चा का कारण

1.1

केंद्र सरकार ने 'कोविड-19' COVID-19 को फैलने से रोकने में सहायक मास्क, हैंड सैनिटाइजर आदि वस्तुओं को 30 जून, 2020 तक के लिए 'आवश्यक वस्तुएं' घोषित किया है।

2 आवश्यकता क्यों?

2.1

जब बाजार में किसी वस्तु की मांग बढती है तो फुटकर एवं थोक विक्रेताओं द्वारा उस वस्तु की बिक्री कम करके उसका भंडारण किया जाने लगता है और बाद में उन वस्तुओं को मनचाहे दामों पर बेचने का प्रयास किया जाता है।

2.2

अत: यह आवश्यक है कि सरकार हस्तक्षेप कर आवश्यक वस्तुओं के गैर-कानूनी भंडारण और विपणन को रोके। पिछले साल सितम्बर महीने में ऐसा ही प्याज के साथ देखने को मिला था।

2.3

कोविड-19 से बचाव के लिए आवश्यक मास्क और सैनिटाइजर के साथ भी यह देखने को मिल रहा है और इन्हें ऊंचे दामों में बाजार में बेचा जा रहा है।

2.4

इसलिए हैण्ड सैनिटाइजर और मास्क की कमी और तर्कहीन मूल्य निर्धारण की रिपोर्टों के बाद, केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है।

3 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

3.1

उपभोक्ताओं तक आवश्यक वस्तुओं को उचित मूल्य पर पहुँचाने के लिए 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया गया था।

3.2

इस अधिनियम के तहत, केंद्र सरकार किसी घोषित 'आवश्यक वस्तु' की अधिकतम खुदरा कीमत (MRP) तय कर सकती है।

3.3

किसी भी वस्तु को 'आवश्यक वस्तु' के रूप में नामित करने का उद्देश्य, असाधारण मांग के समय मुनाफाखोरी को रोकना है।

3.4

केंद्र सरकार को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 2क के तहत किसी वस्तु की समान उपलब्धता और वितरण को सुनिश्चित करने के लिए 'आवश्यक वस्तु' घोषित करने का अधिकार है।

3.5

यह अधिनियम समय-समय पर केंद्र सरकार को आवश्यक वस्तुओं की सूची में नई वस्तुओं को जोड़ने और कुछ वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का अधिकार देता है।

3.6

इस अधिनियम की धारा 3 के तहत सरकार के किसी भी निर्देश का उल्लंघन संज्ञेय अपराध श्रेणी में आता है जिसके लिए 7 साल तक के कारावास का प्रावधान है।

4 आवश्यक वस्तु घोषित होने के लाभ

4.1

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में तर्कहीन उछाल से सुरक्षा प्रदान करता है।

4.2

इससे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा मास्क (2 प्लाई और 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, N95 मास्क) और सैनिटाइजर के उत्पादन, गुणवत्ता और वितरण को विनियमित किया जा सकेगा।

4.3

केंद्र द्वारा जारी अधिसूचना पर कार्रवाई करते हुए राज्य सरकारें नियमों को लागू करती हैं।

4.4

सरकार निर्माताओं, आयातकों, थोक व्यापारी, खुदरा विक्रेताओं एवं वस्तुओं का व्यापार या सौदा करने वाले अन्य सभी लोगों को निर्देशित मात्रा से अधिक भंडार रखने एवं इसका व्यापार करने से प्रतिबंधित कर दिया जाता है।

4.4

सरकार की एजेंसियाँ उल्लंघन कर्ताओं को पकड़ने के लिए छापेमारी कर सकती हैं और खुदरा विक्रेताओं, व्यापारियों और निर्माताओं द्वारा जमा किए गए अतिरिक्त भंडार को जब्त कर सकती हैं अथवा इसकी नीलामी कर सकती हैं अथवा उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से बेच सकती हैं।

7 वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर

(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

01 बाल यौन अपराध संरक्षण नियम

प्र. पॉक्सो अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इसमें 16 वर्ष तक के बच्चों को संरक्षण प्रदान किया गया है।
2. इससे संबंधित अपराधों की सुनवाई विशेष अदालत में होती है।
3. इस अधिनियम को 2012 में पारित किया गया था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) 1 और 3 (d) केवल 2 और 3

उत्तरः (d)

व्याख्याः इस अधिनियम में, 'बच्चे' को 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। यह बच्चों के सर्वोत्तम हितों और कल्याण के लिए और शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। इस प्रकार कथन 1 गलत है तथा अन्य कथन सही हैं।

02 जलवायु परिवर्तन का बढ़ता संकट

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. "वर्ष 2019 में वैश्विक जलवायु की स्थिति" रिपोर्ट UNEP द्वारा जारी की गयी है।
2. इसके अनुसार विश्व इस सदी के अंत तक 1.5 डिग्री के वैश्विक तापमान के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।
3. इस रिपोर्ट के परिणामों में वर्ष 2019 सबसे गर्म वर्ष रहा।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2
(c) केवल 1 और 2 (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तरः (d)

व्याख्याः हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की मौसम संस्था विश्व मौसम संगठन ने "वर्ष 2019 में वैश्विक जलवायु की स्थिति" नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार विश्व इस सदी के आखिर तक तापमान वृद्धि के 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को पाने में रास्ते से बहुत भटका हुआ है। अतः दिये गये सभी कथन गलत हैं।

03 हिन्द महासागर आयोग

प्र. हिंद महासागर आयोग के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इसकी स्थापना 1980 में हुई थी।
2. भारत 2020 में इसके सदस्य के रूप में शामिल हुआ।
3. इसका सचिवालय कोमोरोस में हैं।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) तीनों कथन सही हैं (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तरः (d)

व्याख्याः 6 मार्च 2020 को भारत हिंद महासागर आयोग में पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में शामिल हुआ। भारत पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पाँचवां सदस्य है, अन्य चार सदस्य चीन, माल्टा, यूरोपीय संघ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ला फ्रैंकोफोनी हैं। यह 1982 में स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है। इस प्रकार दिए गये सभी कथन असत्य हैं।

04 सार्वजनिक संपत्ति क्षतिपूर्ति अध्यादेश

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. उत्तर प्रदेश सरकार उच्च न्यायालय के जज की अध्यक्षता में एक नुकसान भरपाई अधिकरण का गठन कर सकेगी।
2. नुकसान भरपाई से संबंधित याचिकाओं को 30 दिन के अंदर अधिकरण के समक्ष दाखिल करना होगा।
3. इसे लोक सम्पत्ति निवारण अधिनियम, 1984 के स्थान पर लाया गया है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तरः **(b)**

व्याख्याः हाल ही में दंगों में होने वाल नुकसान की भरपाई के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा "उत्तर प्रदेश सार्वजनिक और निजी सम्पत्ति नुकसान भरपाई अध्यादेश-2020 पारित किया गया।" इस अध्यादेश में राजनीतिक जुलूसों, प्रदर्शनों, हड़तालों व बंद के दौरान सरकारी व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर उपद्रवियों से वसूली के लिए बेहद कड़े प्रावधान किए गए हैं। इसके लिए राज्य सरकार सेवानिवृत्त जिला जज की अध्यक्षता में एक नुकसाल वसूली अधिकरण बनाएगी। इसके फैसले को किसी भी अन्य न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। सभी दावा याचिकाओं घटना की तिथि से 30 दिन भीतर ही दाखिल करना होगा। अतः केवल कथन 2 सही है जबकि कथन 1 और 3 गलत हैं।

05 खनिज कानून (संशोधन) विधेयक, 2020

प्र. खनिज कानून (संशोधन) विधेयक 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इसके अंतर्गत खान और खनिज (विकास और नियंत्रण) कानून 1957 और कोयला खान (विशेष प्रावधान) कानून, 2015 में संशोधन किया गया है।
2. इसके तहत ऐसी कम्पनियाँ भी कोयला ब्लाकों की नीलामी में भाग ले सकेंगी जिन्हें भारत में कोयला खनन का अनुभव नहीं है।
3. अब खनन पट्टे की अवधि की समाप्ति से पहले ही खानों के पट्टे की नीलामी की जा सकेगी।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2

(c) 1, 2 और 3 (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तरः **(c)**

व्याख्याः हाल ही में संसद ने खान और खनिज (विकास और नियंत्रण) कानून 1957 और कोयला खान (विशेष प्रावधान) कानून, 2015 में संशोधन करते हुए खनिज पदार्थ कानून (संशोधन) विधेयक, 2020 को मंजूरी दे दी है। संशोधित प्रावधानों में स्पष्ट व्यवस्था है कि ऐसी कंपनियां जिनके पास भारत में कोयला खनन का पहले से अनुभव नहीं है और/अथवा उन्हें अन्य खनिज पदार्थों अथवा अन्य देशों में खनन का अनुभव है, वे कोयले/लिग्नाइट ब्लॉकों की नीलामी में भाग ले सकती हैं। अब पट्टे की अवधि की समाप्ति से पहले खानों के पट्टे की नीलामी भी शुरू की जा सकती है। इस प्रकार तीनों कथन सही हैं।

06 महामारी अधिनियम 1897

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. विश्व स्तर पर किसी बीमारी को महामारी घोषित करने का फैसला संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किया जाता है।
2. COVID-19 से पूर्व 2009 में स्वाइन फ्लू को महामारी घोषित किया गया था।
3. भारत में महामारी से निपटने के लिए विशेष नियमों को महामारी अधिनियम 1897 के तहत लागू किया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तरः **(c)**

व्याख्याः जब कोई बीमारी किसी एक देश या सीमा तक सीमित न रहते हुए दुनिया के कई देशों में बड़े पैमाने पर फैलने लगती है तो उसको महामारी घोषित किया जाता है। किसी बीमारी को महामारी घोषित करने का फैसला विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को लेना होता है। साथ ही यह भी ध्यान रखा जाता है कि महामारी घोषित होने के बाद अनावश्यक डर की स्थिति पैदा न हो। जैसे 2009 में 'स्वाइन फ्लू' को महामारी घोषित करने के बाद हुआ था महामारी अधिनियम 1897 की धारा-2 के अनुसार केन्द्र और राज्य सरकारें महामारी से निपटने के लिए आवश्यक नियम बना सकती हैं। इस प्रकार कथन 1 असत्य है जबकि कथन 2 और 3 सत्य हैं।

07 आवश्यक वस्तु अधिनियम

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. वस्तुओं के गैर-कानूनी भण्डारण को रोकने के लिए सरकार उन्हें आवश्यक वस्तु घोषित कर सकती है।
2. किसी वस्तु को "आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955" के तहत आवश्यक वस्तु घोषित किया जाता है।
3. आवश्यक वस्तु अधिनियम के निर्देशों के उल्लंघन को असंज्ञेय अपराध माना जाता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2

(c) 1, 2 और 3 (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तरः **(b)**

व्याख्याः उपभोक्ताओं तक आवश्यक वस्तुओं को उचित मूल्य पर पहुँचाने के लिए 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया गया था। यह अधिनियम समय-समय पर केंद्र सरकार को आवश्यक वस्तुओं की सूची में नई वस्तुओं को जोड़ने और कुछ वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का अधिकार देता है। इस अधिनियम की धारा 3 के तहत सरकार के किसी भी निर्देश का उल्लंघन संज्ञेय अपराध श्रेणी में आता है जिसके लिए 7 साल तक के कारावास का प्रावधान है। इस प्रकार कथन 1 और 2 सही हैं, जबकि कथन 3 गलत है।

7 महत्वपूर्ण तथ्य

प्रारम्भिक परीक्षा हेतु

02

04

06

DigiPivot | Empowered by Google

01 हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के बारे में लोगों को सूचित करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 'आरोग्य मित्र' की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है?

-उत्तर प्रदेश

02 SCORES भारत की किस नियामक संस्था की एक मोबाइल एप्प है?

-भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड

03 हाल ही में किस अभयारण्य को पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) घोषित किया गया है?

-राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य

04 हाल ही में राष्ट्रीय बायो फ्यूल नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है?

-राजस्थान

05 किस राज्य सरकार ने हाल ही में, 'कौशल सतरंग' योजना शुरू की है?

-उत्तर प्रदेश

06 हाल ही में, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में DigiPivot नामक सेवा की शुरूआत की है?

-गूगल

07 इनमें से कौन सा शब्द हाल ही में, बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा बना है?

-जॉय बंगला

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न

मुख्य परीक्षा हेतु

01 राजकोषीय संघवाद का संक्षिप्त परिचय देते हुए बताएँ कि यह क्षेत्रीय असमानता को दूर करने में कितना प्रभावी है?

02 परिशुद्धता कृषि क्या है? भारत में यह किस प्रकार उपयोगी है?

03 स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं ने सामाजिक एवं सांस्कृतिक बाधाओं से परे रहकर आर्थिक विकास में योगदान देना प्रारंभ कर दिया है। टिप्पणी करें।

04 भारत के तटीय क्षेत्रों में समुद्री अपरदन को रोकने हेतु सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों की चर्चा करें।

05 प्रवाल भित्ति का संक्षिप्त परिचय देते हुए, सरकार द्वारा संरक्षण हेतु चला रहे कार्यक्रमों की चर्चा करें।

06 हाल के वर्षों में संरक्षित वनों और अभयारण्यों में शिकार की घटनाओं में वृद्धि हुई है। शिकार की समस्या को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं?

07 भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में शांति में कमी देखी गई है, कारणों व प्रभावों की चर्चा करें।

7 महत्वपूर्ण खबरें

01 किसान रेल समिति का गठन

- हाल ही मे केन्द्र सरकार ने कृषि मंत्रालय के तहत भारतीय रेलवे के प्रतिनिधियों सहित एक समिति का गठन किया है जो 'किसान रेल' की रूपरेखा तैयार करेगा। दूध, मांस और मछली समेत शीघ्र खराब होने वाले उत्पादों के लिए निर्बाध राष्ट्रीय शीत प्रशीतित शृंखला के निर्माण के लिए भारतीय रेलवे पीपीपी के माध्यम से किसान रेल चलाएगी। इसके तहत एक्सप्रेस और ढुलाई ट्रेनों में भी रेफ्रिजेरेटेड डिब्बे होंगे।
- किसान रेल चलाने के लिए रेल मंत्रालय ने रेफ्रिजरेटर युक्त बोगियों की फ्लीट खरीदी है। पंजाब के कपूरथला स्थित रेल कोच फैक्ट्री से खरीदी गई इस फ्लीट में रेफ्रिजरेटर युक्त नौ बोगियां हैं। इनमें प्रत्येक बोगी में 17 टन की भार वहन करने की क्षमता है। इसके अतिरिक्त 16 मिमी की साउंड इंसूलेटेड फ्लोरिंग लगाई गई है।
- उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत जल्द खराब होने वाले खाद्य उत्पादों के परिवहन के लिये 'किसान रेल' का प्रस्ताव किया था। किसान रेल का निर्माण पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के आधार पर किया जाएगा।
- रेलवे ने फल-सब्जियों की लोडिंग-अनलोडिंग हेतु भी योजना तैयार कर लिया है। केंद्र सरकार पायलट परियोजना के तहत चार कार्गो सेंटर बनाएगी। ये कार्गो सेंटर गाजीपुर घाट (यूपी), न्यू आजादपुर (आदर्श नगर, दिल्ली), लासलगांव (महाराष्ट्र) और राजा का तालाब (यूपी) में बनाये जाएंगे।
- उल्लेखनीय है कि रेल मंत्रालय ने बजट में रेल कृषि योजना की घोषणा होने के तुरंत बाद इस पर काम करना शुरू कर दिया है। बजट में खराब होने वाले सामानों हेतु कोल्ड सप्लाई चेन की सहज आपूर्ति का प्रस्ताव है।
- रेलवे की योजना एक एग्रीकल्चर लॉजिस्टिक सेंटर बनाने की है। यह एग्रीकल्चर लॉजिस्टिक सेंटर सोनीपत में बनाया जाएगा। भारतीय रेलवे की योजना भविष्य में 98 रेफ्रिजरेटर रेल कंटेनर खरीदने की है।

02 भारत पहली बार हथियार निर्यातकों की सूची में शामिल

- भारत पहली बार वैश्विक हथियार निर्यातकों की सूची में शामिल हुआ है। हथियार निर्यातक के मामले में भारत 23वें स्थान पर है, लेकिन विदेशों में हथियारों की बिक्री को बढ़ावा देने के सरकार के कदम से आने वाले वर्षों में हथियारों के निर्यात के मामले में भारत की रैंकिंग में सुधार होने की संभावना है।
- एसआईपीआरआई की रिपोर्ट ने बताया कि फ्रांसीसी हथियारों की मांग के कारण फ्रेंच हथियार उद्योग को भारत, मिस्र और कतर से प्रमुख लाभ मिला। रिपोर्ट में कहा गया है कि फ्रांसीसी हथियारों का निर्यात पांच वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।
- नवीनतम SIPRI आर्म्स ट्रांसफर डेटाबेस से पता चलता है कि भारत के हथियारों का आयात 2015 के बाद से 32 प्रतिशत तक गिर गया है, यह दर्शाता है कि भारत का मेक इन इंडिया कार्यक्रम अच्छी तरह से प्रगति कर रहा है।
- हालांकि, आंकड़े यह भी बताते हैं कि सऊदी अरब के बाद भारत हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक बना हुआ है। "एस आर्म्स ट्रांसफर डेटाबेस के अनुसार, भारत ने 2018 में 37 की तुलना में अन्य देशों को 103 जहाज वितरित किए हैं। SIPRI की निर्यात सूची में कहा गया है कि भारत के पास 2019 में 12 मिसाइलों का निर्यात है।
- उल्लेखनीय है कि भारत ने यूएसए से अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदने का आदेश दिया है लेकिन रूस से एस -400 एंटी-एयर सिस्टम और टी -90 टैंकों का आयात बड़े सौदे हैं। हालांकि, इसमें अपाचे और MH60 'रोमियो' हेलीकॉप्टरों के लिए यूएस के साथ हाल ही में 3 बिलियन डॉलर का सौदा शामिल नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत ने हथियार आपूर्तिकर्ता में बदलाव की नीति को बरकरार रखा और इस अवधि (2015-19) के दौरान, अमेरिका से हथियारों के आयात में 2010-14 की तुलना में गिरावट आई।

शस्त्र निर्यातक के रूप में भारत

- भारत के सबसे बड़े हथियार ग्राहक म्यांमार (46 प्रतिशत), श्रीलंका (25 प्रतिशत) और मॉरीशस (14 प्रतिशत) हैं। वर्तमान

में भारत दुनिया के हथियारों के निर्यात का सिर्फ 0.2 प्रतिशत हथियार निर्यात करता है। लेकिन भारत का लक्ष्य पांच साल के भीतर अपने रक्षा निर्यात को 5 बिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ाना है। एसआईपीआरआई के आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि पाकिस्तान अपने हथियार प्रणालियों के लिए पूरी तरह से चीन पर निर्भर नहीं है। 2015 के बाद से पाकिस्तान चीन से 73 प्रतिशत हथियार आयात करता है।

- दिलचस्प बात यह है कि भारत द्वारा अमेरिका से हथियारों के आयात में पिछले 5 सालों में भारी गिरावट आयी है। आंकड़ों के मुताबिक अब रूस भारत को 56 फीसदी हथियारों का निर्यात करता है। बल्कि अब अमेरिका भारत को हथियारों की आपूर्ति करने वाले टॉप 3 देशों में भी नहीं है। रूस के बाद 14 फीसदी के साथ इजराइल और 12 फीसदी के साथ फ्रांस भारत को सबसे अधिक हथियार भेज रहे हैं।

03 यमन, सीरिया में प्रत्येक 10 मिनट में एक बच्चे की मौतः यूनिसेफ

- संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल कोष (यूनिसेफ) ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि यमन में चार लाख से अधिक बच्चे भुखमरी के खतरे में हैं। यह भी बताया गया कि यमन और सीरिया में लगभग 2.2 मिलियन बच्चों को खराब स्वास्थ्य स्थितियों के कारण तत्काल देखभाल की आवश्यकता है।
- यूनिसेफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि यमन और सीरिया के क्षेत्रों में बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं पाई गई हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि डायरिया, संक्रमण और कुपोषण के कारण हर दस मिनट में कम से कम एक बच्चे की मौत हो जाती है।

मुख्य बिंदु

- रिपोर्ट में बताया गया है कि कम से कम 4,62,000 बच्चे तीव्र कुपोषण की समस्या से पीड़ित हैं। यह भी देखा गया है कि तीव्र कुपोषण 2014 से अब तक लगभग 200 प्रतिशत तक पहुंच चुका है।
- यमन को मध्य पूर्व क्षेत्र के सबसे गरीब देशों में से एक माना जाता है और यहां बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति भी बेहद खराब है।
- बच्चों में सबसे ज्यादा मौतें (पांच वर्ष से कम आयु) गंभीर कुपोषण के कारण होती हैं। इन बच्चों में तीव्र कुपोषण के कई संकेत पाए जाते हैं जैसे बहुत कम वजन, कंकाल जैसा शरीर, और स्वास्थ्य से जुड़े अन्य गंभीर मुद्दे।
- यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार संघर्षों और हमलों के कारण इस क्षेत्र में 9000 से अधिक बच्चे मारे गए हैं या गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह भी पाया गया कि लगभग 5000 बच्चों (18 वर्ष से कम) को भी लड़ाकू कार्यों में लगाया गया है। लगभग 1000 चिकित्सा सुविधाएं और संस्थान हमले की चपेट में आए हैं। यूनिसेफ का मानना है कि युद्ध का प्रभाव बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्थितियों पर आघात पहुंचाता है।

04 सोलर रिसीवर ट्यूब टेक्नोलॉजी

- विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग के तहत संचालित ARCI & International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials के वैज्ञानिकों ने लागत प्रभावी सोलर रिसीवर ट्यूब तकनीक विकसित की है।
- यह ट्यूब सौर ऊर्जा को अवशोषित करती है और गर्मी को आवश्यक अनुप्रयोग में परिवर्तित करती है।
- यह विशेष रूप से भारतीय मौसम की स्थिति में जंग के लिए उच्च प्रतिरोध प्रदान करती है।
- यह प्रौद्योगिकी एक गीली रासायनिक प्रक्रिया है, इसका उपयोग स्टेनलेस स्टील ट्यूबों की कोटिंग के लिए किया जाता है।
- इस तकनीक द्वारा निर्मित ट्यूब 93% मूल ऊर्जा और 14% उत्सर्जन को अवशोषित करती हैं।
- इस प्रौद्योगिकी का आविष्कार अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय उद्योग वर्तमान में CST (Concentrating Solar Technologies) के लिए उच्च अंत वाले सांद्रता वाले सौर पैनल रिसीवर आयात कर रहे हैं।
- यह प्रौद्योगिकी 2022 तक भारत को 100 गीगावॉट के अपने सौर ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी।

05 ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020

- हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में भारत को दूसरे स्थान पर रखा गया है।
- यह इंडेक्स अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण चैरिटी वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन द्वारा जारी किया जाता है।
- एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स (एपीआई) जारी करने का उद्देश्य बेहतर कार्य करने वाले देशों को प्रोत्साहित करना और पशु कल्याण नीति और कानून में कमजोर देशों का नाम उजागर करना है।
- इंडेक्स के नियम और कानून के अनुसार देशों को। (अधिकतम स्कोर) से G (न्यूनतम स्कोर) होने के आधार पर रैंक दी जाती है।
- भारत को इस सूचकांक में C स्कोर दिया गया है। भारत को ये स्थान स्पेन, मैक्सिको, फ्रांस और न्यूजीलैंड के साथ दिया गया है। स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रिया को अधिकतम स्कोर यानि A के साथ शीर्ष स्थान पर रखा गया है।

- वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन ने 50 देशों के पशु कल्याण नीतियों और कानून का आकलन किया जहां स्पष्ट रूप से पशु कल्याण कानूनों की कमी की पहचान की गई। यह तत्काल किए जाने वाले जरूरी सुधारों पर जोर दे रहा है।
- सूचकांक देशों को अच्छे पशु कल्याण प्रक्रियाओं जैसे कि जानवरों को स्वच्छ, स्वस्थ रखने और प्राकृतिक व्यवहार दर्शाने तथा उचित जगह पर रखने में मदद करेगा। इस सूची में शीर्ष स्थान पर हासिल करने वाले देशों में जानवरों की सुरक्षा के लिए मजबूत कानून हैं, हालांकि, ये कानून डेयरी पशुओं की सुरक्षा के लिए उतने सख्त नहीं हैं।
- इस सूचकांक में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 में क्रूरता संबंधी विचारों को और बेहतर करने का सुझाव दिया गया है। इस अधिनियम के तहत, वैज्ञानिक अनुसंधान में उपयोग किए जाने वाले जानवरों को छूट दी गई है।
- इस सूचकांक में 50 देशों के कानून का आकलन किया गया है। इस सूचकांक में वैश्विक स्तर पर पशु कल्याण कानूनों में पर्याप्तता की कमी को उजागर किया। इस सूचकांक के अनुसार, पशु संरक्षक के मामले में खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में ईरान, मोरक्को, अल्जीरिया और बेलारूस शामिल हैं।

06 SAREX अभ्यास

- भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा के तट पर 'Regional Level Search and Rescue Workshop and Exercise 2020 : ReSAREX- 20' का आयोजन किया।
- इस अभ्यास में तटरक्षक बल की ओर से डोर्नियेर एयरक्राफ्ट, 5 प्ब्ळ पोत तथा चेतक हेलिकॉप्टर ने हिस्सा लिया।

मुख्य विशेषताएं:

- SAREX अभ्यास का उद्घाटन रक्षा मंत्रालय (MoD) के सचिव (रक्षा) डॉ अजय कुमार ने किया। इस अभ्यास में 19 देशों के 24 विदेशी पर्यवेक्षकों की भागीदारी रही।
- शिपिंग मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने इस आयोजन में भाग लिया।
- अभ्यास का विषय हार्मोनाइजेशन ऑफ मैरीटाइम और एरोनॉटिकल सर्च एंड रेस्क्यू कोड HAMSAR था। दो राष्ट्रीय हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों सहित 38 राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों और 7 वाणिज्यिक एयरलाइनों के प्रतिनिधियों सहित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने अभ्यास में भाग लिया।
- अभ्यास ने भारतीय खोज और बचाव क्षेत्र में खोज और बचाव में शामिल हितधारकों के संचालन और समन्वय की दक्षता का परीक्षण किया।

SAREX अभ्यास:

- SAREX एक द्विवार्षिक अभ्यास है जो राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव बोर्ड (NMSARB) के तत्वावधान में भारतीय तटरक्षक द्वारा संचालित किया जाता है।
- यह अभ्यास 2003 से आईसीजी/ICG की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है।

भारतीय तटरक्षक बल

- भारतीय तटरक्षक एक सशस्त्र बल है, यह भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा करता है। इसकी स्थापना 18 अगस्त, 1978 को की गयी थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
- इसका आदर्श वाक्य "वयम् रक्षाम:" है। भारतीय तटरक्षक बल में 15,714 कर्मचारी कार्यरत हैं। भारतीय तटरक्षक बल में 175 वेसल तथा 44 एयरक्राफ्ट हैं।

07 लैंगिक समानता बढ़ाने की जरूरत : संयुक्त राष्ट्र

- संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने महिलाओं की स्थिति पर आयोग (CSW) के 64वें सत्र को संबोधित करते हुए कहा है कि बीजिंग में 25 वर्ष पहले लैंगिक समानता व महिला सशक्तिकरण के जिस संकल्प को लिया गया था उसे असरदार और तेज गति से लागू किए जाने की जरूरत है.
- इस अवसर पर सदस्य देशों ने एक राजनैतिक घोषणा को पारित किया है जिसमें 'बीजिंग घोषणापत्र और प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन' को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मजबूती से कदम आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया है।
- यूएन प्रमुख ने जोर देकर कहा कि दुनिया को यह स्पष्ट संदेश देने की आवश्यकता है कि महिला अधिकार मानवाधिकार हैं और लैंगिक समानता सभी टिकाऊ विकास लक्ष्यों के मूल में है।
- यह आयोग लैंगिक समानता और महिलाधिकारों की उस मुहिम को और स्फूर्ति प्रदान करने एक अवसर है जो विश्व भर में तेजी से आकार ले रही है।" यूएन प्रमुख ने महिलाओ व लड़कियों के प्रति भेदभाव और लैंगिक असमानता को एक वैश्विक अन्याय करार दिया।
- उनके मुताबिक कुछ क्षेत्रों में लैंगिक समानता पर प्रगति या तो ठहर गई है या फिर उसकी दिशा उलट गई है। "लैंगिक समानता मूल रूप से सत्ता से जुड़ा सवाल है। हम पुरुषों के दबदबे वाले एक समाज में रहते हैं और सदियों से ऐसा ही रहा है। सदियों का भेदभाव, गहराई तक घर कर चुकी पितृसत्ता और स्त्री-द्वेष ने हमारी अर्थव्यवस्थाओं, राजनैतिक प्रणालियों और कॉरपोरेशन सत्ता में लैंगिक खाई बढ़ा दी है। इसे बदला जाना होगा।"
- महासचिव गुटेरेश ने कहा कि इसी वर्ष 'बीजिंग घोषणापत्र और प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन' के 25 साल पूरे हो रहे हैं। ये दोनों पहल लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए दुनिया का सबसे व्यापक और रूपांतरकारी एजेंडा हैं।
- दुनिया भर में हमारे दौर की जटिल चुनौतियों के समाधान की तलाश करने में जुटे देशों के पास टिकाऊ विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक रास्ता बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन को तेजी से लागू करना है।

7 महत्वपूर्ण बिंदु

साभार पीआईबी

01 जैव कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहन

- कृषि क्षेत्र में जैविक कीटनाशक दवाइयों के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति ने रासायनिक कीटनाशकों की तुलना में जैव कीटनाशकों के पंजीकरण के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
- भारत सरकार परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य शृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) और पूंजीगत निवेश सब्सिडी योजना (सीआईएसएस) की जैविक कृषि योजना के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाओं के साथ टिकाऊ कृषि उत्पादन की दिशा में काम कर रही है। इनके माध्यम से जैविक बीज और खाद के इस्तेमाल तथा रसायन मुक्त कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे लोगों की सेहत में भी सुधार होगा।
- परम्परागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत 3 साल की अवधि के लिए प्रति हेक्टेयर 50 हजार रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें से डीबीटी के माध्यम से किसानों को 31 हजार रुपये (62 प्रतिशत) उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यह सहायता जैव उर्वरकों, जैव कीटनाशकों, वर्मीकम्पोस्ट, वानस्पतिक अर्क, उत्पादन/खरीद, फसल बाद प्रबंधन आदि के लिए दी जा रही है। एमओवीसीडीएनईआर के अंतर्गत जैविक सामग्रियों, बीज/पौध रोपण सामग्री के वास्ते 3 साल के लिए प्रति हेक्टेयर 25 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है।
- पूंजीगत निवेश सब्सिडी योजना के अंतर्गत भारत सरकार सालाना 200 टन क्षमता वाली जैविक उर्वरक इकाई की स्थापना के लिए राज्य सरकार/सरकारी एजेंसियों को 160 लाख रुपये प्रति यूनिट की अधिकतम सीमा के आधार पर 100 प्रतिशत सहायता उपलब्ध कराकर जैविक उर्वरकों के उत्पादन को प्रोत्साहन दे रही है। इसी प्रकार व्यक्तिगत/निजी एजेंसियों को पूंजी निवेश के रूप में 40 लाख रुपये प्रति यूनिट की सीमा के साथ लागत की 25 प्रतिशत तक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। यह सहायता राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है।
- जैव कीटनाशकों के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए एकीकृत पोस्ट प्रबंधन योजना के अंतर्गत किसान क्षेत्र विद्यालय (फार्मर फील्ड स्कूल) और मानव संसाधन विकास कार्यक्रम (2 और 5 दिन) के माध्यम से किसानों को शिक्षित किया जा रहा है। केन्द्र और राज्य सरकारों की प्रयोगशालाओं में भी जैव कीटशानकों (ट्राइकोडर्मा, मेटाझिझियम, ब्यूवेरिया आदि) का विस्तार और उनका किसानों को वितरण किया जा रहा है।

02 महिलाओं का शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण जरूरी

- भारत के उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने इस बात पर बल दिया कि महिला सशक्तिकरण के लिए शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण महत्वपूर्ण है। महिला दिवस के मौके पर हैदराबाद में आईडब्ल्यूएन (अंतर्राष्ट्रीय महिला नेटवर्क) के उद्घाटन पर बोलते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि अगर महिलाओं को समान अवसरों से वंचित रखा गया और उन्हें पीछे रहने के लिए ही छोड़ दिया गया, तो कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता है।
- शिक्षा को महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक या सामाजिक सशक्तिकरण की कुंजी बतलाते हुए उन्होंने कहा कि हममें से हर एक का यह कर्तव्य है कि कोई भी बच्ची स्कूल जाने से न छूटे। उन्होंने अपनी राय रखी कि एक शिक्षित महिला में कौशल, आत्मविश्वास होगा और वह बेहतर अभिभावक बन सकती है।
- साथ ही वह बेहतर पोषण भी प्रदान करेगी और इस तरह से सुनिश्चित करेगी कि उसका बच्चा स्वस्थ हो। इस लिहाज से, उन्होंने सभी स्तरों पर लड़कियों के सकल नामांकन अनुपात

को बढ़ाने में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के जबरदस्त प्रभाव पर प्रसन्नता जाहिर की।

- मानसिकता में बदलाव का आह्वान करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस बात की तत्काल आवश्यकता है कि कम उम्र से ही लड़कों को लड़कियों का सम्मान करना सिखाएं।
- गौरतलब है कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं में महिलाओं को हमेशा सम्मानजनक स्थान दिया गया और हमें अपनी जड़ों की ओर लौटने की जरूरत है।
- आध्यात्मिक प्रतीकों का वर्णन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि चाहे हम गायंत्री मंत्र पढ़ें या गीता (महाकाव्य) पढ़ें या ईश्वर की आराधना करने के लिए हम श्रद्धा के साथ वंदना, पूजा या आरती करें, हम महिलाओं के साथ होते हैं।
- आजादी के सात दशकों के बाद भी लैंगिक भेदभाव, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और हिंसा की खबरें आती हैं, ऐसी सामाजिक बुराइयों के प्रति शून्य सहिष्णुता होनी चाहिए।
- उपराष्ट्रपति ने कृषि भूमि समेत पैतृक संपत्ति में महिलाओं को समान अधिकार देने का आह्वान किया और कहा कि इस बाबत देशभर के कानून में एकरूपता लाने की नितांत आवश्यकता है। कृषि भूमि का अधिकार ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है और उनके आत्म-सम्मान को भी बढ़ाता है। हमें कृषि भूमि समेत पारिवारिक विरासत में महलाओं को समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहिए।
- वास्तव में, लैंगिक समानता प्राचीन भारत के सांस्कृतिक आधार के मुख्य सिद्धांत के तौर पर शामिल है। वैदिक काल में गार्गी और मैत्रेयी जैसी महिला दार्शनिक वेद पर होने वाली बहसों में शामिल होती थीं और अपने समकालीन पुरुषों के साथ स्पर्धा करती थीं।
- वर्तमान समय में भी महिलाओं को जब भी कोई अवसर दिया गया, उन्होंने खेल से लेकर लड़ाकू विमान उड़ाने तक अलग-अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।

03 भू-जल से हिमालयी स्लिप और जलवायु प्रभावित

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान, भारतीय भू-चुम्बकत्व संस्थान (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म) के शोधकर्ताओं ने भूजल में मौसमी बदलावों के आधार पर शक्तिशाली हिमालय को घटते हुए पाया।
- चूंकि हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप में जलवायु को प्रभावित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा वित्त पोषित अध्ययन से यह समझने में मदद मिलेगी कि जल-विज्ञान किस प्रकार जलवायु को प्रभावित करता है।
- हिमालय की तलहटी और गंगा का मैदानी भाग डूब रहा है, क्योंकि इसके समीपवर्ती क्षेत्र भूस्खलन या महाद्वीपीय बहाव से जुड़ी गतिविधि के कारण बढ़ रहे हैं।
- जर्नल ऑफ जियोफिजिकल रिसर्च में प्रकाशित नए अध्ययन से पता चलता है कि सामान्य कारणों के अलावा, भूजल में मौसमी बदलाव के साथ उत्थान पाया जाता है।
- हिमालय में, ग्लेशियरों से मौसमी पानी के साथ-साथ मानसून की वर्षा, क्रस्ट की विकृति और इससे जुड़ी भूकंपीयता में महत्वपूर् भूमिका निभाती है। भू-जल में कमी की दर भूजल की खपत के साथ जुड़ी हुई है। शोधकर्ताओं ने ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) और ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट (ग्रेस) डेटा का एक साथ उपयोग किया है, जिससे उनके लिए हाइड्रोलॉजिकल द्रव्यमान की विविधताओं को निर्धारित करना संभव हो गया है।
- 2002 में अमेरिका द्वारा लॉन्च किए गए ग्रेस के उपग्रह, महाद्वीपों पर पानी और बर्फ के भंडार में बदलाव की निगरानी करते हैं। इससे आईआईजी टीम के लिए स्थलीय जल-विज्ञान का अध्ययन करना संभव हो पाया।
- अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार, संयुक्त जीपीएस और ग्रेस डेटा उप-सतह में 12 प्रतिशत की कमी होने का संकेत देता है। यह स्लिप बताता है कि फूट तथा हैंगिंग वाल के सापेक्ष कितनी तेजी से खिसकता है।
- यह स्लिप मुख्य हिमालयी दबाव (मेन हिमालयन थ्रस्ट) (एमएचटी) में होती है, जो हाइड्रोलॉजिकल विविधताओं और मानवीय गतिविधियों के कारण होती है।

04 राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन

- भारत में बायोफार्मास्यूटिकल्स के विकास को गति देने के लिए हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन की अधिसूचना जारी की गई।
- भारत ने नवाचार (आई-3) नाम से शुरू इस कार्यक्रम में 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर का निवेश होगा, जिसमें 12.5 करोड़

डॉलर का कर्ज विश्व बैंक कर्ज देगा। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भारतीय बायोफार्मास्यूटिकल्स उद्योग में इससे बड़ा बदलाव आएगा।

- इससे उद्यमिता और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक परितंत्र का भी निर्माण होगा।
- भारत फार्मास्यूटिकल उद्योग में काफी सक्रिय रहा है और जीवन रक्षक दवाओं के निर्माण और जरूरतमंदों के लिए कम कीमत वाले फार्मास्यूटिकल उत्पादों में भारत का वैश्विक स्तर पर अहम योगदान रहा है।
- चाहे वह रोटा वायरस के टीके हों या हार्ट वाल्व प्रोस्थेसिस या फिर सस्ते इंसुलिन, भारत इनमें और कई दूसरी दवाओं के निर्माण में अग्रणी रहा है।
- इसके बावजूद भारत विकसित देशों की तुलना में फार्मास्यूटिकल उद्योग में 10-15 साल पीछे है और इसे चीन, कोरिया और अन्य देशों से चुनौती मिल रही है।
- इसकी मुख्य वजह उत्कृष्टता केन्द्र में जुड़ाव, खोजपरक अनुसंधान और उचित कोष की कमी है। इस क्षेत्र में समेकित नवाचार सुनिश्चित करने के लिए उत्पाद खोज, अनुसंधान और शुरूआती विनिर्माण को बढ़ावा देने की जरूरत है।
- भारत में नवाचार आई-3 इन कमियों को दूर करेगी और भारत को प्रभावी बायोफार्मास्यूटिकल उत्पादों के क्षेत्र में डिजाइन और विकास का केन्द्र बनायेगी।

05 मिथेन-ऑक्सीकारक बैक्टीरिया

- आगरकर शोध संस्थान (एआरआई), पुणे के वैज्ञानिकों ने मिथेनोट्रॉपिक बैक्टीरिया के 45 विभिन्न प्रजातियों को पृथक किया है, जो धान की पौधों से होने वाले मिथेन उत्सर्जन में कमी लाने में सक्षम है।
- मिथेनोट्रॉप्स मिथेन को कार्बनडाईऑक्साइड में बदल देता है। वे प्रभावी रूप से मिथेन के उत्सर्जन में कमी ला सकते हैं। मिथेन ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण गैस है। यह कार्बनडाईऑक्साइड की तुलना में 26 गुना ज्यादा घातक है। धान के खेतों में मिथेनोट्रॉप्स पौधे की जड़ों तथा मिट्टी-पानी में सक्रिय रहते हैं।
- धान के खेतों में लम्बे समय तक जल जमाव रहता है। कार्बनिक तत्वों के विघटन से मिथेन बनता है। पूरी दुनिया में धान के खेत कुल मिथेन उत्सर्जन में 10 प्रतिशत का योगदान देते हैं। एआरआई के अध्ययन के पूर्व भारत में स्वदेशी रूप से अलग किए गए मिथेनोट्रॉप्स पर कोई कल्चर उपलब्ध नहीं था। धान के खेतों से पृथक किए गए मिथेनोट्रॉप्स के माध्यम से मिथेन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए विभिन्न कारकों के प्रभाव को समझा जा सकता है। वैज्ञानिकों की यह टीम भविष्य में अमोनिया उर्वरकों द्वारा तापमान बढ़ाने के विषय पर अध्ययन करेगी।
- मिथेनोट्रॉप्स का उपयोग मिथेन के मूल्य संवर्धन के लिए भी किया जा सकता है। अपशिष्ट से प्राप्त जैव-मिथेन का उपयोग मिथेनोट्रॉप्स कर सकते हैं और इसे एक कोशिका प्रोटीन, बायो-डीजल जैसे उपयोगी उत्पादों में बदल सकते हैं। ऐसे अध्ययनों से जीएचजी उत्सर्जन में कमी लाने में सहायता मिलेगी।

06 निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों व करों में छूट देने की योजना

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने निर्यात किए गए उत्पादों पर शुल्कों व करों में छूट देने (आरओडीटीईपी) की योजना की मंजूरी दे दी है। इसके तहत केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर करों/शुल्कों/उपकरों की प्रतिपूर्ति के लिए एक व्यवस्था तैयार की जाएगी, जिनकी प्रतिपूर्ति वर्तमान में किसी अन्य योजना के अंतर्गत नहीं की जा रही है, परन्तु जिनका भुगतान निर्यातित उत्पादों की विनिर्माण और वितरण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है।
- इस योजना से घरेलू उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादकों को समान अवसर प्राप्त होंगे, ताकि घरेलू करों/शुल्कों का निर्यात नहीं हो।
- योजना के तहत एक अंतर-मंत्रालयी समिति दरों और उत्पादों का निर्धारण करेगी, जिनके लिए करों और शुल्कों में छूट दी जानी है। डिजिटल इंडिया के अनुरूप योजना के तहत प्रतिपूर्ति निर्यातकों को हस्तांतरणीय शुल्क/इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप जारी किए जाएगे, जिन्हें एक इलेक्ट्रॉनिक्स लैजर में दर्ज किया जाएगा। योजना का क्रियान्वयन पूरी तरह से डिजिटल रूप में किया जाएगा।
- शुल्क वापसी और आईजीएसटी जैसी योजनाओं के साथ आरओडीटीईपी योजना के अंतर्गत प्रतिपूर्ति 'जीरो रेटिंग' की ओर एक कदम है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात उत्पादों की लागत को प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकेगा और निर्यात उन्मुख विनिर्माण उद्योग में रोजगार के अवसरों का सृजन होगा।

प्रमुख विशेषताएँ:

- वर्तमान में निर्यातित उत्पादों के निर्माण के लिए आवश्यक इनपुट के लिए जीएसटी करों एवं आयात/सीमा शुल्कों में या तो छूट दी जाती है या इनकी प्रतिपूर्ति की जाती है। हालांकि कुछ कर/शुल्क/उपकर जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं और इनकी प्रतिपूर्ति निर्यात के लिए नहीं की जाती है जैसे परिवहन में उपयोग किए गए ईंधन पर लगने वाला वैट, मंडी कर, निर्माण के दौरान उपयोग की बिजली पर लगने वाला शुल्क आदि। आरओडीटीईपी के तहत इन्हें प्रतिपूर्ति के दायरे में लाया जाएगा।
- सूचना प्रौद्योगिकी आधारित जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) के साथ निगरानी और लेखा परीक्षण व्यवस्था निर्यातकों के रिकॉर्ड की भौतिक रूप से जांच करेगी। आरओडीटीईपी योजना के तहत टैरिफ/उत्पाद के लिए जब करों की घोषणा की जाएगी, तो भारत व्यापार निर्यात योजना (एमईआईएस) से मिलने वाले लाभों को स्थगित कर दिया जाएगा।

07 स्टार्च-आधारित सामग्री विकसित

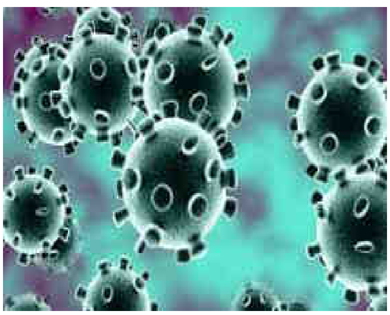

- दुर्घटनाओं के दौरान तेजी से बहते खून को रोकने के लिए हाल ही मे स्टार्च-आधारित सामग्री विकसित की गई है। गंभीर चोट लगने के बाद रक्तस्राव जीवन के लिए घातक हो सकता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्वायत्त संस्थात नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएनएसटी) के वैज्ञानिकों ने स्टार्च आधारित 'हेमोस्टैट' सामग्री तैयार की है जो अतिरिक्त द्रव्य को अवशोषित करते हुए खून में थक्के बनाने वाले प्राकृतिक कारकों को गाढ़ा बनाता है।
- घावों पर एक साथ मिलकर जेल बनाने वाले प्राकृतिक रूप से सड़नशील ये सूक्ष्म सामग्री मौजूदा विकल्पों से अधिक बेहतर काम कर सकता है। इस सामग्री के प्रारंभिक चरण के विकास को 'मटेरियालिया' नामक पत्रिका में प्रकाशित किया गया है।
- इस उत्पाद ने अवशोषण क्षमता बढ़ाई है और यह प्राकृतिक रूप से सड़नशील होने के साथ-साथ जैविक रूप से अनुकूल भी है। हेमोस्टैट सामग्री खून में थक्के बनाने वाले प्राकृतिक कारणों को गाढ़ा करते हुए अतिरिक्त द्रव्य को अवशोषित करता है जो रक्तस्राव को रोकने के लिए जरूरी है। हालांकि, प्राकृतिक रूप से नहीं सड़ने वाले पदार्थों को हटाने के बाद रक्तस्राव फिर शुरू हो सकता है।
- इसमे सूक्ष्म सामग्री (माइक्रोपार्टिकल) बनाने के लिए रासायनिक रूप से प्राकृतिक स्टार्च को संशोधित करते हुए द्रव्य अवशोषण की क्षमता को पांच से दस गुना बढ़ाने और बेहतर चिपकाव के लिए जैविक रूप से अनुकूलता और जैव रूप से सड़नशीलता के गुणों का फायदा उठाया गया। जब सूक्ष्म सामग्री आपस में मिलते हैं तो वे एक जेल बनाते हैं जो घाव पर उसके ठीक होने तक बना रह सकता है। इस सूक्ष्म सामग्री के निर्माण में स्टार्च पर कुछ रासायनिक हाइड्रॉक्सिल समूहों को संशोधित कर कार्बोक्सिमिथाइल समूह बनाया जाता है और फिर इसमें कैल्शियम आयन मिलाये जाते हैं जिससे लाल रक्त कणिकाएँ और प्लेटलेट्स एक जगह जमा होते हैं और इनकी सक्रियता से फाइब्रिन प्रोटीन नेटवर्क बनता है जो खून का एक स्थायी थक्का बना देता है।
- इस संशोधन से पानी के साथ अणुओं के मेल-जोल की क्षमता बढ़ती है। यह रक्त से तरल पदार्थ को अवशोषित करने की इसकी प्रभावशाली क्षमता का आधार है और इस तरह थक्का बनाने के कारकों पर केन्द्रित करता है।
- प्रयोगशाला परीक्षणों में खून के संपर्क में आने के 30 सेकंड के बाद इस उत्पाद की सूक्ष्म सामग्री में सूजन आ जाती है जिससे जोड़ने वाला चिपकाऊ जैल बनता है। इसे 'कैल्शियम युक्त कार्बोक्सिमिथाइल-स्टार्च' के रूप में भी जाना जाता है। उपलब्ध स्टार्च आधारित प्राकृतिक रूप से सड़नशील विकल्प' अपेक्षाकृत धीमी गति से द्रव अवशोषण एवं घायल ऊतकों के साथ कम चिपकाऊ होने के कारण सीमित उपयोगिता वाले हैं। इसके अलावा, मौजूदा उपलब्ध विकल्पों के साथ जैविक रूप से कम अनुकूलता बड़ी समस्या है। वर्तमान में ऐसा कोई हेमोस्टैटिक एजेंट मौजूद नहीं है जो सभी स्थितियों में काम कर सकें। वर्तमान में हेमोस्टैटिक सामग्री महंगी है और ज्यादातर विकसित देशों में उपलब्ध है। जानवरों पर अध्ययन में इस बात का पता लगा कि यह सामग्री विषैली नहीं है।

7 महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ (ग्राफिक्स के माध्यम से)

विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र

01 मेसाबी रेंज एवं डेट्रॉयट

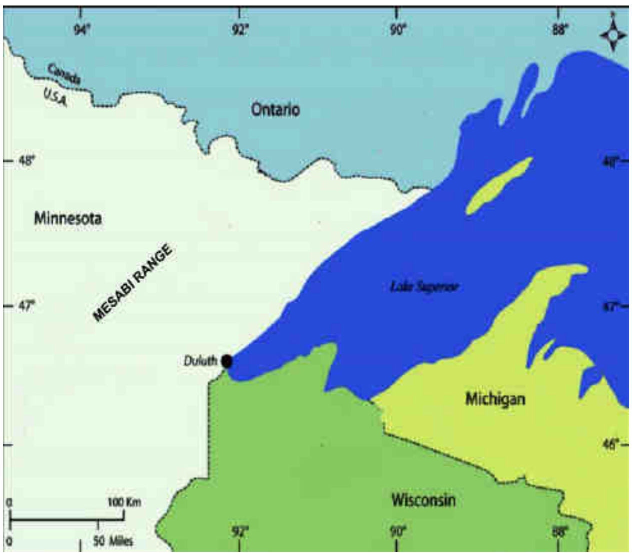

- **मेसाबी रेंजः** सुपीरियर झील के क्षेत्र में मेसाबी मुख्य रूप से लोहा उत्पादन करने वाला क्षेत्र है।
- यह ओंटारियो राज्य (कनाडा) की सीमा के पास स्थित है।
- अमेरिका का लगभग 25% लोहा सुपीरियर झील क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है।
- शेष लोहा देश के उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है।
- **डेट्रॉयटः** डेट्रॉयट (मिशिगन) को अमेरिकी वाहन उद्योग का गढ़ माना जाता है।
- यहाँ देश के तीन बड़ी ऑटोमोबाइल उत्पादन करने वाली कम्पनियाँ (जनरल मोटर्स, फोर्ड तथा क्रिस्लर) के बड़े कारखाने मौजूद हैं।
- डेट्रॉयट नदी के पश्चिमी किनारे पर बसे इस नगर की दूसरी ओर कनाडा के कई नगर हैं जिसके साथ यह पुल तथा सुरंग द्वारा जुड़ा हुआ है।
- मोटर गाड़ियों के प्रमुख उद्योग के अतिरिक्त लौह इस्पात, ताँबा, युद्धक विमान आदि के उद्योग यहाँ अत्यधिक विकसित हैं।
- हाल के वर्षों में डेट्रॉयट में साबुन, एल्युमिनियम, लकड़ी आदि के उद्योग भी अत्यधिक विकसित हुये हैं।

02 ओटावा, मॉन्ट्रियल टोरंटो, विंडसर

- **ओटावा:** ओटावा कनाडा की राजधानी है, जो कागज बनाने का बहुत बड़ा केन्द्र है।
- इस नगर में रासायनिक पदार्थ, लोहा गलाने, दियासलाई आदि से संबंधित कई कारखानें मौजूद हैं।
- **मॉन्ट्रियाल:** संसार में अखबारी कागज के उत्पादन में कनाडा का पहला स्थान है, यहाँ के कागज उद्योग मॉन्ट्रियल में केन्द्रित हैं।
- यह नगर सेंट लॉरेंस नदी के एक बड़े द्वीप पर स्थित हैं, साथ ही यह विश्व का सबसे बड़ा शहर है।
- **टोरंटो:** यह ओटांरियो राज्य की राजधानी और सबसे बड़ा नगर है।
- यह नगर इंजीनियरिंग और ऑटोमाबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है।
- **विंडसर:** विंडसर को कनाडा का डेट्रॉयट कहा जाता है। यह ओंटारियो झील के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। यह ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ अन्य उद्योग भी सक्रिय हैं।

03 मेक्सिको

- **मेक्सिको:** मेक्सिको में विभिन्न प्रकार के खनिज पाये जाते हैं। यहाँ विश्व में सर्वाधिक चाँदी उत्खनित होती है।
- लोहा, कोयला, जस्ता, सीसा, ताँबा, मैंगनींज, सोना यहाँ के मुख्य खनिज हैं।
- मेक्सिको नगर इस देश की राजधानी है। मोनटेरी नगर के आसपास कोयला निकाला जाता है।
- यह उत्तरी मेक्सिको का सबसे बड़ा औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्र है।
- मेक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी सीमा से लगा हुआ है।
- इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर, कैलिफोर्निया की खाड़ी, दक्षिण पूर्व में ग्वाटेमाला, बेलिज और कैरिबियन सागर तथा पूर्व में मेक्सिको की खाड़ी है।

04 जोहांसबर्ग व किम्बर्ले

- **जोहांसबर्गः** दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर जोहांसबर्ग, सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश है तथा देश की राजधानी प्रिटोरिया भी इसी भाग में स्थित है।
- सोने के अतिरिक्त हीरे तथा बहुमूल्य पत्थर के साथ यहाँ यूरेनियम भी काफी मात्रा में निकाला जाता है।
- संसार का 50% सोना केवल जोहांसबर्ग में निकाला तथा तैयार किया जाता है। इसके चारों ओर भारी औद्योगिक केन्द्र तथा कारखाने स्थापित हुये हैं। जिस कारण इसको गॉटेंग (Gauteng) के नाम से भी जाना जाता है।
- **किम्बर्लेः** दक्षिण अफ्रीका में किम्बर्ले व प्रिटोरिया प्रमुख हीरा उत्पादक क्षेत्र हैं।
- किम्बर्ले ओरेंज फ्रीस्टेट का महत्वपूर्ण नगर व हीरों की प्रसिद्ध मंडी है, इसलिए इसे डायमंड सिटी भी कहा जाता है।

05 साओ पाउलो व सैंटोस

- ब्राजील दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश और विश्व में इसका पाँचवा स्थान है।
- यहाँ की राष्ट्रभाषा पुर्तगाली तथा राजधानी ब्राजीलिया है।
- **साओ पाउलोः** यह ब्राजील का सबसे बड़ा नगर है जो समुद्र तट से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
- ब्राजील में कहवे का सर्वाधिक उत्पादन साओ पॉउलो व इसके भीतरी इलाकों में होता है।
- ब्राजील में कहवा के बड़े-बड़े बागान मिलते हैं, जिन्हें फजेंडा कहा जाता है।
- **सैंटोसः** सैंटोस विश्व का सबसे बड़ा कहवा निर्यातक बंदरगाह के साथ साथ ब्राजील का एक बड़ा औद्योगिक केन्द्र भी है।
- साओ पॉउलो से सैंटोस बंदरगाह तक चलने वाली रेलगाड़ी को कॉफी रेल कहा जाता है।

06 ग्रेट ब्रिटेन

- **ग्रेट ब्रिटेन:** ग्रेट ब्रिटेन में स्थित बर्मिंघम लौह-इस्पात तथा भारी मशीनों के कारखानों के लिए प्रसिद्ध है।
- यह नगर क्रमशः जंजीर, सुईयाँ, कार, मोटरसाइकल एवं साइकिल के लिए प्रसिद्ध है।
- यह ब्रिटेन का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है जो काला प्रदेश (Black Country) के नाम से भी जाना जाता है।
- इसके अलावा लोहे का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र उत्तरी लंकाशायर, यार्कशायर, नॉर्थम्पटनशायर, और ऑक्सफोर्डशायर हैं।
- अधात्विक खनिजों में कोयले का उत्पादन सर्वप्रमुख है जो स्कॉटलैण्ड की मिडलैण्ड पहाड़ी, उत्तरी व दक्षिणी वेल्स और पेनाइन के दोनों और हैं।
- गेट ब्रिटेन की उन्नति का प्रधान कारण इसका विदेशी व्यापार है।
- विदेशी व्यापार का एक बड़ा भाग पुनर्निर्यात के रूप में है जिसका सबसे बड़ा केन्द्र लंदन है।
- यूनाइटेड किंगडम को समुद्र के नीचे बिछे रेल मार्गो (English Channel) के द्वारा यूरोप की मुख्य भूमि से जोड़ा जा रहा है।

07 राइन नदी क्षेत्र एवं रूर बेसिन

- **राइन नदी क्षेत्र:** जर्मनी में नदियों में जाल सा फैला हुआ है। यहाँ अधिकतर नदियाँ अपना पानी उत्तरी सागर तथा बाल्टिक सागर में गिराती हैं। इनमें से राइन नदी में भारी नौगमन होता है।
- यह नदी यूरोप की सबसे व्यस्त नदी है। राइन नदी कुछ दूरी तक फ्रांस की सीमा के समानांतर बहती है।
- यूरोप के राइन और रूर के बीच का क्षेत्र कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।
- **रूर बेसिन:** रूर बेसिन (Rurh basin) यूरोप का सबसे बड़ा कोयले का भंडार है। इसके अलावा लिग्नाइट, पोटाश, सीसा, जस्ता, ताँबा आदि खनिजों का खनन यहाँ किया जाता है।
- रूर बेसिन को ही जर्मनी का काला प्रदेश और यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल कहा जाता है।

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

Guiding Generations
towards making a better India

उपलब्ध कार्यक्रम

कक्षा कार्यक्रम : प्रीमियम बैच, मेंस बैच, फोकस बैच, सीसैट बैच एवं वैकल्पिक विषय

अन्य कार्यक्रम : ऑल इंडिया टेस्ट सीरिज, क्रैश कोर्स, साक्षात्कार मार्गदर्शन कार्यक्रम (इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम), पीएमआई (PMI) एवं स्टूडेंट पोर्टल

उड़ान : उड़ान कार्यक्रम के माध्यम से स्कूल (10+2) के ठीक बाद छात्रों के सामर्थ्य को संचार एवं परामर्श के माध्यम से समग्र रूप से सशक्त करना।

प्रवेश प्रारम्भ
नया सत्र: 2020-21
बैच आरम्भ: अप्रैल-मई 2020
अधिक जानकारी के लिए सम्बंधित केंद्र पर संपर्क करें
or
Logon to : www.dhyeyaias.com
or
Call: 011-49274400

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068 , **LUCKNOW (ALIGANJ)** 0522-4025825 | 9506256789, **LUCKNOW (GOMTINAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA** 0120 4254088 | 9205336037, 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR : BIHAR SHARIF – 9507021386, PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJRAT** : AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA** : HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADYA PRADESH** : GWALIOR -9993135886, 9893481642 , JABALPUR - 8982082023, 8982082030, REWA – 9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA** : MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB** : PATIALA - 9041030070 , LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN** : JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND** : HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH** : ALIGARH – 9837877879, 9412175550 , AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, BIJNOR-8126670981, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962 , LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333, 7518373333, MORADABAD - 9927622221 , VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.in

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter
(ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

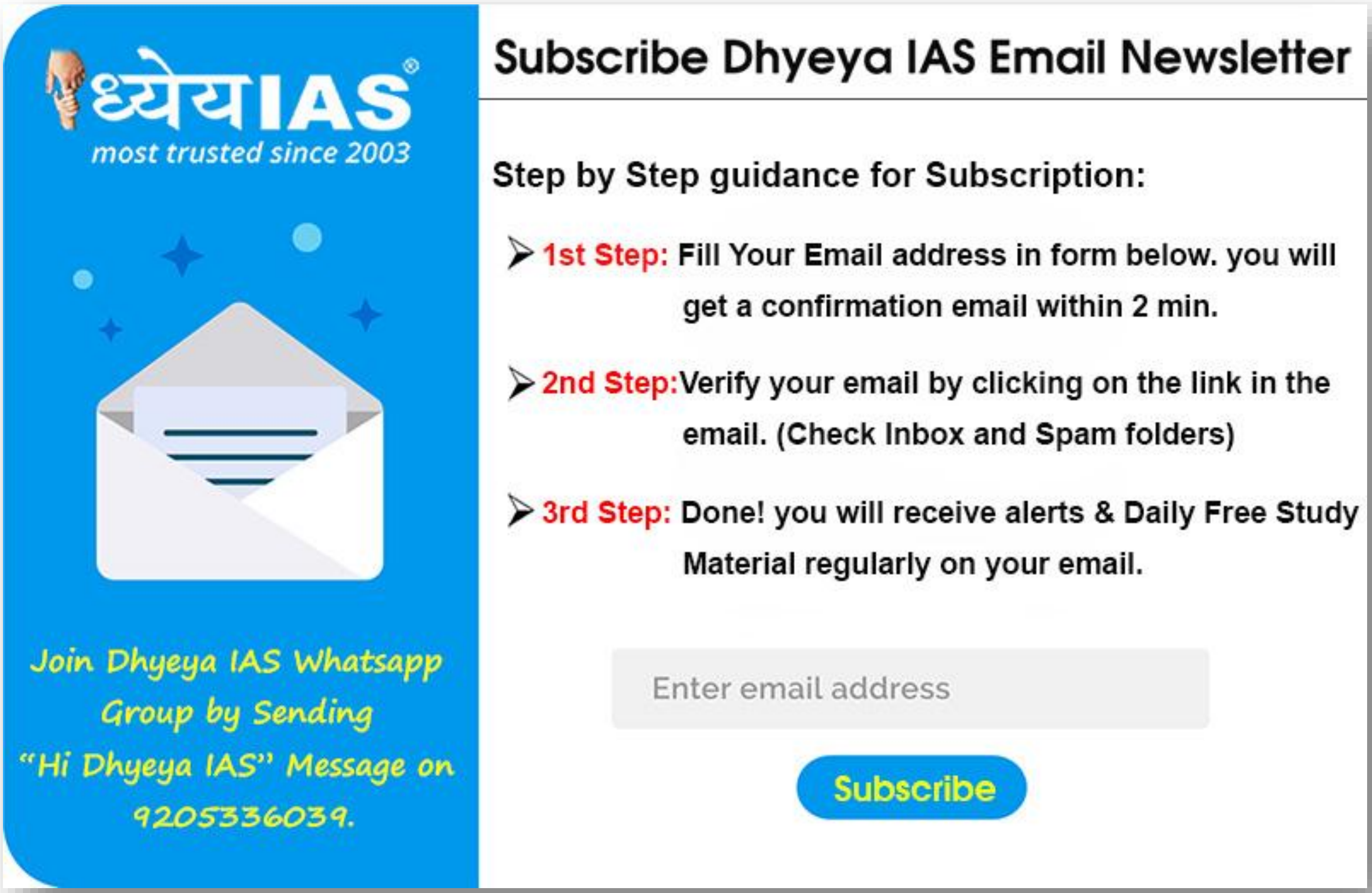

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400